# वार्षिक रिपोर्ट - 2009

## केन्द्रीय सतर्कता आयोग
## नई दिल्ली

# वार्षिक रिपोर्ट
## 1.1.2009 से 31.12.2009

# केन्द्रीय सतर्कता आयोग
## नई दिल्ली

भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग की 46वीं वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत बनाई गई है । यह रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आयोग को प्राप्त अधिदेश को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए कार्य पर प्रकाश डालती है ।

(प्रत्यूष सिन्हा)
केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

नई दिल्ली
दिनांक : 30 जून, 2010

# आभारोक्ति

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, मुख्य सतर्कता अधिकारियों की अपनी टीम तथा सभी विभागों/संगठनों, विशेषकर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिए गए सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद देता है ।

# विषय सूची


| क्रम संख्या | शीर्षक | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्तावना | 1-9 |
| 2. | प्रेक्षण एवं उपक्रमण | 10-17 |
| 3. | वर्ष के दौरान आयोग के कार्यकलाप | 18-30 |
| 4. | सतर्कता प्रशासन पर निगरानी | 31-37 |
| 5. | आयोग की सलाह का पालन न करने तथा कार्यान्वयन में विलंब सहित चिंता के विषय | 38-53 |
| 6. | मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक | 54-65 |
| 7. | दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) | 66-70 |


# अनुबंध


| | | |
|---|---|---|
| I | समूहवार स्टाफ स्थिति तथा सम्बद्ध सूचनाएं | 72 |
| II | वर्ष 2009 के दौरान दण्ड दिए गए ऐसे मामलों का संगठनवार विवरण जिनके संबंध में आयोग की सलाह ली गई थी । | 73-76 |
| III | मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा 01.01.2009 से 31.12.2009 की अवधि के दौरान किया गया कार्य | 77-85 |
| IV | ऐसे संगठनों की सूची जिन्होंने आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतों पर रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है । | 86-91 |
| V | ऐसे संगठनों की सूची जिन्होंने आयोग द्वारा नामित विभागीय जांच आयुक्तों की नियुक्ति अभी तक नहीं की है । | 92 |
| VI | ऐसे मामलों की संगठनवार सूची जिनमें आयोग को अपनी सलाह के कार्यान्वयन के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है । | 93-98 |

# अध्याय - 1

## प्रस्तावना

### I पृष्ठभूमि

1.1 केन्द्रीय सरकारी संस्थानों तथा लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार निवारण के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में वर्ष 1964 के एक संकल्प के माध्यम से की गई । प्रशासन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में एक बहस के परिणामस्वरुप तत्कालीन माननीय गृहमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा श्री के. संथानम, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसका कार्य केन्द्रीय सेवाओं में भ्रष्टाचार के रोकथाम के विद्यमान साधनों की समीक्षा करना तथा भ्रष्टाचार-रोधी उपायों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यावहारिक उपायों के बारे में सलाह देना था । इस समिति ने भ्रष्टाचार के निम्नलिखित चार मुख्य कारणों की पहचान की:

(i) प्रशासनिक विलंब;
(ii) सरकार द्वारा नियामक कार्यों के माध्यम से प्रबंध किए जा सकने वाले कार्यों से अधिक कार्यभार स्वंय पर लेना;
(iii) सरकारी सेवकों की विभिन्न श्रेणियों को प्रदान किए गए अधिकारों के प्रयोग में निजी स्वनिर्णय के अवसर; तथा
(iv) नागरिकों के दैनिक कार्यों में महत्व वाले विभिन्न मामलों पर कार्रवाई करने की बोझिल प्रक्रियाएं ।

1.2 विभिन्न मंत्रालयों में सतर्कता एककों तथा प्रशासनिक सतर्कता प्रभाग के बीच एक सक्रिय एकीकरण का स्पष्ट अभाव अनुभव किया गया तथा इस समिति ने सतर्कता प्रशासन पर सामान्य निगरानी रखने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए एक शीर्षस्थ निकाय की अवधारणा की तथा इसके साथ ही इंजीनियरिंग कार्यों, निर्माण कार्यों आदि से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता वाला एक निकाय बनाने की अवधारण भी की । इस समिति ने सिफारिश की कि यह निकाय संदिग्ध लोक सेवकों के लेन-देन के मामलों की अथवा अनुचित आचरण या व्यवहारों के आरोपों की जांच करे । सितम्बर 1997 में केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र समीक्षा समिति ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश की । कई महीने बाद, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जैन हवाला मामले के नाम से प्रसिद्ध आपराधिक रिट याचिका सं.340-343/93 (विनीत नारायण एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) में 18.12.1997 को यह निदेश दिया कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए । सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 25.8.1998 को एक अध्यादेश जारी किया जिसके बाद दिनांक 8.1.1999 का अध्यादेश आया । तत्पश्चात्, केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 4 अप्रैल, 1999 को एक दूसरा संकल्प जारी किया तथा वर्ष, 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पास किए जाने तक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग दिनांक 4.4.1999 के संकल्प के अंतर्गत कार्य करता रहा ।

## II वर्तमान स्थिति

1.3 केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) दिनांक 11.9.2003 से लागू हुआ । 'एकल निर्देश' के सामान्य रूप से ज्ञात सिद्धांत को, जिस पर हवाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रहार किया था, एक कानूनी दर्जा देने के लिए यह अधिनियम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम को भी संशोधित करता है । इस नियम के अनुसार, केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिव तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारी अथवा सरकारी निगमों, कम्पनी, सोसायटी तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों के ऐसे अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभिकथित रूप से किए गए किसी भी अपराध के विरूद्ध जांच अथवा अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है ।

**केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अंतर्गत**
**केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार एवं कार्य**

- आयोग में एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) होंगे तथा सतर्कता आयुक्त (सदस्य) होंगे जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी;
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर की जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य) होंगे;
- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल उनके पद भार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष अथवा उनकी 65 वर्ष की आयु हो जाने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा;
- यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों की निगरानी करेगा;
- **इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त उन दो समितियों के अध्यक्ष भी हैं जिनकी सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के निदेशक तथा प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करेगी** । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति से संबंधित समिति को यह अधिकार भी है कि वह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना में पुलिस अधीक्षक तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए, निदेशक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) से परामर्श करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें दे;
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत अन्वेषणों के संबंध में अथवा लोक सेवकों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपराधों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों की निगरानी करना तथा इस उत्तरदायित्व का निष्पादन करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश देने का अधिकार आयोग को होगा;
- यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभिकथित रूप से किए गए अपराधों के सम्बन्ध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किए जा रहे अन्वेषण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेगा;
- केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गए किसी भी संदर्भ पर आयोग को जांच करने अथवा जांच या अन्वेषण करवाने का अधिकार होगा;

- आयोग को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता में आने वाले किसी भी अधिकारी के विरूद्ध प्राप्त किसी भी शिकायत पर जांच करे अथवा जांच या अन्वेषण करवाए;
- यह सतर्कता पहलू वाले अनुशासनिक मामलों में दो चरणों पर अर्थात अन्वेषण एवं जांच में अनुशासनिक तथा अन्य प्राधिकारियों को सलाह देगा;
- आयोग, विभिन्न केन्द्रीय सरकारी मंत्रालयों, विभागों तथा केन्द्रीय सरकार के संगठनों के सतर्कता प्रशासन की निगरानी करेगा;
- जांच कार्यों का संचालन करते समय, कुछ पहलुओं के संबंध में, आयोग को सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे;
- आयोग, केन्द्रीय सरकार तथा इसके संगठनों को उन मामलों पर सलाह देगा जो इनके द्वारा आयोग को भेजे जाएंगे;
- संघ के कार्यों से संबंधित लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित अथवा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामलों का नियंत्रण करने वाले कोई भी नियम अथवा विनियम बनाने से पहले आयोग से किए जाने वाले अनिवार्य परामर्श पर केन्द्र सरकार को उत्तर देना; तथा
- आयोग, लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जाँच करेगा अथवा करवाएगा तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगा;

## III केन्द्रीय सतर्कता आयोग का अधिकार क्षेत्र

1.4 केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 8(1)(घ) तथा 8(2)(क) के अनुसार, आयोग का अधिकार क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' स्तर के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के निगमों, सरकारी कंपनियों, समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में ऐसे स्तर के अधिकारियों तक विस्तृत है जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित किया जाए ।

**अधिनियम के अन्तर्गत आयोग का वर्तमान अधिकार क्षेत्र**

- अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य जो संघ के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहे हैं तथा केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारी ।
- केन्द्र सरकार के अनुसूची 'क' तथा 'ख' सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्डल एवं ई-8 तथा इससे उपर के अन्य अधिकारी;
- केन्द्र सरकार के अनुसूची 'ग' तथा 'घ' सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक तथा कार्यपालक मण्डल एवं ई-7 तथा इससे उपर के अन्य अधिकारी;
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में श्रेणी V के स्तर के तथा उससे उपर के स्तर के अधिकारी;
- भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा सिडबी में श्रेणी 'घ' तथा इससे उपर के स्तर के अधिकारी ।
- सामान्य बीमा कंपनियों में प्रबन्धक एवं इससे उपर के अधिकारी ।

- जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ मण्डलीय प्रबन्धक एवं इससे उपर के अधिकारी; तथा
- केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन समितियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों में केन्द्र सरकार डी.ए. प्रतिमान पर 8700/- रू0 प्रतिमाह तथा इससे उपर वेतन पानेवाले अधिकारी ।

1.5 **तथापि, आयोग अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र से बाहर के कर्मचारियों के संबंध में किसी मामले में जांच करने का अपना विशेष अधिकार बरकरार रखे हुए हैं ।** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों के मध्य मतभेद वाले मामले भी आयोग द्वारा सुलझाए जाते हैं भले ही इनमें शामिल कर्मचारियों का स्तर/श्रेणी कुछ भी हो ।

**केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति**

दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6 के बाद निम्नलिखित धारा का समावेश करने का प्रावधान अधिनियम में है ।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लिए बिना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभिकथित रूप से किए गए किसी भी अपराध में कोई भी जांच अथवा अन्वेषण नहीं करेगी जब भी ऐसे आरोप निम्न से संबंधित हो :

- केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के तथा इससे उपर के स्तर के अधिकारी; तथा
- ऐसे अधिकारी जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा अथवा इसके अन्तर्गत स्थापित निगमों, सरकारी कम्पनी, समितियों तथा उस सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों में नियुक्त किया गया हो ।

तथापि, उन मामलों में यह स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा जिनमें वैध पारिश्रमिक के अलावा कोई अन्य पारितोषक स्वीकार करने अथवा स्वीकार करने का प्रयास किए जाने के आरोप पर किसी व्यक्ति को तुरन्त हिरासत में लिया जाना हो ।

## IV लोकहित प्रकटीकरण संकल्प

1.6 सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक लोकहित याचिका के जवाब में, सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को आदेश दिया कि "पर्दाफाशों" से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए, इस दिशा में एक उचित कानून का निर्माण हो जाने तक एक उचित तन्त्र बनाया जाए । **केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 21 अप्रैल, 2004 के लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के माध्यम से केन्द्रीय सतर्कता आयोग को "पर्दाफाशों" से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने वाले एक अभिकरण के रूप में नामित किया है** । "पर्दाफाश संकल्प" के नाम से प्रसिद्व इस संकल्प के अनुसार, "लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण" संकल्प के अंतर्गत पर्दाफाशों को उत्पीड़न

से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शिकायत देने वाले शिकायतकर्ताओं की पहचान गुप्त रखने का उत्तरदायित्व तथा प्रयोजनमूलक एवं परेशान करने वाली शिकायतें देने वाले शिकायतकर्ताओं के विरूद्व कार्रवाई करने का अधिकार, आयोग को सौंपा गया है । यद्यपि, सीधे पर्यवेक्षण के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 आयोग की अधिकारिता को मुख्यत: समूह 'क' अधिकारियों तक तथा अधिकारियों के ऐसे स्तर तक जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, परिभाषित करता है तथापि भारत सरकार के वर्ष 2004 के **'लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण'** संकल्प में आयोग पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है ।

**'पर्दाफाश' संकल्प की महत्वपूर्ण विशेषताएँ**

- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, एक मनोनीत अभिकरण के रूप में (जिसे आगे आयोग कहा गया है), केन्द्रीय सरकार अथवा किसी भी केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी भी निगम, सरकारी कंपनी, समिति, अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने अथवा कार्यालय का दुरूपयोग किए जाने के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायतें अथवा सूचनाएं प्राप्त करेगा ।
- आयोग, शिकायतकर्ता की पहचान का पता करेगा; यदि शिकायत अनाम है, यह इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा।
- शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता स्वयं शिकायत के विवरणों को सार्वजनिक नहीं करता है अथवा अपनी पहचान किसी अन्य कार्यालय अथवा प्राधिकरण को प्रकट नहीं करता है ।
- आगे रिपोर्ट/अन्वेषण के लिए कहते समय, आयोग मुखबिर की पहचान नहीं बताएगा तथा संबंधित संगठन के अध्यक्ष से मुखबिर की पहचान गुप्त बनाए रखने का अनुरोध भी करेगा, यदि किसी भी कारण से पहचान ज्ञात हो जाती है ।
- आयोग को यह प्राधिकार होगा कि यह प्राप्त शिकायतों पर अन्वेषण पूरा करवाने हेतु सभी प्रकार की सहायता के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस प्राधिकारियों, जैसा भी आवश्यक समझा जाए, को बुला सकता है ।
- यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी कार्रवाई से दुखी है कि उसे इस तथ्य के कारण सताया जा रहा है कि उसने शिकायत की है अथवा सूचना दी है तो वह मामले में सहायता प्राप्त करने के लिए आयोग के समक्ष आवेदन दे सकता है जिसमें आयोग व्यक्ति अथवा संबंधित प्राधिकारी को उचित निदेश दे सकता है ।
- यदि आयोग की राय यह है कि शिकायतकर्ता अथवा गवाह को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है तो यह संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को उचित निदेश जारी करेगा ।
- यदि आयोग को प्रयोजनमूलक अथवा परेशान करने वाली शिकायत प्राप्त होती है तो यह उनमें उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा ।
- आयोग ऐसी किसी भी सूचना पर कार्रवाई नहीं करेगा अथवा जाँच नहीं करवाएगा

जिसके संबंध में लोक सेवक जाँच अधिनियम, 1850 के अन्तर्गत एक औपचारिक तथा सार्वजनिक जाँच का आदेश दिया जा चुका है अथवा ऐसा मामला जिसे जाँच अधिनियम आयोग, 1952 के अन्तर्गत जाँच हेतु भेजा गया है ।

- मुखबिर की पहचान गुप्त रखे जाने के आयोग के निर्देशों के बावजूद यदि मुखबिर की पहचान प्रकट की जाती है तो यह पहचान प्रकट करने वाले व्यक्ति अथवा एजेंसी के विरूद्ध वर्तमान नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार आयोग को प्राप्त है ।

1.7 " लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण" संकल्प के अभिप्राय को ध्यान में रखते हुए शिकायतें देने हेतु आयोग ने एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है । जनता को यह प्रोत्साहित करने के लिए कि वे बिना किसी भय के आगे आएं तथा भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप पर शिकायत दें अथवा प्रकटीकरण करें, आयोग ने लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प का व्यापक प्रचार भी किया है । इस संकल्प के अंतर्गत, केवल ऐसे शिकायतकर्ता सुरक्षा पाने के हकदार होंगे जो इस प्रक्रिया का पालन करेंगे ।

## V परामर्शी भूमिका

1.8 आयोग की सलाहकारी भूमिका के अन्तर्गत सतर्कता प्रशासन के वे सभी मामले आते हैं जो केन्द्रीय सरकार के विभागों/संगठनों द्वारा आयोग को भेजे गए होते हैं । ऐसे मामले में जिसमें पहले आयोग द्वारा रिपोर्ट मांगी गई होती है उनमें आगे कार्रवाई करने से पहले संगठनों के लिए आयोग की सलाह लेना अनिवार्य है ।

1.9 मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई अन्वेषण रिपोर्टों की आयोग में जांच की जाती है तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्यों/रिकार्डों के आधार पर आयोग, (क) मामले में शामिल लोक सेवक (सेवकों) के विरूद्ध आपराधिक और/या नियमित विभागीय कार्रवाई (बड़ी अथवा छोटी) प्रारंभ करने की; (ख) संबंधित लोक सेवकों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने की ; अथवा (ग) प्रथम चरण की सलाह के रूप में मामला बन्द करने की सलाह देता है ।

1.10 जांच कार्यवाहियों के समाप्त होने पर बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों की सलाह दिए गए मामलों में आयोग दूसरे चरण की सलाह देता है, ऐसे मामलों में भी आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है जहां विशेष परिस्थितियों के कारण जांच कार्यवाहियाँ करना संभव ना हो । ऐसे मामलों में जिनमें आयोग ने लघु शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह दी हो उनमें दूसरे चरण की सलाह लेना आवश्यक नहीं है यदि संबंधित संगठन ने विनिर्दिष्ट लघु शास्तियों में से एक लगाने का निर्णय लिया है । संबंधित अधिकारी के रक्षा बयान पर विचार करने के पश्चात् यदि संबंधित प्राधिकारी उसकी दोष मुक्ति का प्रस्ताव करें तो अंतिम आदेश जारी करने से पहले आयोग से सलाह लेना आवश्यक है ।

## VI वर्तमान आयोग की रचना

1.11 केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अनुसरण में आयोग में अध्यक्ष के रूप में एक केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सदस्यों के रूप में दो सतर्कता आयुक्त हैं । केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त तथा सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिशों पर की जाती है जिसमें (क) प्रधानमंत्री (ख) गृह मंत्री तथा (ग) लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं । वर्तमान में, श्री प्रत्यूष सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त हैं ।

## VII स्टाफ रचना

1.12 भारत सरकार के अपर सचिव के स्तर के एक सचिव, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के दो अपर सचिव तथा अन्य स्टाफ केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करते हैं जिसमें (निदेशक/उप सचिव के स्तर के ) 28 अधिकारी, दो विशेष कार्य अधिकारी तथा चार अवर सचिव शामिल हैं । आयोग, निदेशक/उप-सचिव की सेवाओं का उपयोग विभागीय जांच आयुक्तों के रूप में भी करता है जो वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध सतर्कता प्रकृति के गंभीर आरोपों वाले अनुशासनिक मामलों में अनुशासनिक प्राधिकारियों की ओर से बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों के संबंध में विभागीय जांच करते हैं । 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार, आयोग की समूहवार स्टाफ संख्या तथा सम्बद्ध सूचना **अनुबंध-I** में दी गई है ।

## VIII तकनीकी स्कन्ध

1.13 मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक जो कि आयोग का तकनीकी स्कन्ध है, तकनीकी पहलुओं वाले मामलों में, आयोग का दृष्टिकोण प्रतिपादित करने में आयोग की सहायता करता है तथा केन्द्रीय सरकारी संगठनों की बड़ी सिविल/विद्युत/बागवानी तथा अन्य परियोजनाओं की तथा बड़े प्रापणों की गहन जांच करता है । इस स्कंध में (मुख्य इंजीनियर के स्तर के) दो मुख्य तकनीकी परीक्षक हैं जिनकी सहायता (कार्यपालक इंजीनियर के स्तर के) 8 तकनीकी परीक्षक, (सहायक इंजीनियर के स्तर के) 6 सहायक तकनीकी परीक्षक तथा अन्य सहायक स्टाफ करते हैं ।

1.14 ठेकों की कीमत तथा संगठनों के जोखिम बोध को ध्यान में रखते हुए मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक गहन जांच के लिए कार्यों अथवा ठेकों का चयन मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा आयोग को भेजी जा रही तिमाही प्रगति रिपोर्टों में से करता है । मुख्य सतर्कता अधिकारियों को प्रगति पर चल रहे एक करोड़ रू0 से अधिक ठेका मूल्य वाले सिविल कार्यों, 30 लाख रू0 से अधिक लागत वाले विद्युत/मैकेनिकल/इलैक्ट्रानिक्स ठेकों, 2 लाख रू0 से अधिक के बागवानी कार्यों तथा 2 करोड़ रू0 से अधिक मूल्य वाले भंडार/खरीद ठेकों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने होते हैं ।

## IX मुख्य सतर्कता अधिकारी

1.15 **आयोग की सामान्य परामर्शी अधिकारिता में आने वाले प्रत्येक विभाग/संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में एक सतर्कता एकक होता है । मुख्य सतर्कता अधिकारी, आयोग की विस्तृत शाखाओं के रूप में कार्य करते हैं** तथा आयोग की सामान्य अधिकारिता में ना आने वाले कनिष्ठ अधिकारियों के मामलों सहित सभी सतर्कता मामलों के संबंध में आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं । मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सतर्कता सतर्कता प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में उचित सलाह/विशेषज्ञता देकर संबंधित संगठन के अध्यक्ष को सहायता देनी होती है तथा साथ ही प्रणालीगत असफलताओं/बचाव के रास्तों को बन्द करने के लिए प्रभावी प्रणाली तथा प्रक्रियाएं स्थापित करनी होती हैं । मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सतर्कता मामलों, विशेषकर अनुशासनिक मामलों पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई भी सुनिश्चित करनी होती है । मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ संपर्क के एक प्रभावी उपाय के रूप में, आयोग में मुख्य सतर्कता अधिकारियों से मासिक रिपोर्टें तथा वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करने की एक प्रणाली है तथा अपने पुनरीक्षण एवं निगरानी तंत्र के एक हिस्से के रूप में आयोग, सभी महत्वपूर्ण सरकारी विभागों/संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा सभाएं आयोजित करता है । इसके अतिरिक्त, जब भी आवश्यक हो, आयोग मुख्य सतर्कता अधिकारियों को उनके संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए पृथक रूप से आमंत्रित करता है ।

1.16 आयोग, मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा अन्य सतर्कता कार्मिकों के प्रशिक्षण को भी अत्यधिक महत्व देता है तथा इन कार्यकारियों के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्रशिक्षण अकादमी, गाजियाबाद में नियमित प्रशिक्षण आयोजित करता है । इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा नियमित संयोजन कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ।

1.17 इस समय, भारत सरकार के छः विभागों (अर्थात केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, रेल मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों, बैंकों तथा बीमा कंपनियों में पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जबकि अन्यों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं । मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पूर्णकालिक पदों की कुल संख्या 196 है । अन्य संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्य, अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाते है जो संबंधित संगठन में ही कार्य कर रहे उचित स्तर के अधिकारी होते हैं ।

1.18 वर्ष 2009 के दौरान, आयोग ने विभिन्न विभागों/मंत्रालयों/स्वायत्त निकायों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 85 अधिकारियों के नामों सहित विभिन्न संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा संस्तुत 52 अधिकारियों की उपयुक्तता पर विचार किया ।

1.19 **आयोग ने बोर्ड स्तर नियुक्तियों के लिए 307 सतर्कता निकासियाँ भी प्रदान की ।** इसके अतिरिक्त, विभिन्न उद्देश्यों (जैसे पैनलबद्ध किए जाने, वैधानिक निकायों में नियुक्ति, अधिकरणों आदि में नियुक्ति) के लिए समूह 'क' के 2098 अधिकारियों को निकासी प्रदान की गई ।

## X सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

1.20 प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता तथा जिम्मेवारी को प्रोत्साहन देने के लिए जून, 2005 में संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पास किया गया ताकि लोकहित से वास्ता रखने वाली, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान किया जा सके । इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त करने तथा इन प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए **आयोग ने, आयोग में एक सूचना अधिकार कक्ष स्थापित किया है ।** निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव के स्तर के 18 अधिकारी, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त तथा कार्यरत हैं तथा आयोग के अपर सचिव के स्तर के एक अधिकारी को अपील प्राधिकारी नियुक्त किया गया है ।

1.21 वर्ष 2009 के दौरान, 1496 आवेदन प्राप्त हुए तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1398 आवेदनों का निपटारा किया गया । आयोग के अपील प्राधिकारी के समक्ष, प्रथम अपील के रूप में 303 अपील दायर की गई जिसमें से 272 अपील मामले निपटाए गए । 44 अपीलकर्ताओं ने केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील दायर की जिसमें से 03 का निपटान किया गया । वर्ष 2009 के अंत में, 98 सूचना अधिकार अधिनियम आवेदन तथा आयोग के अपील प्राधिकारी को दी गई 31 अपील निपटान हेतु लंबित थी ।

## अध्याय-2

## प्रेक्षण एवं उपक्रमण

### I सामान्य प्रेक्षण

2.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता प्रशासन का निरीक्षण करने में तथा भ्रष्टाचार रोधी नीतियों का कार्यान्वयन करने में गहरा अनुभव रखने वाला एक नोडल अभिकरण है । यह संस्थान पिछले 45 वर्षों में विकसित हुआ है तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वर्तमान जोर, भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष करने वाले प्रभावी निवारक उपायों को लागू करने तथा साथ ही सरकार के कार्यों में पारदर्शिता तथा जिम्मेवारी बढ़ाने पर है । उत्तम अभिशासन पर बल दिए जाने के अनुरूप, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों में प्रचलित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को गहराई से देखता है तथा प्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं सुधारों की सिफारिश करता है ।

2.2 आयोग, निविदा प्रक्रिया में ईमानदारी तथा पारदर्शिता का प्रबल समर्थन करता है तथा, अत:, सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में सभी निविदा आमंत्रण सूचनाओं तथा अन्व गतिविधियों का व्यापक प्रचार किए जाने की सिफारिश करता है तथा ई-निविदा एवं प्रापण तकनीकों पर जोर देते हुए संहिताबद्ध निविदा प्रक्रियाओं को अपनाने की सिफारिश करता है । भुगतानों को सरल बनाने तथा ठेकेदारों के लंबित भुगतानों पर प्रभावी निगाह रखने के लिए आयोग, ई-भुगतान साधनों तथा विभिन्न अन्य रियल टाइम बैंकिंग तकनीकें अपनाने की तथा साथ ही भुगतानों के संग्रहण में सार्वजनिक अंतरापृष्ठ की कमी करने की सिफारिश करता रहा है ।

2.3 आयोग हाल ही में, सभी सरकारी संगठनों को सलाह देता रहा है कि एक निवारक उपाय के रूप में वे एक सुदृढ़ आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र विकसित करें । सरकारी विभागों में लोक व्यय एवं राजस्व का आकार एवं स्वरूप तथा उनकी लेखा परीक्षा, सरकार में प्रभावी अभिशासन की प्रकृति दर्शाती है । अच्छे अभिशासन की एक नीति के रूप में, आयोग सुदृढ़ आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणालियों पर बल दिए जाने का जोरदार समर्थन कर रहा है ।

2.4 यह एक सुस्वीकार्य तथ्य है कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध आंदोलन में नागरिक समाज तथा गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना होगा जो कि बड़े स्तर पर समाज को प्रभावी रूप से संदेश दे सकते हैं । नागरिक निकायों को सक्रिय रूप से शामिल किए बिना तथा जनता को पूर्ण रूप से शामिल किए बिना, भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष प्रभावी नहीं होगा । अत:, आयोग प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क रखता है तथा इसने प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भ्रष्टाचार विश्लेषण प्रारंभ किया है तथा इसने भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता की अवधारणा आरंभ की है ।

2.5 अभिशासी अभिकरणों द्वारा अपनाए गए अनैतिक मार्गों तथा उपायों पर निगरानी रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग ने यह संभव किया है कि वे लगातार संपर्क में रह सकें तथा भ्रष्ट गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक प्रणाली विज्ञान तथा प्रक्रियाओं पर विचारों का आदान-प्रदान कर सकें ।

2.6 लोक सेवाओं के उपभोक्ताओं के मध्य जागरूकता बढ़ने तथा भारत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बढ़ती रूचि के परिणामस्वरुप, सार्वजनिक जीवन में से भ्रष्टाचार के उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण रूप में योगदान दे सकने योग्य एक शीर्षस्थ अभिकरण के रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग से आशा रखने में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।

2.7 आयोग की राय यह भी है कि निवारक तकनीकें विकसित करना तथा उन्हें प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना, सतर्कता प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें लोक प्रशासन से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने में पारदर्शिता, ईमानदारी, वास्तविकता तथा समय पर उत्तर देना शामिल है । एक तत्पर, प्रभावनीय, उत्तरदायी, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार रहित सरकारी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए, गुणात्मक निर्णय लेने की एक प्रक्रिया सुनिश्चित करके आयोग, अपनी ओर से प्रत्येक संभव उपाय कर रहा है । आयोग ने इस संबंध में अनेक पहल की हैं जिनमें से कुछ का विवेचन नीचे दिया गया है:-

**(i) अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों द्वारा स्वत:पूर्ण, स्पष्ट आदेश जारी करने की आवश्यकता ।**

2.7.1 आयोग की जानकारी में यह आया है कि सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अनुशासनिक मामलों में पास किए गए अंतिम आदेश विवेक का उचित प्रयोग किए जाने के सूचक नहीं हैं बल्कि ये आयोग की सिफारिशों का पृष्ठांकन मात्र हैं जो इस अवांछित अनुमान की ओर ले जाते हैं कि अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह के प्रभाव में निर्णय लिया है । यह भी देखा गया है कि अनुशासनिक प्राधिकारी, संबंधित कर्मचारियों को आयोग की सलाह की प्रति उपलब्ध नहीं कराते हैं ।

2.7.2 आयोग ने अपने पिछले दृष्टिकोण को दोहराते हुए सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए कि अनुशासनिक मामलों में आयोग की सलाह की प्रकृति सलाहकारी है तथा यह संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के लिए है कि वह अपने विवेक का उपयोग करें । अंतिम आदेश पास करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी को यह स्पष्ट करना होगा कि आयोग से परामर्श ले लिया गया है तथा विवेक का विधिवत उपयोग करने के पश्चात, अंतिम आदेश पास किए गए हैं ।

**(ii) आयोग को संदर्भ भेजने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना ।**

2.7.3 अन्वेषण रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा फोकस को सुधारने की दृष्टि से आयोग ने एक नया रिपोर्टिंग प्रपत्र बनाया है । यह मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा दिए गए तथ्यों, साक्ष्य तथा सिफारिशों पर अत्यधिक बल देता है अत:, रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक आश्वासन ज्ञापन अन्वेषण रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न होना चाहिए जिसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी यथोचित जिम्मेवारी लें तथा विवेक का विस्तृत प्रयोग किए जाने का आश्वासन दें । इसमें यह प्रावधान भी है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दस्तावेज/साक्ष्य जो आरोप के लिए मूल साक्ष्य का गठन करते हैं, सुव्यवस्थित रूप से पहचाने गए हों तथा व्यवस्थित हों । अनावश्यक तथा भारी दस्तावेज जिनकी जांच किए जा रहे कदाचार के साथ कुछ अथवा कोई संबद्धता ना हो, मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने पास ही रोके

रखेगें । यदि किसी अतिरिक्त सामग्री अथवा साक्ष्य की आवश्यकता होती है तो सलाह दिए जाने से पहले यह आयोग द्वारा मांगे जा सकते हैं ।

### (iii) मुख्य सतर्कता अधिकारियों की शिकायतों तक पहुंच ।

2.7.4 लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार अथवा दुर्व्यवहार के बारे में सूचना देने वाली शिकायतें विकेन्द्रीकृत रीति में प्राप्त होती हैं । मुख्य सतर्कता अधिकारी बहुत से विकेन्द्रीकृत स्थानों से भी शिकायतें प्राप्त करते हैं । वर्तमान रीति के अनुसार, विभिन्न विकेन्द्रीकृत स्थानों से मुख्य सतर्कता अधिकारियों को जो कुछ भी भेजा जाता है वह पूर्णतया: इन विकेन्द्रीकृत स्थानों को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों द्वारा 'सतर्कता पहलू' के मूल्यांकन अथवा अन्यथा पर आधारित होता है । ऐसी प्रणाली में बहुत संभावना है कि मूल्यांकन के अभाव के कारण अथवा अन्य यथार्थ कारणों से सतर्कता पहलू वाली शिकायत मुख्य सतर्कता अधिकारी को ना भेजी जा सके । आयोग द्वारा कुछ संगठनों में सतर्कता अंकेक्षण किए जाने से भी यह प्रकट हुआ है ।

2.7.5 आयोग की यह राय है कि सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी संबंधित विभाग/संगठन के अन्य प्रभागों/एककों द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों/समस्याओं आदि की एक सतत आधार पर संवीक्षा करें तथा सुनिश्चित करें कि यदि इन शिकायतों में सतर्कता पहलू वाले मुद्दे/आरोप हैं तो इन्हे सतर्कता विभाग में उचित रूप से कार्रवाई करने हेतु उन्हें भेजा जाए ।

### (iv) आयोग द्वारा बैंकों की सतर्कता लेखा परीक्षा में सामान्य प्रेक्षण

2.7.6 आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों की सतर्कता लेखा परीक्षा संचालित की तथा ध्यान में आए सामान्य प्रेक्षणों को आवश्यक उपचारी कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्रबंधन के ध्यान में लाया गया । कुछ मुख्य प्रेक्षण निम्न हैं:

(i) एक तंत्र का विकास करने की आवश्यकता है जिससे सतर्कता विभाग बैंक में प्राप्त सभी शिकायतों के बारे में जान पाएं ताकि वे सतर्कता पहलू अथवा अन्य का निर्धारण कर सकें ।

(ii) बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त नहीं होती जैसे (क) क्विक मोर्टालिटी बोरोअल अकाउन्टस, (ख) शाखा निरीक्षण करते समय आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा दल द्वारा भेजे गए विशेष पत्र/रिपोर्ट, (ग) निरीक्षण के वर्गीकरण में, शाखा का नाम तथा निरीक्षण रिपोर्ट जिसको 'असंतोषजनक' वर्ग में डाल दिया है, (घ) चयन के आधार पर ओटीएस का विवरण जिसको विशेष रूप से उच्च मूल्य लेखा में दर्ज किया गया है तथा (ङ) एनपीए/क्विक मोर्टालिटी अकाउन्टस हो गए लेखों के संबंध में उत्तरदायित्व तय करना । नियमित आधार पर मुख्य सतर्कता अधिकारी को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्था/तंत्र को उचित प्रकार से रखने की आवश्यकता है ।

(iii) आंतरिक सलाहकार समिति के प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु बैंक विस्तृत दिशानिर्देश सूत्रबद्ध करें ताकि उचित चर्चा तथा सतर्कता पहलू निर्धारित करने में निर्णय को सरल बनाया जा सके ।

(iv) आयोग ने यह भी देखा कि आरोप पत्र जारी करने/मामलों के निपटान में विलंब हो रहा था, अन्वेषण की गुणवत्ता निम्न स्तर की थी तथा सतर्कता एककों में अकुशल कर्मचारियों को तैनात किया गया था । सभी बैंकों को सलाह दी गई कि वे सतर्कता कार्मिकों को समय-समय पर पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं ।

## II उपक्रमण

### (i) सत्यनिष्ठा सन्धि का अंगीकरण

2.8 प्रापण गतिविधि में से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए आयोग के नवीनतम उपक्रमणों में से एक सभी सरकारी संगठनों में बड़ी कीमत के ठेकों में सत्यनिष्ठा सन्धि का आरंभ होना है । संबंधित संगठन के लिए इस सन्धि का अंगीकरण करना स्वैच्छिक है । यह सन्धि बोली के चरण से लेकर ठेके में अंतिम भुगतान किए जाने तक किसी भी व्यक्ति की ओर से किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को टालने के लिए क्रेता तथा विक्रेता के मध्य एक बोली पूर्व अनुबंध पर विचार करती है । सत्यनिष्ठा सन्धि, इसके कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए तथा सन्धि का उल्लंघन किए जाने संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए एक प्रतिष्ठित स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक की नियुक्ति पर विचार करती है ।

2.8.1 यह समझौता प्रत्याशित विक्रेताओं/बोलीदाताओं तथा क्रेताओं के मध्य एक अनुबंध पर अनिवार्यत विचार करता है जिसमें दोनों पक्षों के व्यक्ति/कर्मचारी ठेके के किसी भी पहलू में किसी भी प्रकार का भ्रष्ट प्रभाव ना डालने की प्रतिज्ञा करते हैं । केवल वही विक्रेता/बोलीदाता, बोली में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे जो यह सत्यनिष्ठा समझौता करेंगे । दूसरे शब्दों में, यह समझौता करना एक प्रांरभिक योग्यता होगी । किसी भी ठेके के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता, बोली आमंत्रण के चरण से प्रभावी होगी तथा ठेके के सम्पूर्ण निष्पादन हो जाने तक यह कायम रहेगी ।

2.8.2 यह देखा गया है कि अनेक संगठनों ने सत्यनिष्ठा सन्धि के अंगीकरण में रूचि दर्शाई है । एक नई प्रणाली का अंगीकरण करने से इसके परिचालानात्मक पहलू पर प्रश्न तथा सुझाव उठना अनिवार्य है । सीमित प्रापण गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों को सत्यनिष्ठा सन्धि के अंगीकरण से छूट दी है । आयोग द्वारा स्पष्ट किए गए सामान्य प्रकृति के कुछ प्रश्नों को नीचे दिया गया है:-

क) किसी संगठन में सत्यनिष्ठा पैक्ट का अंगीकरण स्वैच्छिक है, परंतु एक बार अंगीकरण करने पर, एक निर्दिष्ट अवसीमा मूल्य से अधिक की सभी निविदाएं/प्रापण इसमें कवर करना चाहिए, यह अवसीमा मूल्य संगठन द्वारा स्वंय निर्धारित किया जाए ।

ख) सत्यनिष्ठा पैक्ट में अनुबन्ध के सभी चरणों को कवर करना चाहिए जैसे निविदा आंमत्रण सूचना चरण/बोली-पूर्व चरण से अंतिम भुगतान चरण तक अथवा वारंटी/गारंटी आदि के माध्यम से कवर उससे भी अधिक बाद के चरण तक ।

ग) सत्यनिष्ठा पैक्ट के कार्यान्वयन में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक महत्वपूर्ण होते हैं तथा निविदा आमंत्रण सूचना में कम से कम एक स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक को सर्वदा उद्धृत करना

चाहिए । तथापि, किसी निविदा प्रक्रिया से उठी शिकायतों पर कार्रवाई करने में वांछित पारदर्शिता तथा वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के पूरे पैनल को मामला भेज देना चाहिए, जो रिकार्ड का परीक्षण, जांच का संचालन करेंगे तथा अपने संयुक्त निष्कर्ष देते हुए प्रबंधन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

घ) सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रमों, में अधिकतम तीन स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकतम दो स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को नियुक्त किया जाएगा । तथापि, संगठन आयोग के अनुमोदन के लिए तीन नामों से अधिक का पैनल भेज सकते हैं । वृहत्त क्षेत्र में फैले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अथवा जिनकी कई सहायक कंपनी हैं उनके लिए आयोग बड़ी संख्या में स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के अनुमोदन के लिए विचार कर सकता है, परंतु किसी एक सहायक कंपनी में दो स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों से अधिक नियुक्त नहीं किए जाएंगे ।

ङ) स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों को दिया जाने वाला पारश्रमिक, संगठन में स्वतंत्र निदेशकों के बराबर रखा जा सकता है ।

2.8.3 महत्वपूर्ण सरकारी विभागों/संगठनों में सत्यनिष्ठा सन्धि का अंगीकरण करने हेतु आयोग ने एक मानक परिचालन प्रक्रिया सूत्रबद्ध की है तथा दिनांक 18.05.2009 की सं0 10/5/09 द्वारा सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी किया है जो आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है । इस मानक परिचालन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा सन्धि की विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया, स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की भूमिका एवं कार्यों, सत्यनिष्ठा सन्धि के आन्तरिक आकलन की प्रक्रिया आदि का विवरण दिया गया है । आयोग ने आगे यह भी स्पष्ट किया है कि सत्यनिष्ठा सन्धि के प्रभाव की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जानी चाहिए ।

**(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सतर्कता प्रशासन ।**

2.8.4 आयोग ने यह प्रेक्षित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों द्वारा प्रायोजित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एक समान सतर्कता व्यवस्था अथवा सतर्कता प्रशासन का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है । आयोग द्वारा सलाह दिए गए कुछ प्रयास/पहल निम्न है:

(i) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वरिष्ठ प्रबंधकों की अध्यक्षता में सतर्कता प्रकोष्ठ की स्थापना ।
(ii) आयोग की शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति तथा पर्दाफाश नीति का कार्यान्वयन ।
(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उन कर्मचारियों के संबंध में आयोग की सलाह लेना जो आयोग की सामान्य परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं ।
(iv) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखाओं का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सतर्कता अनुभागों के अधिकारियों द्वारा सीधी नियमित निवारक सतर्कता दौरा ।
(v) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी कर्मचारियों का कार्यावर्तन तथा वार्षिक संपत्ति विवरणी का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करना ।
(vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सतर्कता अनुभागों द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को मासिक सतर्कता रिपोर्टें भेजना प्रारंभ करना ।

(vii) कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करना ।

**(iii) सतर्कता प्रशासन में सुधार हेतु प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाना**

2.8.5 यह अनुभव किया गया है कि पारदर्शिता का अभाव कार्यों में कदाचारों के अवसर उत्पन्न करता है जो भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं । प्रौद्योगिकी का प्रयोग कदाचारों का पता लगाने, कार्यों में हेर-फेर का पता लगाने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसके फलस्वरूप इसकी सतर्कता तथा कार्यों के साथ कुल उत्पादकता की सह-क्रिया होनी चाहिए । इलैक्ट्रोनिक नेटवर्क, अभिशासन की प्रक्रिया में शामिल लोगों की विभिन्न कार्यवाहियों के बारे में जनता को सूचना देना आसान बनाता है । साथ ही यह इस पर लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में अभिशासन प्रणाली को तात्कालिक प्रतिपुष्टि तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है ।

2.8.6 आयोग, उपलब्ध प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग द्वारा सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों में पारदर्शिता लाने पर बल देता रहा है । जो सरकारी कर्मचारियों के साथ जनता के व्यक्तिगत संपर्क किए जाने को न्यूनतम करती है और इस प्रकार अनुचित वित्तीय तथा अन्य लाभों के लिए अनुचित व्यवहारों में लिप्त होने के अवसरों को न्यूनतम करती है । ऐसी अनियमतिताओं से निपटने तथा सर्वांगी सुधार लाने के उद्देश्य से आयोग ने अपनी अधिकारिता में आने वाले सभी संगठनों को निदेश जारी किए कि वेबसाईट का व्यापक प्रयोग पणधारियों के साथ संवाद के एक उपाय के रूप में तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए करें ।

**(iv) ई-निविदा समाधान का कार्यान्वयन ।**

2.8.7 आयोग ने दिशानिर्देश जारी किए जिनमें संगठनों को सलाह दी गई कि उनके ई-निविदा समाधान के कार्यान्वयन के लिए अनुप्रयोग सेवा उपलब्ध कराने वालों के चयन में उचित, पारदर्शी तथा खुली निविदा प्रक्रिया का पालन किया जाए । इसके अतिरिक्त, ऐसा करते समय संगठन यह देखने हेतु उचित सावधानी बरतें कि किसी भी दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रणाली में प्रभावकारी सुरक्षा प्रावधान कर दिए गए हैं । ई-प्रापण प्रणाली के लिए सुरक्षा विचारों पर आयोग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में इनके लिए सुरक्षा के अनुप्रयोग शामिल हैं; क) आधारभूत संरचना स्तर, ख) अभिकल्प, ग) अनुप्रयोग नियोजन तथा उपयोग तथा घ) आंकड़े संग्रहण तथा संप्रेषण । इसके अतिरिक्त, आयोग ने आंकड़ों की सुरक्षा के खतरे को कम करने के लिए एक राज्य में सभी विभागों द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु एकल प्लेटफार्म की आवश्यकता, सार्वजनिक कुंजी अवसरंचना के कार्यान्वयन तथा तृतीय पक्ष द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार लेखा परीक्षा किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है ।

**(v) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की कोर प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण तथा इसे सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ बनाना ।**

2.8.8 आयोग वित्तीय वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में पांच करोड़ रू0 की अनुमानित लागत पर एक कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ प्रक्रिया का कार्यान्वयन कर रहा है । सूचना प्रौद्योगिकी समर्थता अगस्त, 2010 में पूर्ण होने की आशा है । सम्पूर्ण कोर प्रक्रियाएं कम्प्यूटरीकृत होंगी तथा कागज का प्रयोग न्यूनतम हो जाएगा । सूचना प्रौद्योगिकी सामर्थ्य के परिणामस्वरुप आयोग में शिकायतों पर कार्रवाई, सतर्कता मामलों पर कार्रवाई तथा अन्य क्रियाकलाप सरल एवं

कारगर होंगे तथा आयोग में शिकायतों एवं सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करने में लगने वाले कुल समय में कमी होगी ।

### (vi) सरकारी संगठनों में बेहतर सतर्कता प्रशासन के लिए सर्वांगी सुधार

2.8.9 सरकार में सतर्कता प्रशासन में सुधार हेतु अपने प्रयासों में आयोग, निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में प्रणाली सुधार पर पहल करने पर जोर देता रहा है । यह देखा गया है कि कई बार कर्मचारी या तो प्रणालियों में कमी/अस्पष्टता का अथवा संगठन में प्रणालियों के अभाव का गलत लाभ लेते हैं । तदनुसार, मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे अपने संगठनों में वर्तमान प्रणालियों तथा नीतियों में कमियों की पहचान करें तथा उन त्रुटियों की पहचान करें जो ध्यान में आ चुकी प्रणालीगत कमियों के कारण उत्पन्न हुई हैं अथवा जिनके उत्पन्न होने की संभावना है । आयोग ने प्रणालियों के सुदृढ़करण/सुधार के लिए आवश्यक उपायों की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा पहचान किए गए सर्वांगी सुधार का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सतत आधार पर संगठन के प्रबंधन के साथ मामले को उठाया ताकि किसी भी प्रक्रिया/प्रणाली में अनिश्चितता अथवा छलबाजी की संभावना न रहे । आयोग ने भी "भर्ती" की पहचान एक ऐसे क्षेत्र के रूप में की है जहां छलबाजी किए जाने की संभावना हमेशा रहती है । विभिन्न अवसरों पर, आयोग ने प्रक्रियाओं को एक पारदर्शी रीति से सरल एवं कारगर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया ।

2.8.10 आयोग ने, सरकारी विभागों/संगठनों में सतर्कता प्रशासन में सुधार करने के एक भाग के रूप में मुख्य कार्यकारियों तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ अनेक सभाएं की । आयोग ने इन सभाओं के दौरान चिन्ता के निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया:-

i) चिन्ता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, सतर्कता प्रशासन में सुधार करने के लिए प्रौद्योगिकी के उत्तोलन पर आयोग के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन पर था जहां आयोग ने पाया कि संगठनों द्वारा गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं किए जा रहे थे । आयोग ने मुख्य सतर्कता अधिकारियों को बलपूर्वक सलाह दी कि इस विषय पर आयोग के दिशानिर्देशों का उचित रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें ।

ii) आयोग, अनुशासनिक कार्रवाई को शीघ्रतापूर्वक पूरा किए जाने की आवश्यकता पर बल देता रहा है विशेषकर उन अधिकारियों के विरूद्ध जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं । संदिग्ध लोक सेवक/आरोपी अधिकारी के विरूद्ध समय पर कार्रवाई करने में विलंब करने से कई बार उसे लाभ मिलता है । आयोग ने संगठनों को दोबारा निदेश दिया कि अनुशासनिक कार्रवाई करते समय वे दोषी अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को ध्यान में रखें ताकि अधिकारी के विरूद्ध उचित कार्रवाई संभव हो तथा संगठन में सही संकेत जाए ।

iii) आयोग सभी विभागों तथा संगठनों में सतर्कता ढांचे के मजबूतीकरण पर बल देता रहा है । मंत्रालयों तथा संगठनों को निदेश दिया गया है कि सतर्कता ढांचे में पुन: सुधार करें तथा सतर्कता में कार्य कर रहे कर्मचारियों को सतर्कता प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करें । इस संबंध में अनेक संगठनों ने आयोग से सहयोग तथा मार्गदर्शन मांगा है तथा जब भी संभव होता है आयोग, अतिथि संकाय और अन्य सहायता उपलब्ध कराता है ।

iv) आयोग ने मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए अनिवार्य किया है कि वे संगठन के सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ नियमित आधार पर 'संरचनात्मक सभाएं' करें तथा सुनिश्चित करें कि इन सभाओं का कार्यवृत्त रिकार्ड में रखा गया है ।

**(vii) तकनीकी सतर्कता अंकेक्षण आरंभ करना ।**

2.8.11 प्रापणों एवं परियोजनाओं में व्यवहार करने वाले महत्वपूर्ण संगठनों में तकनीकी सतर्कता अंकेक्षण की एक प्रणाली प्रारंभ करके निवारक सतर्कता का दायरा बढ़ाने का विचार आयोग करता रहा है । वर्ष के दौरान, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों तथा मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ सभाओं की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई ताकि इस अंकेक्षण पर उनके विचार प्राप्त हो सकें तथा इसकी रूपात्मकता बनाई जा सके । परामर्श एवं सुझावों के आधार पर, एक तकनीकी सतर्कता अंकेक्षण मैनुअल तैयार किया जा रहा है तथा अंकेक्षण प्रारंभ करने के लिए अगले कदम आयोग के विचाराधीन हैं ।

## अध्याय - 3

## वर्ष 2009 के दौरान आयोग के कार्यकलाप

3.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग सलाह के लिए प्राप्त मामलों पर समय से कार्रवाई किए जाने को अत्यधिक महत्व देता है । इस उद्देश्य के साथ, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा विकसित एक कम्प्यूटरीकृत फाइल ट्रेकिंग प्रणाली अपनाई गई है ।

### I आयोग द्वारा सतर्कता मामलों पर सलाह

3.2 **आयोग, अपनी ओर से, अपनी सलाह चार सप्ताह के भीतर देने का हर संभव प्रयास करता है तथा वर्ष 2009 में 31.6% से अधिक मामलों में सलाह, मामले प्राप्त होने से तीन सप्ताह के भीतर दी गई ।** लगभग 68.4% मामलों में चार सप्ताह से अधिक का विलंब हुआ । आयोग द्वारा सलाह दिए जाने में विलंब का मुख्य कारण, संगठनों द्वारा मामले से संबंधित पूरे तथ्य उपलब्ध ना कराना था अथवा उनकी सिफारिशें/प्रदत्त सामग्री में तर्कसंगति नहीं थी और इसलिए आयोग ने और अधिक स्पष्टीकरण मांगे थे । निदेशक/उप सचिव के महत्वपूर्ण स्तर पर 20% से अधिक पद वर्ष में अधिकतर समय रिक्त रहने के कारण भी विलंब हुआ । आयोग द्वारा सलाह देने में लिए गए समय का विवरण **चार्ट-1** में दिया गया है ।

**चार्ट-1**

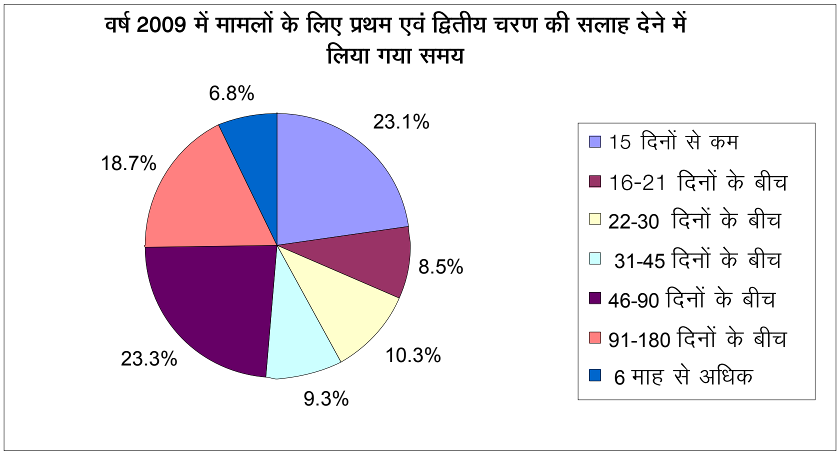


3.3 आयोग द्वारा की जा रही निरंतर निगरानी तथा अपनी सलाह के कार्यान्वयन हेतु इसके प्रयासों के परिणामस्वरुप, वर्ष 2009 के दौरान संबंधित संगठनों ने ऐसे मामलों में 2429 अधिकारियों पर शास्तियां लगाई जिनमें आयोग ने आरोपी अधिकारी पर उचित शास्ति लगाने की सलाह दी थी । ऐसे मामलों का प्रतिशत जिनमें दण्ड दिए गए, आयोग में प्राप्त मामलों की संख्या की तुलना में 42% आंका गया है जो आयोग के सतर्कता प्रशासन की प्रभावकता तथा विभिन्न संगठनों पर इसकी निगरानी का सूचक है । **चार्ट-2, 3 तथा 4** आयोग में प्राप्त मामलों की संख्या तथा आयोग की सलाह के आधार पर विभिन्न संगठनों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई शास्तियों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन बताते हैं ।

## चार्ट-2

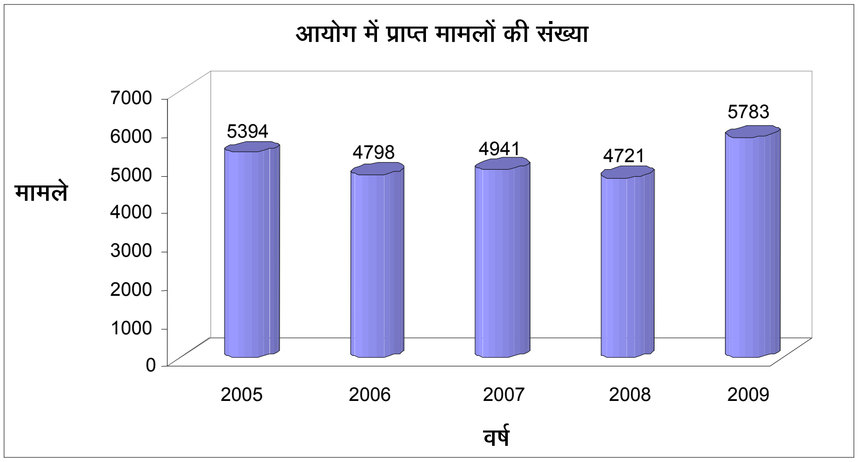


## चार्ट-3

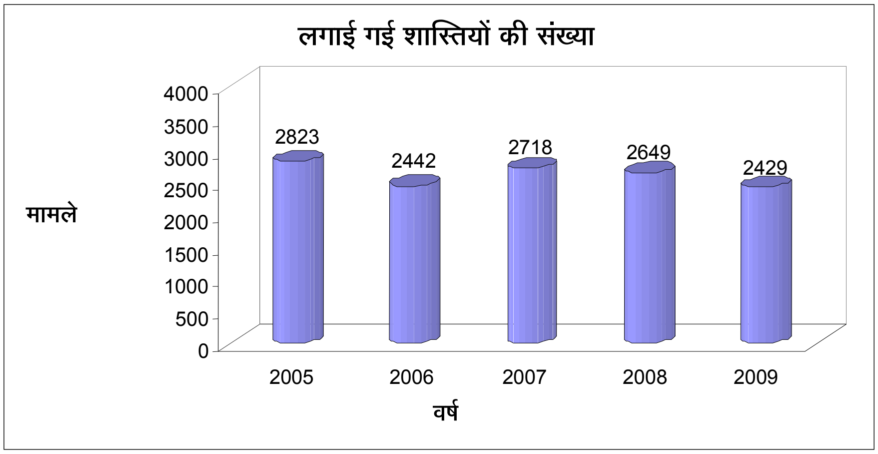


## चार्ट-4

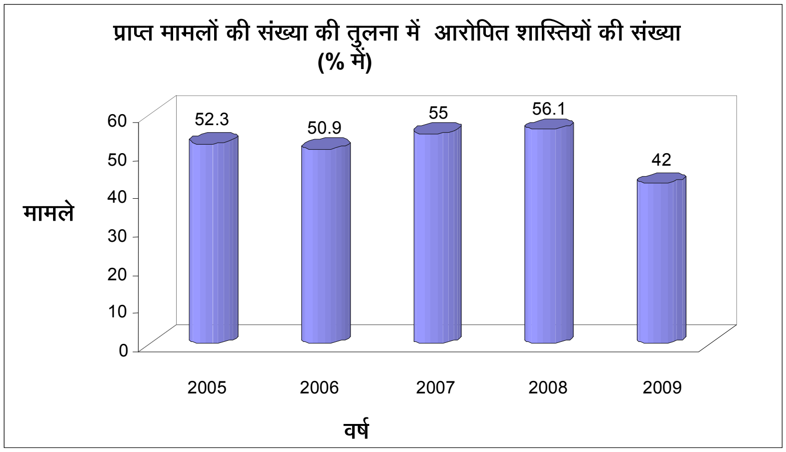

## II सतर्कता मामलों की प्राप्ति एवं निपटान

3.4 **पिछले वर्षों में, आयोग में सलाह के लिए प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है ।** वर्ष 2009 में, आयोग में 5783 मामले प्राप्त हुए तथा पिछले वर्ष से आगे लाए गए 1193 मामलों सहित 5317 मामलों में आयोग ने अपनी सलाह दी । इसमें आयोग द्वारा प्रथम चरण तथा द्वितीय चरण की सलाह के रूप में निपटाए गए मामले तथा पुनर्विचार अनुरोध भी शामिल हैं ।

3.5 पिछले दस वर्षों के दौरान आयोग में प्राप्त हुए मामलों के तुलनात्मक आंकड़े **चार्ट-5** में दिए गए हैं ।

**चार्ट-5**

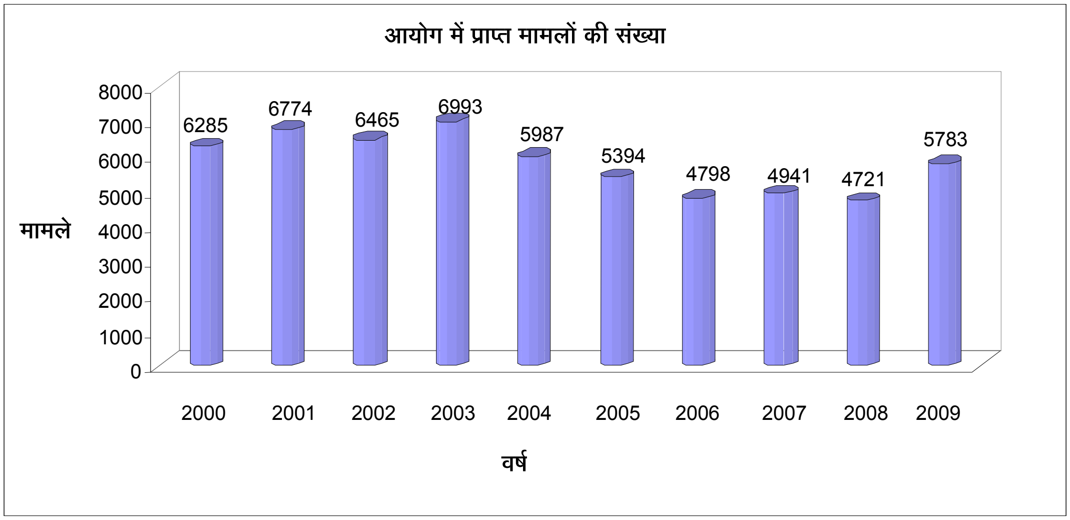


3.6 पिछले दस वर्षों के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या **चार्ट-6** में दी गई है ।

**चार्ट-6**

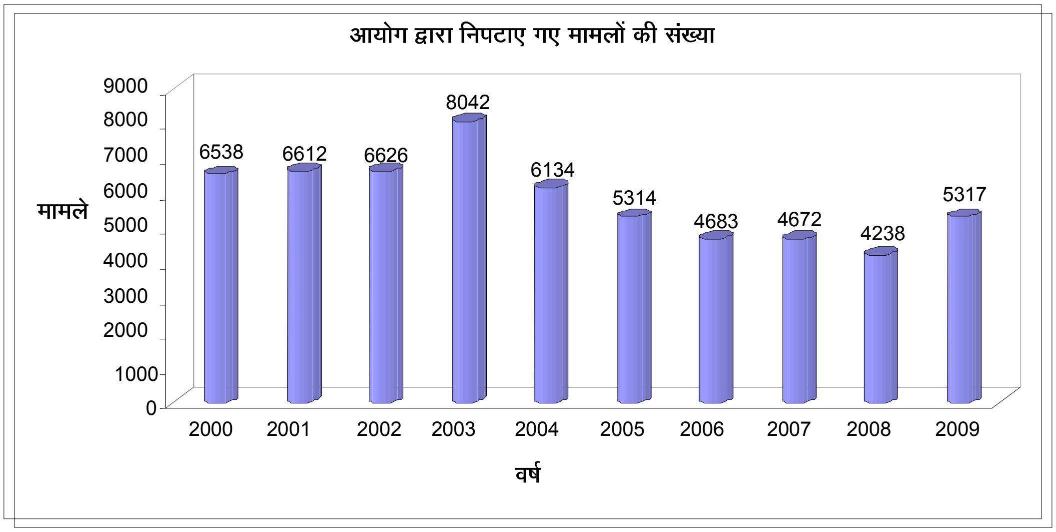

## III प्रथम चरण की सलाह के मामले

3.7 **वर्ष 2009 के दौरान आयोग ने 3161 मामलों में प्रथम चरण की सलाह दी जिनमें से 226 मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर आधारित थे तथा 2935 मामले संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा भेजी गई अन्वेषण रिपोर्टों पर आधारित थे ।** केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों में से, आयोग ने 46.9 प्रतिशत मामलों में अभियोजन चलाने की सलाह दी, 19.4 प्रतिशत मामलों में बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों की सलाह दी तथा 2.21 प्रतिशत मामलों में लघु शास्ति की कार्यवाहियों की सलाह दी । संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों में से, आयोग ने 16.1 प्रतिशत मामलों में बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की तथा 10.7 प्रतिशत मामलों में लघु शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह दी । शेष मामलों में, नियमित विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि, प्रथम दृष्टया, या तो आरोप निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुए थे अथवा ये मात्र प्रक्रियात्मक प्रकृति के थे । आयोग द्वारा प्रथम चरण में दी गई सलाह की प्रकृति का सार **सारणी-1** में दिया गया है ।

**सारणी-1**
**वर्ष 2009 के दौरान प्रथम चरण की सलाह के मामले**

| सलाह का स्वरूप | केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अन्वेषण रिपोर्टों पर | मुख्य सतर्कता अधिकारियों की अन्वेषण रिपोर्टों पर | योग |
|---|---|---|---|
| आपराधिक कार्यवाहियाँ | 106 | 15 | **121** |
| बड़ी शास्ति की कार्यवाहियाँ | 44 | 473 | **517** |
| लघु शास्ति की कार्यवाहियाँ | 5 | 316 | **321** |
| प्रशासनिक कार्रवाई, चेतावनी, सावधान करना आदि | 20 | 301 | **321** |
| मामले बन्द करना | 51 | 1830 | **1881** |
| योग | **226** | **2935** | **3161** |

3.8 वर्ष 2009 के दौरान, आयोग ने 3.8% मामलों में दंड कार्रवाई की सिफारिश की जहां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने अपनी अन्वेषण रिपोर्टें भेजी थी । आयोग द्वारा प्रथम चरण में सलाह दी गई विभिन्न कार्रवाईयों का सार चार्ट-7 में दिया गया है ।

**चार्ट-7**

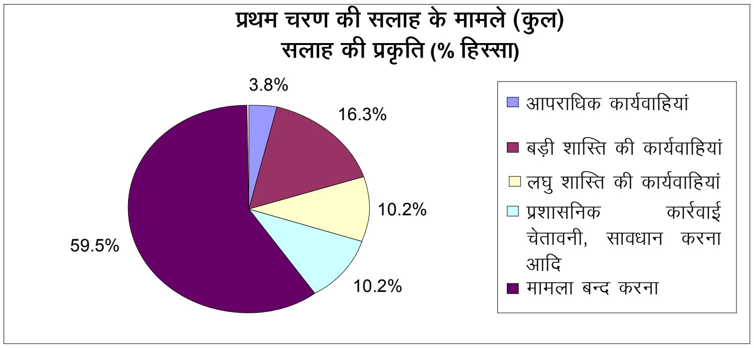

## IV दूसरे चरण की सलाह के मामले

3.9 वर्ष के दौरान, आयोग ने 1435 मामलों में दूसरे चरण की सलाह दी । इन मामलों में से, 75 मामलों में आयोग के विभागीय जाँच आयुक्तों ने जांच की थी तथा शेष 1360 मामलों में संबंधित संगठनों के भीतर से ही नियुक्त किए गए जांच अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी । ऐसे सतर्कता मामलों में जिनमें प्रथम चरण में पहले बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों की सलाह दी गई थी, मौखिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् सतर्कता मामले की जांच के दूसरे चरण में आयोग द्वारा वर्ष 2009 के दौरान दी गई सलाहों/शास्ति की सलाह की प्रकृति का विवरण **सारणी-2** में दिया गया है ।

**सारणी - 2**

**वर्ष 2009 के दौरान दूसरे चरण की सलाह के मामले**

| सलाह का स्वरूप | विभागीय जांच आयुक्तों की रिपोर्टों पर | मुख्य सतर्कता अधिकारियों से प्राप्त मामलों पर | योग |
|---|---|---|---|
| बड़ी शास्ति | 40 | 816 | **856** |
| लघु शास्ति | 16 | 223 | **239** |
| दोष मुक्ति | 10 | 204 | **214** |
| अन्य कार्रवाई | 9 | 117 | **126** |
| योग | **75** | **1360** | **1435** |

3.10 जैसा कि देखा जा सकता है, वर्ष 2009 के दौरान आयोग ने 59.6% (856 मामले) मामलों में बड़ी शास्ति लगाने की तथा 16.7%(239 मामले) मामलों में लघु शास्ति लगाने की सिफारिश की । 14.9% मामलों में आरोप, निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किए जा सके । इस संबंध में प्रतिशत आंकड़े **चार्ट-8** में दिए गए हैं ।

**चार्ट-8**

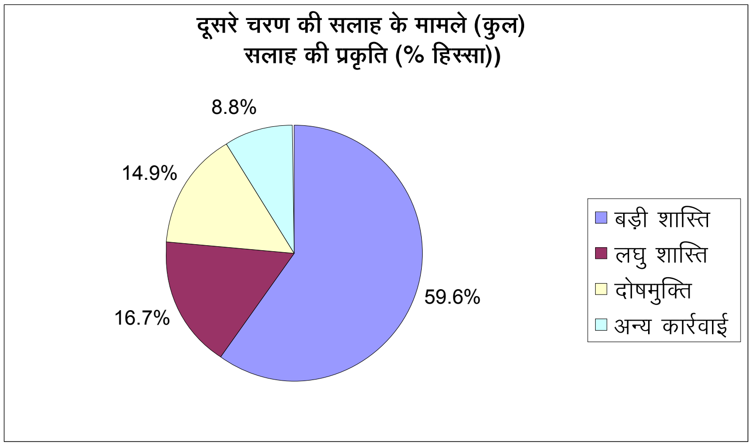

## V अभियोजन एवं दंड

3.11 वर्ष 2009 के दौरान, विभिन्न संगठनों में सक्षम प्राधिकारियों ने आयोग की सलाह के अनुपालन में 225 लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन संबंधी कार्रवाई किए जाने की स्वीकृति जारी की, 876 लोक सेवकों पर बड़ी शास्ति लगाई तथा 947 लोक सेवकों पर लघु शास्ति लगाई **(सारणी-3, चार्ट -9)** ।

### सारणी-3

### स्वीकृत अभियोजन तथा दिए गए दण्ड

| वर्ष | स्वीकृत अभियोजन | दिए गए दण्ड | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | बड़ी शास्ति | लघु शास्ति | प्रशासनिक कार्रवाई | योग |
| 2005 | 141 | 1084 | 1136 | 462 | **2823** |
| 2006 | 150 | 1024 | 936 | 332 | **2442** |
| 2007 | 192 | 1002 | 1164 | 360 | **2718** |
| 2008 | 138 | 909 | 1173 | 429 | **2649** |
| 2009 | 225 | 876 | 947 | 381 | **2429** |

### चार्ट-9

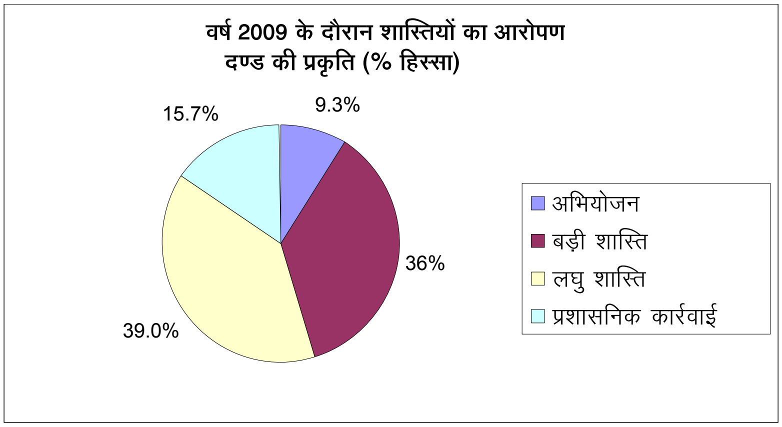

3.12 **ऐसे कुछ मामले जिनमें आयोग की सलाह के आधार पर अधिकारियों के विरूद्ध निवारक कार्रवाई की गई, निम्न हैं:-**

**संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अन्यों सहित जिन अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन के लिए स्वीकृति जारी की गई उनमें शामिल हैं: केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के एक आयुक्त, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के एक मुख्य महाप्रबंधक, वस्त्र मंत्रालय के एक निदेशक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारी तथा भारतीय पुलिस सेवा का एक अधिकारी ।** इसके अतिरिक्त, रेल मंत्रालय के एक मंडलीय चिकित्सा अधिकारी, आयकर के एक अपर आयुक्त तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक आयकर आयुक्त, दूरसंचार विभाग के एक महाप्रबंधक तथा आवास एवं शहरी विकास निगम लि0 के एक कार्यकारी निदेशक (एफ) को सेवा से बर्खास्त/हटाया गया तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक महाप्रबंधक तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक अपर आयकर आयुक्त को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया । राज्य व्यापार निगम के एक निदेशक पर 100 प्रतिशत उपादन कटौती की शास्ति लगाई गई तथा उर्वरक विभाग के तत्कालीन निदेशक (एफ) पर उपादान भुगतान में से 30% कटौती करने की शास्ति लगाई गई । आगे बताए गए अधिकारियों पर पेंशन में कटौती की शास्ति लगाई गई: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक सहायक आयकर आयुक्त (25%), रेल मंत्रालय के एक उप मुख्य इंजीनियर (20%), रेल मंत्रालय के एक मुख्य चिकित्सा निदेशक (10%), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दो सहायक आयकर आयुक्त (10%), वस्त्र मंत्रालय के एक निदेशक (10%), भारतीय मानक ब्यूरो के एक अपर महा निदेशक (10%), दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक मुख्य इंजीनियर (10%), उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रबंध निदेशक (5%) तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक मुख्य इंजीनियर (5%) तथा रेल मंत्रालय के एक भूतपूर्व सदस्य सचिव पर संचयी प्रभाव के साथ एक वर्ष के लिए वेतन के समयमान में दो चरणों द्वारा निचले चरण पर वापसी की शास्ति लगाई गई ।

3.13 ऐसे मामलों में जिनमें आयोग की सलाह ली गई थी, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शास्तियों के संगठनवार विवरण का विश्लेषण दर्शाता है कि **दिल्ली नगर निगम ने 55 मामलों में अभियोजन के लिए स्वीकृति जारी की, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 50 मामलों में, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने 18 मामलों में, गृह मंत्रालय ने 14 मामलों में, रेल मंत्रालय ने 12 मामलों में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 11 मामलों में तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 10 मामलों में अभियोजन के लिए स्वीकृति जारी की** । ऐसे मामले, जिनमें आयोग की सलाह पर या तो लोक सेवक के अभियोजन की स्वीकृति दी गई अथवा कोई शास्ति लगाई गई, की संख्या का संगठन-वार विवरण देने वाली सम्पूर्ण सूची **अनुबंध-II** में दी गई है ।

3.14 वर्ष 2009 के दौरान, प्रशासनिक कार्रवाई सहित अधिकतम दण्ड इन्होंने दिए - रेल मंत्रालय (509), केनरा बैंक (124), दिल्ली नगर निगम (107), दिल्ली विकास प्राधिकरण (98), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (96), दूरसंचार विभाग (84), इंडियन ऑयल का0 लि0 (83), नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0 (82) ।

3.15 **इस प्रकार लगाई गई शास्तियों के अन्तर्गत, विभिन्न संगठनों के अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा 95 अधिकारियों को बरखास्तगी, सेवा से हटाना तथा अनिवार्य सेवानिवृत्ति जैसी अधिक कठोर बड़ी शास्ति से दंडित किया गया ।**

## VI लंबित रहे मामले

3.16 **वर्ष 2009 के दौरान प्राप्त हुए कुल 6976 मामलों (आगे लाए गए मामलों सहित) में से आयोग ने 5317 मामलों का निपटारा किया और इस प्रकार वर्ष 2009 के अंत में 1659 मामले लंबित रहे । (सारणी-4)** ।

**सारणी-4**

**वर्ष - 2009 के दौरान प्राप्त हुए एवं निपटाए गए मामलों की संख्या**

| **मामले** | **अन्वेषण रिपोर्ट (प्रथम चरण)** | **जांच रिपोर्ट तथा लघु शास्ति के मामले (द्वितीय चरण)** | **अन्य रिपोर्ट/पुन: विचार आदि जैसे मामले** | **योग** |
|---|---|---|---|---|
| आगे लाए गए | 907 | 206 | 80 | **1193** |
| प्राप्त हुए | 3623 | 1410 | 750 | **5783** |
| योग | 4530 | 1616 | 830 | **6976** |
| निबटाए गए | 3161 | 1435 | 721 | **5317** |
| लम्बित रहे | 1369 | 181 | 109 | **1659** |

3.17 आयोग, सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करने में तत्परता का उदाहरण स्वंय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है । **आयोग अपने विभिन्न अनुभागों के साथ अपनी आंतरिक मासिक सभाओं में, मामलों की जांच तथा मामलों की सलाहों के प्रेषण से संबंधित सभी पहलुओं की निगरानी करता है ।**

## VII आयोग में शिकायतों पर कार्रवाई

3.18 केन्द्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार के विरूद्ध अपने संघर्ष में एक प्रारंभिक बिन्दु के रूप में शिकायतों के महत्व की, सूचना के एक उपयोगी स्रोत के रूप में पहचान करता है । नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता तथा लोक अभिकरणों द्वारा सेवाएं देने की बढ़ती आशाओं के परिणामस्वरुप, प्रणाली की कमियों, भ्रष्ट व्यवहारों तथा लोक सेवकों की उदासीनता बताने के लिए जनता लगातार आगे आ रही है । आयोग में प्राप्त हो रही शिकायतों की बढ़ती संख्या से यह प्रदर्शित होता है । यह निर्णय लेने से पहले कि उचित एजेंसी द्वारा एक शिकायत की आगे अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है अथवा इसे मात्र फाईल किया जाना है, आयोग में प्राप्त शिकायतों की परिश्रम से संवीक्षा की जाती है ।

3.19 आयोग को विभिन्न स्रोतों/माध्यमों जैसे व्यक्तियों, नागरिक समाज, जनता में जागरूकता उत्पन्न करने में लगे संगठन आदि से शिकायतें प्राप्त होती है । आंतरिक रूप से, आयोग का मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक, कार्यों/प्रापणों आदि का निरीक्षण करते समय त्रुटियों एवं अनियमितताओं के पहलुओं की जांच करता है । इसके अतिरिक्त, जब भी आयोग के ध्यान में कोई कदाचार आता है तो संबंधित संगठन द्वारा मामले को अन्वेषण के लिए हाथ में लिए जाने हेतु इसे स्रोत सूचना माना जाता है ।

3.20 लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत शिकायतें देने हेतु प्रक्रिया के बारे में जनता को शिक्षा देने तथा इनमें विश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य से मुद्रण तथा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम सेलोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प का पर्याप्त प्रचार किया जा रहा है । संकल्प के अंतर्गत शिकायतें देने के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ इसे आयोग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध कराया गया है । आयोग के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कई बार शिकायतकर्तालोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत आयोग से गोपनीयता की मांग करते समय अन्य संबंधित प्राधिकारियों को भी उसी शिकायत की प्रतियां अग्रेषित कर देते हैं अथवा उन्हीं आरोपों वाली पृथक शिकायतें भेज देते हैं और इस प्रकार अपनी पहचान प्रकट कर देते हैं । ऐसी घटनाओं के बावजूद, शिकायतकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के अपने प्रयासों में आयोग ने दिशानिर्देश जारी करके संगठनों से कहा है कि वे शिकायतकर्ता का, इस कारण से किसी भी प्रकार का उत्पीड़न ना होने दें कि उसने एक शिकायत दी है, भले ही, किसी भी समय किसी भी स्रोत के माध्यम से शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट हो जाए ।

3.21 आयोग में शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात् (लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों सहित) इनकी अच्छी तरह से संवीक्षा की जाती है तथा जहां भी सतर्कता प्रकृति के विनिर्दिष्ट तथा सत्यापनीय आरोप आयोग के ध्यान में आते हैं तो मामले का अन्वेषण करने तथा शीघ्रतापूर्वक रिपोर्ट आयोग को देने हेतु, शिकायतों को उचित एजेंसी को भेज दिया जाता है । आयोग, रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात् संदिग्ध लोक सेवकों के विरूद्ध आगे की जाने वाली उचित कार्रवाई के बारे में संबंधित संगठनों को सलाह देता है तथा इसके अतिरिक्त उन प्रणालीगत असफलताओं के बारे में बताता है जिनकी वजह से ऐसे कदाचार होते हैं । प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए उचित शोधक उपाय करने हेतु भी आयोग संगठनों को सलाह देता है ।

## VIII सामान्य शिकायतें

3.22 आयोग से जनता की आशाओं के परिणामस्वरुप, आयोग में जनता से प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है । कई बार, लोग या तो व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में शिकायत करते हैं जो प्राय: प्रक्रियात्मक/प्रशासनिक त्रुटियों के बारे में होती हैं अथवा ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध होती हैं जो आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं होते हैं । इन घटकों के कारण, सभी शिकायतों की उचित जांच करने के पश्चात् आयोग कम संख्या में ऐसी शिकायतें पाता है जिनमें उपयुक्त एजेंसी से विस्तृत अन्वेषण रिपोर्ट मांगना उचित होता है ।

3.23 चूंकि आयोग ने यह देखा है कि अनाम/छद्मनाम शिकायतें लोक सेवकों की भ्रष्ट गतिविधियों को सामने लाने की बजाए उनका उत्पीड़न करने तथा उनका भयादोहन करने का स्रोत बन रही थी अत: आयोग ने एक नीति के रूप में निर्णय लिया कि ऐसी शिकायतों पर कोई कार्रवाई ना की जाए तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सतर्कता प्रकृति की सत्यापनीय सुस्पष्ट आरोपों/आकड़ों वाली सच्ची शिकायतें अन्वेषण हुए बिना ना रहें, आयोग ने एक सुरक्षा उपाय के रूप में निर्देश जारी किए कि ऐसी शिकायतों का अन्वेषण करने से पहले आयोग से पूर्व अनुमोदन लिया जाए । ऐसे मामलों में जिनमें शिकायतकर्ता ( लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण

संकल्प के अंतर्गत शिकायतें देने वालों से पृथक) अपनी पहचान के बारे में आयोग से गोपनीयता बनाए रखने का अनुरोध करते हैं उनमें आयोग इसके लिए उनके अनुरोध को स्वीकार करता है ।

3.24 **वर्ष 2009 के दौरान, आयोग में 14348 शिकायतें प्राप्त हुई** (पिछले वर्ष से आगे लाई गई 142 शिकायतों सहित) **तथा इनमें से 7.9% अनाम/ छद्मनाम थी जिन्हें आयोग की शिकायतों पर कार्रवाई करने की नीति के अनुसार फाईल कर दिया गया ।** वर्ष के दौरान, आयोग में बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें या तो आरोप अस्पष्ट थे अथवा प्रशासनिक मुद्दों वाले थे । आयोग में ऐसे लोक सेवकों के विरूद्ध भी बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थी जो आयोग की सामान्य परामर्शी अधिकारिता में नहीं आते थे जैसे राज्य सरकारों आदि में कार्यरत लोक सेवक ।

3.25 **प्राप्त हुई सभी शिकायतों की संवीक्षा के पश्चात्, केवल 1714 (12.3%) शिकायतों को इतना गंभीर पाया गया कि इनमें आयोग की ओर से आगे अनुवर्तन किए जाने की आवश्यकता थी तथा इन शिकायतों को सम्बद्ध विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अन्वेषण करने तथा रिपोर्ट देने के लिए भेज दिया गया** । आयोग में प्राप्त हुई सभी शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई का विवरण **चार्ट-10 तथा 11** में दिया गया है ।

3.26 आयोग ने, कुल 14348 शिकायतों में से वर्ष 2009 के दौरान 13919 शिकायतें निपटाई तथा वर्ष के अंत में आयोग में केवल 429 शिकायतें लंबित थी । प्राप्त हुई शिकायतों की प्रकृति तथा उनके संबंध में की गई कार्रवाई **सारणी-5** में दी गई है ।

**सारणी-5**

**वर्ष 2009 के दौरान प्राप्त हुई एवं निपटाई गई शिकायतें**

| **शिकायतें** | **संख्या** | **की गई कार्रवाई** |
|---|---|---|
| प्राप्त शिकायते एवं आगे लाई गई शिकायतें | 14348 | |
| अनाम/छद्मनाम | 1105 | फाईल किया गया |
| अस्पष्ट/असत्यापनीय | 2937 | फाईल किया गया |
| गैर- सतर्कता/केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में न आने वाले अधिकारी | 8163 | संगठनों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई |
| सत्यापनीय | 1714 | मुख्य सतर्कता अधिकारी/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अन्वेषण हेतु भेजी गई |
| निपटाई गई कुल शिकायतें | 13919 | |
| लंबित | 429 | |

**चार्ट-10** **चार्ट-11**

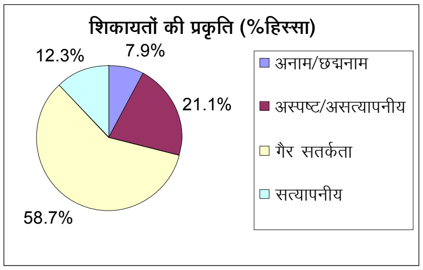


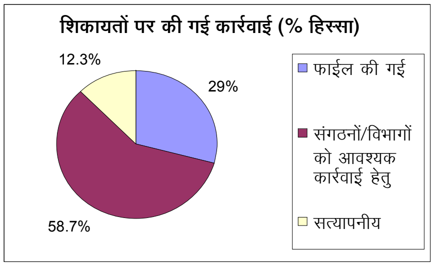


3.27 आयोग उपयुक्त अभिकरणों से केवल उन्हीं शिकायतों में अन्वेषण रिपोर्ट मंगवाता है जिनमें गंभीर तथा सत्यापनीय आरोप होते हैं तथा स्पष्ट सतर्कता पहलू होता है । आयोग ने यह निर्धारित किया है कि अन्वेषण के लिए संबंधित संगठनों को इसके द्वारा भेजी गई शिकायतों में 3 माह की अवधि के भीतर रिपोर्ट आयोग को भेजनी होती है । **तथापि, आयोग चिन्ता के साथ नोट करता है कि अधिकतर मामलों में विभिन्न संगठनों द्वारा शिकायतों के अन्वेषण को अंतिम रूप दिए जाने में अत्यधिक विलंब किया जाता है । आयोग जहां भी यह देखता है कि गंभीर प्रकृति की शिकायतों के अन्वेषण में संबंधित संगठनों द्वारा अत्यधिक विलंब किया जा रहा है वहां यह, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करके संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/मुख्य सतर्कता अधिकारियों को रिकार्ड/दस्तावेजों सहित बुलाता है अथवा ऐसी शिकायतों में सीधे जांच करने के लिए इन्हें आयोग के अधिकारियों को सौंपता है ।**

3.28 वर्ष 2009 के दौरान, 16 शिकायतें सीधे जांच करने के लिए आयोग के अधिकारियों को सौंपी गई । आयोग के अधिकारियों ने 11 मामलों में अपनी सीधी जांच पूर्ण की तथा अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की ।

## IX लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प 2004 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतें

3.29 **लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए आयोग ने एक सुपरिभाषित आंतरिक प्रक्रिया स्थापित की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायतकर्ता की पहचान, उनमें से किसी पर भी प्रकट ना हो सके जो इन शिकायतों का अन्वेषण कर रहे हैं । जहां भी आवश्यक हो तथा जैसा भी आयोग द्वारा आदेश दिया गया हो तब शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (गृह) को नोडल प्राधिकारी बनाया गया है** । इन शिकायतों की जांच करने के लिए तथा इन शिकायतों पर आगे की जाने वाली कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए, आयोग ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सचिव की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई है ।

3.30 वर्ष 2009 के दौरान, आयोग ने पर्दाफाशों से 377 शिकायतें प्राप्त की तथा 140 शिकायतों को तथ्यों/ टिप्पणियों के अन्वेषण/गहन सत्यापन के लिए संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों अथवा

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजा गया जो इन शिकायतों का 38.4% है । इन शिकायतों में से 213 (58.3%) को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया तथा 12 शिकायतों अर्थात 3.3% को अनाम/छद्मनाम होने के कारण अथवा सतर्कता पहलू वाला ना होने के कारण फाईल कर दिया गया, इस प्रकार 12 शिकायतें लंबित रहीं ।

3.31 वर्ष के दौरान, लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की प्रकृति तथा उनपर आयोग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण **सारणी-6 तथा चार्ट-12-13** में दिया गया है:

**सारणी-6**

**लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प के अन्तर्गत वर्ष 2009 के दौरान प्राप्त हुई एवं निबटाई गई शिकायतें**

| प्राप्त शिकायतें | संख्या | की गई कार्रवाई |
|---|---|---|
| प्राप्त शिकायतों की संख्या | 377 | |
| अनाम/छद्मनाम | 12 | फाईल की गई |
| गैर-सतर्कता | 213 | संगठनों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई । |
| सत्यापनीय | 140 | अन्वेषण हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेजी गई । |
| कुल निबटाई गई | 365 | |
| लंबित | 12 | |

**चार्ट-12**

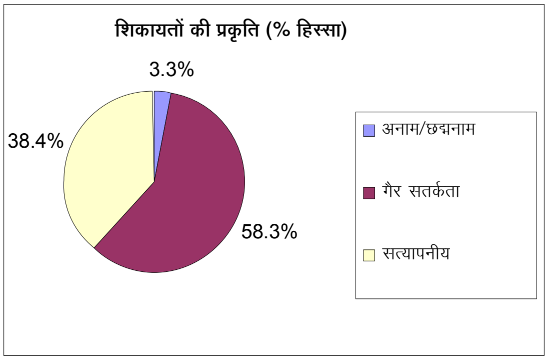


**चार्ट-13**

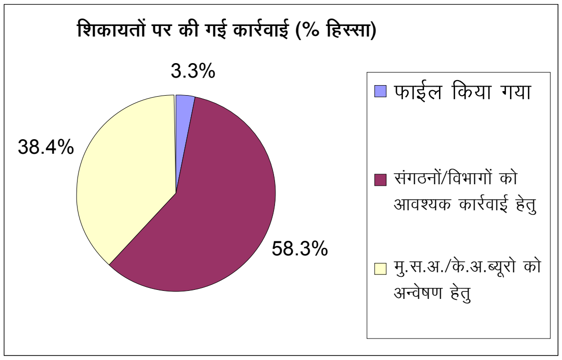

3.32 यह देखा गया कि ''लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण'' संकल्प के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों में, अन्य प्रकार से प्राप्त शिकायतों की तुलना में अधिक विशिष्ट तथा सत्यापनीय आरोप होते हैं । "लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण" शिकायतों का प्राथमिकता आधार पर अन्वेषण किया जाना होता है तथा ''लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण'' संकल्प के प्रावधानों के अनुसार अन्वेषण का कार्य सौंपे गए मुख्य सतर्कता अधिकारी/एजेंसी को एक माह के समय में आयोग को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है ।

# अध्याय - 4

## सतर्कता प्रशासन पर निगरानी

4.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या या इसके अंतर्गत स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, समितियों तथा सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन की प्रभावी निगरानी किए जाने का प्रावधान है । यह अधिनियम केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अपनी परामर्शी अधिकारिता में आने वाले संगठनों की सतर्कता गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने का प्राधिकार भी देता है लेकिन संबंधित संगठन में सत्यनिष्ठा तथा प्रभावी सतर्कता प्रशासन बनाए रखने का प्रधान उत्तरदायित्व संगठनों के मुख्य कार्यकारियों/अध्यक्षों का है । आयोग की भूमिका परामर्शी प्रकृति की है तथा इसका कार्य निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ सलाह देना है ताकि संगठन उचित कार्रवाई कर सकें ।

4.2 आयोग सतर्कता प्रशासन पर निगरानी रखने के अपने अधिकारों का प्रयोग विभिन्न संगठनों में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से करता है । अत:, आयोग मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की निगरानी मासिक रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से तथा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली क्षेत्रीय/आंचलिक सभाओं के माध्यम से भी करता है । संबंधित संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी आयोग की विस्तृत शाखा के रूप में कार्य करते हैं तथा संगठनों में सभी सतर्कता क्रियाकलापों की निगरानी केवल मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से होती है । अत:, आयोग मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किए गए निष्पादन की लगातार निगरानी करके उनके क्रियाकलापों को प्रभावपूर्ण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करता है । मुख्य सतर्कता अधिकारियों से प्राप्त मासिक रिपोर्टें एक सुविस्तृत प्रपत्र में, सतर्कता प्रशासन के सभी पहलुओं की सूचना देती हैं जिसमें प्राप्त शिकायतें तथा उनपर की गई कार्रवाई, ऐसे मामलों पर की गई कार्रवाई जिनमें अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ हुई है तथा साथ ही सर्वांगी सुधार करने के लिए उनके द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में सूचना शामिल है ।

### II मुख्य सतर्कता अधिकारियों का कार्य निष्पादन

4.3 आयोग मुख्य सतर्कता अधिकारियों के निष्पादन की निगरानी निर्धारित मासिक रिपोर्टों तथा वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से करता है जो शिकायतों तथा सतर्कता मामलों पर कार्रवाई किए जाने के बारे में सांख्यकीय विवरण उपलब्ध कराती है तथा साथ ही मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रणाली सुधारों के लिए उठाए गए कदमों तथा संगठन में प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में भी विवरण उपलब्ध कराती हैं । मुख्य सतर्कता अधिकारियों के गुणात्मक निष्पादन की निगरानी भी इन रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है । शिकायतों तथा मामलों के अतिरिक्त, जो कि आयोग को भेजे जाते हैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी आयोग की अधिकारिता से बाहर के अधिकारियों के संबंध में प्रभावी सतर्कता प्रशासन के कार्यान्वयन में प्रबंधन को समग्र मार्गदर्शन देने के लिए भी उत्तरदायी हैं ।

4.4 मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक को भेजी जा रही तिमाही प्रगति रिपोर्टों में संगठनों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण खरीदों/प्रापणों कार्यों के बारे में विवरण होता है । ये रिपोर्टें गहन जांच के लिए कुछ क्रियाकलापों का चयन करने में मुख्य

तकनीकी परीक्षकों की सहायता करती हैं । आयोग ने मुख्य सतर्कता अधिकारियों को मुख्य तकनीकी परीक्षक जैसे निरीक्षण करने के दिशानिर्देश भी जारी किए हैं जिनसे यह सुनिश्चित होगा कि कार्य पारदर्शी विधि से प्रदान किए गए हैं तथा बोलीदाताओं को एक जैसी शर्तों पर उचित प्रतियोगिता के साथ प्रदान किए गए हैं ।

4.5 मुख्य सतर्कता अधिकारियों का कार्य निष्पादन जैसा कि उन्होंने आयोग को दी गई अपनी वार्षिक रिपोर्टों में बताया है, **अनुबन्ध-III (क से च) में दिया गया है । ऐसे कुछ महत्वपूर्ण संगठनों की सूची जिन्होंने अनुबद्ध समय के भीतर आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट भेज दी है, अनुबंध-III छ में दी गई है । उपर्युक्त अनुबंधों में दिए गए आंकड़ों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2009 के दौरान, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा कार्रवाई किए गए कुल 15541 मामलों (सभी श्रेणियों के अधिकारियों के लिए) में दंडात्मक कार्रवाई की गई थी । 4562 मामलों में बड़ी शास्ति दी गई थी तथा 9862 मामलों में लघु शास्ति दी गई** । लगाई गई बड़ी तथा लघु शास्तियों का विवरण निम्न **सारणी-7** में दिया गया है ।

**सारणी - 7**

**मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा निपटाए गए सभी श्रेणियों के अधिकारियों के मामलों में दी गई शास्तियों का विवरण**

| क्रम संख्या | शास्ति की प्रकृति | अधिकारियों की संख्या |
|---|---|---|
| | **बड़ी शास्ति** | **4562** |
| 1. | पेशन में कटौती | 121 |
| 2. | बर्खास्तगी/सेवा से हटाना/अनिवार्य सेवानिवृति | 1132 |
| 3. | निचले स्तर/श्रेणी में रखना | 2053 |
| 4. | अन्य बड़ी शास्ति | 1256 |
| | **लघु शास्ति** | **9862** |
| 5. | निन्दा को छोड़कर अन्य लघु शास्ति | 5510 |
| 6. | निन्दा | 4352 |
| | **कुल** | **14424** |

टिप्पणी : ये आंकड़े विस्तृत नहीं हैं क्योंकि ये आँकड़े संगठनों द्वारा भेजी गई वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित हैं तथा कुछ संगठनों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी है ।

4.6 मुख्य सतर्कता अधिकारियों के निष्पादन की समीक्षा करने तथा उनके साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से, आयोग प्रतिवर्ष क्षेत्रीय समीक्षा सभाएं आयोजित करता है तथा जब भी आवश्यक हो अंचलीय सभाएं आयोजित करता है । आयोग ने इन सभाओं को रचनात्मक तथा बहुत प्रभावी पाया है क्योंकि ये सभाएं मुख्य सतर्कता अधिकारियों को यह अवसर प्रदान करती हैं कि वे अपने संगठनों में सतर्कता प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें । आयोग इस अवसर पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों को उन फोकस क्षेत्रों के बारे में भी सूचना देता है जहां उन्हें यह सुनिश्चित करने हेतु अधिक ध्यान देना होता है कि सतर्कता तंत्र कार्य सहज तथा प्रभावी रूप से चलते रहें । वर्ष 2009 के दौरान, आयोग ने 17 क्षेत्रीय समीक्षा सभाएं आयोजित की जिनमें मंत्रालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, उर्जा, कोयला

तथा तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों, निर्माण क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों तथा पत्तन न्यासों आदि के लगभग 200 मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने भाग लिया । **इन सभाओं के दौरान आयोग ने निम्न पर बल दिया :**

- मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा आयोग के प्रश्नों पर तत्परतापूर्वक उत्तर देने तथा शिकायतों पर अन्वेषण करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समय अवधि का पालन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अन्वेषण में विलंब होने से या अन्वेषण पूरा होने से पहले ही सेवानिवृत्ति के कारण दोषी दंड-रहित जा सकता है;
- प्रौद्योगिकी उत्थान के दूसरे चरण का कार्यान्वयन;
- आयोग के साथ एक प्रभावी संपर्क साधन के रूप में मासिक रिपोर्टों का प्रयोग;
- अन्वेषण रिपोर्टों पर सिफारिशें देने में मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा किया गया विश्लेषण स्पष्ट होना चाहिए तथा उनके द्वारा एक निर्दिष्ट निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है तथा रिपोर्ट व्यापक होनी चाहिए;
- सत्यनिष्ठा सन्धि आयोग के अनुदेशों के अनुरूप सच्ची भावना से अंगीकृत तथा कार्यान्वित की जानी चाहिए;
- आन्तरिक अंकेक्षण रिपोर्ट तथा सी. एंड ए.जी. रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती हैं तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को ऐसी सभी रिपोर्टों को सतर्कता मुद्दों की पहचान किए जाने के उद्देश्य से देखना चाहिए;
- निवारक सतर्कता उपाय के रूप में मामलों के अध्ययन/सेमीनार/कार्यशालाओं आदि के माध्यम से प्रशिक्षण तथा सुग्राहीकरण;
- जांच कार्यवाहियों में आरोप पत्र बनाने में उचित सावधानी रखने की आवश्यकता है तथा अनुचित विलंब एवं उन कारकों से बचने की आवश्यकता है जो प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्रवाई की प्रभावकता को कम करते हैं;
- सतर्कता संबंधी मामलों की समीक्षा करने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा संगठन के मुख्य कार्यकारियों के बीच नियमित संपर्क की आवश्यकता है;
- अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित मामलों की कड़ी निगरानी करने की आवश्यकता है:

## III मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास लंबित मामले - सभी श्रेणियां

4.7 आयोग, संबंधित संगठनों में लंबित शिकायतों तथा मामलों की स्थिति की लगातार समीक्षा करता है क्योंकि इसकी राय यह है कि शिकायतों पर अन्वेषण तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों को समय पर पूरा करना प्रभावी सतर्कता प्रशासन के लिए अति महत्वपूर्ण है । वर्ष 2009 के अंत में संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास अन्वेषण के लिए 9545 शिकायतें लंबित थी जिसमें से 2895 शिकायतें 6 माह से अधिक अवधि से लंबित थी । आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतें पर्दाफाश संकल्प के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों सहित, मुख्यत: आयोग की अधिकारिता में आने वाले अधिकारियों से संबंधित थी तथा इन शिकायतों की संख्या 2430 थी जिसमें से 973 वर्ष 2009 की समाप्ति तक लंबित थी । जांच प्राधिकारियों के पास केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता में आने वाले अधिकारियों से संबंधित लंबित विभागीय जाँचों की संख्या 1277 थी तथा आयोग की अधिकारिता से बाहर के अधिकारियों के संबंध में यह संख्या 5254 थी ।

4.8 **वर्ष 2009 के दौरान, विभिन्न संगठनों द्वारा अभियोजन की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से मामले प्राप्त हुए जिनमें 609 अधिकारी शामिल थे । संगठनों के अनुशासनिक प्राधिकारियों ने 371 अधिकारियों के संबंध में अभियोजन हेतु स्वीकृति दी तथा 68 अधिकारियों के विरूद्ध स्वीकृति देने से इंकार किया । वर्ष के अंत में संगठनों द्वारा अभियोजन की स्वीकृति पर निर्णय लेने के लिए 170 अधिकारियों के मामले लंबित बताए गए थे ।**

4.9 शिकायतों के अन्वेषण की प्रक्रिया तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों को अंतिम रूप दिए जाने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में आयोग को कोई संदेह नहीं है । चूंकि अनुशासनिक मामलों को समय पर पूरा करने के लिए मुख्य कार्रवाई संबंधित संगठनों द्वारा की जानी होती है अत: आयोग अपनी ओर से संगठनों में प्राधिकारियों का ध्यान ऐसे मामलों की ओर दिलाता रहा है जिनमें अनुचित विलंब हुआ है तथा उनसे ऐसे मामलों को तत्परतापूर्वक निपटाने के लिए कहता रहा है । जहां भी आवश्यक समझा गया, आयोग ने अन्वेषण/सतर्कता मामलों को पूरा किए जाने में अनुचित विलंब के कारणों का पता लगाने तथा ऐसे मामलों को अंतिम रूप दिए जाने हेतु रास्ते एवं उपाय सुझाने के लिए संगठन के अध्यक्ष को मुख्य सतर्कता अधिकारी सहित बुलाया । आयोग, संगठनों को इस बात के लिए बल देता रहा है कि अन्वेषणों/मामलों को समय पर पूरा करने से यह सुनिश्चित होता है कि दोषी अधिकारियों को शीघ्रतापूर्वक सजा मिलती है जबकि सतर्कता मामलों में फंसे ईमानदार कर्मचारी बिना विलंब के छुटकारा पाते हैं और इस प्रकार संगठन में निचले स्तर तक सही संदेश जाता है ।

## IV मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति

4.10 सतर्कता प्रशासन की समग्र निगरानी के आयोग के अधिदेश का निष्पादन करने में मुख्य सतर्कता अधिकारी आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं । अत:, आयोग प्रत्येक संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति के लिए पात्रता की गहराई से जांच करता है । मुख्य सतर्कता अधिकारी संगठन में आयोग के आंखों तथा कानों की तरह कार्य करता है तथा उसकी प्रभावकता उस तत्परता पर आधारित होती है जिसके साथ संगठनों में आयोग के दिशानिर्देश तथा व्यक्तिगत मामलों में सलाह उचित रूप से क्रियान्वित की जाती है ।

4.11 कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नोडल एजेंसी है । कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है तथा इन्हें सूचीकरण के लिए आयोग को भेजता है । आयोग, प्रत्येक अधिकारी के सेवा रिकार्ड की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करता है तथा अधिकारियों की सत्यनिष्ठा तथा दक्षता के बारे में स्वंय संतुष्ट होने के बाद ही उचित अधिकारियों के नाम अनुमोदित करता है । आयोग स्वंय को संतुष्ट करने के लिए कि अधिकारी का अब तक का आचरण निष्कपट रहा है, अधिकारी का पिछला सेवा रिकार्ड भी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा उन संगठनों से मंगवाता है जहां उन्होंने पहले कार्य किया है । **आयोग ने विशिष्ट संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति के लिए विशिष्ट संगठनों के रूप में बड़े बैंकों तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान की है । आयोग प्रत्येक संगठन के लिए नामों का एक पृथक पैनल मंगवाता है, जिसमें से संगठन में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए एक अधिकारी के नाम का अनुमोदन किया जाता है । वर्ष 2009 के दौरान आयोग ने विभिन्न संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों के लिए प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा सिफारिश किए गए 52 अधिकारियों की उपयुक्तता अनुमोदित की । इसके अतिरिक्त, विभिन्न**

**मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों में अंशकालीन आधार पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए आयोग ने 85 अधिकारियों के नामों का भी अनुमोदन किया । इसके अतिरिक्त, आयोग ने अन्य संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पदों हेतु विचार किए जाने के लिए पैनलबद्ध किए जाने हेतु 185 अधिकारियों के नाम भी अनुमोदित किए ।**

4.12 आयोग किसी भी संगठन में नए मुख्य सतर्कता अधिकारी का समय पर चयन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है ताकि नया मुख्य सतर्कता अधिकारी बिना किसी समय अंतराल के कार्यभार संभाल ले । आयोग द्वारा सर्वोत्तम प्रयास किए जाने के बावजूद या तो संबंधित संगठनों द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ करने में विलंब के कारण अथवा आयोग के नियंत्रण से बाहर कुछ अन्य कारणों से कुछ संगठनों में उत्तरवर्ती मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति में विलंब हुआ है । एक अंतरिम उपाय के रूप में, संगठन के भीतर से ही अंशकालिक तदर्थ मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो कि उचित व्यवहार नहीं था तथा आयोग इसे प्रोत्साहित नहीं करता । आयोग ने पिछले समय में, महत्वपूर्ण मंत्रालयों/विभागों में पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया था विशेषकर उनमें जिनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बड़े सार्वजनिक उपक्रम हैं ।

## V सतर्कता निकासी

4.13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों के लिए आयोग सतर्कता निकासी प्रदान करता है । **वर्ष 2009 के दौरान, आयोग ने सार्वजनिक उपक्रमों में बोर्ड स्तर नियुक्तियों के लिए विचाराधीन 307 व्यक्तियों के संबंध में सतर्कता निकासी जारी की ।** आयोग अपनी ओर से न्यूनतम संभव समय के भीतर सतर्कता निकासी पर कार्रवाई करने का प्रत्येक प्रयास करता रहा है लेकिन संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अधूरी सूचना/जीवन-वृत्त प्राप्त होने जैसे कारणों से कई बार विलंब हो जाता है ।

## VI सतर्कता सलाहकार परिषद्

4.14 आयोग निवारक सतर्कता पर बल देता रहा है और इस दिशा में सतर्कता संबंधी गतिविधियों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आयोग को सलाह देने तथा सतर्कता प्रशासन की प्रणाली में सुधार करने तथा अभिशासन की समग्र प्रणाली को आम आदमी की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील तथा उत्तरदायी बनाने के बारे में गुणवत्ता वाले सुझावों पर विचार-विमर्श करने के लिए सार्वजनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रसिद्ध व्यक्तियों वाली एक सतर्कता सलाहकार परिषद् का आयोग ने गठन किया है । वर्ष 2009 में आयोग ने सतर्कता सलाहकार परिषद् की सभा आयोजित की जिसमें अधिकतर सदस्यों ने भाग लिया । सदस्यों ने कुछ मूल्यवान सुझाव दिए तथा आयोग द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की जिनका सार नीचे दिया गया है:-

i. भ्रष्टाचार से संघर्ष करने में नागरिक समाज को संचारित करना;
ii. वर्क फ्लो साफ्टवेयर का आयोग में एक परियोजना के रूप में कार्यान्वयन;
iii. विभिन्न सरकारी संगठनों का तकनीकी सतर्कता अंकेक्षण करना;
iv. बड़े विभागों का सतर्कता अंकेक्षण करना;
v. सत्यनिष्ठा पैक्ट के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करना; तथा

vi. आयोग के प्रभाव का व्यापक रूप से प्रचार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह बड़े शहरों तक सीमित है तथा इसमें मीडिया योजना की आवश्यकता है ।

**आयोग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण अनुदेश/दिशानिर्देश-जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009**

- ई-निविदा समाधान कार्यान्वयन करने संबंधी अनुदेश (दिनांक 13.01.2009 का परिपत्र संख्या 01/01/09)
- अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों द्वारा स्वत:पूर्ण, स्पष्ट एवं तर्कसंगत आदेश जारी करने की आवश्यकता संबंधी अनुदेश (दिनांक 15.01.2009 का परिपत्र संख्या.02/01/09)
- लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार के संकल्प संबंधी अनुदेश (दिनांक 27.02.2009 का परिपत्र संख्या 04/02/09)
- बैंकिंग क्षेत्र में सतर्कता पहलू का निर्धारण संबंधी अनुदेश (दिनांक 26.03.2009 का परिपत्र संख्या 7/3/09)
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों में आर.डी.ए. के लिए आरोप-पत्र तैयार करना संबंधी अनुदेश (दिनांक 01.04.2009 का परिपत्र संख्या 8/4/09)
- लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प - लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण शिकायतों पर अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब संबंधी अनुदेश (दिनांक 12.05.2009 का परिपत्र संख्या 09/05/09)
- सत्यनिष्ठा सन्धि का अंगीकरण - मानक प्रचालन प्रक्रिया संबंधी अनुदेश (दिनांक 18.05.2009 का परिपत्र संख्या 10/5/09)
- बैंकों की सतर्कता लेखा परीक्षा में सामान्य प्रेक्षण संबंधी अनुदेश (दिनांक 25.05.2009 का परिपत्र संख्या 11/05/09)
- मुख्य तकनीकी परीक्षक की गहन जांच - मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास लंबित सतर्कता संदर्भों के शीघ्रतापूर्वक समापन के लिए कार्रवाई संबंधी अनुदेश (दिनांक 11.08.2009 का परिपत्र संख्या 13/06/09)
- भ्रष्टाचार के बारे में जनसाधारण को सुग्राही बनाना - विभागों/संगठनों द्वारा मानक सूचना पट्ट प्रदर्शित करने संबंधी अनुदेश (दिनांक 05.06.2009 का परिपत्र संख्या 14/06/09)
- शिकायतों पर कार्रवाई करने की प्रणाली संबंधी अनुदेश (दिनांक 01.07.2009 का परिपत्र संख्या 15/07/09)
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा विदेश यात्राएं करने संबंधी अनुदेश (दिनांक 06.07.2009 का परिपत्र संख्या 16/07/09)
- निविदाएं/संविदाएं प्रदान करने का विवरण वेबसाइट पर डालने संबंधी अनुदेश (दिनांक 14.07.2009 का परिपत्र संख्या 17/07/09)
- सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा प्रायोजित आर.आर.बी. के सतर्कता प्रशासन को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए कुछ पहल संबंधी अनुदेश (दिनांक 03.08.2009 का परिपत्र संख्या 20/08/09)

- प्रथम चरण की सलाह के लिए आयोग को संदर्भ भेजने संबंधी अनुदेश (दिनांक 06.08.2009 का परिपत्र संख्या 21/08/09)
- सत्यनिष्ठा संधि के प्रभाव पर समीक्षा प्रणाली संबंधी अनुदेश (दिनांक 11.08.2009 का परिपत्र संख्या 22/08/09)
- सार्वजनिक निर्गम में कर्मचारियों के लिए निर्धारित अधिमान्य कोटा के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सतर्कता प्रकोष्ठ में मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा शेयर की खरीद संबंधी अनुदेश (दिनांक 17.09.2009 का परिपत्र संख्या 28/09/09)
- ई-निविदा समाधान के कार्यान्वयन संबंधी अनुदेश (दिनांक 17.09.2009 का परिपत्र संख्या 29/09/09)
- सतर्कता अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा, प्रशिक्षण पर जाने के लिए आयोग की पूर्व अनुमति के संबंध में अनुदेश (दिनांक 17.09.2009 का परिपत्र संख्या 30/09/09)
- विशेषज्ञों की समिति के पुनर्गठन संबंधी अनुदेश (दिनांक 29.10.2009 का परिपत्र संख्या 31/10/09)
- खरीद अधिमान नीति के प्रतिपादन संबंधी अनुदेश (दिनांक 09.11.2009 का परिपत्र संख्या 31/10/09)

## अध्याय-5

## आयोग की सलाह का पालन न करने तथा कार्यान्वयन में विलंब सहित चिंता के विषय

5.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग, अनुशासनिक मामलों पर संबंधित संगठनों द्वारा इसके ध्यान में लाए गए किसी मामले विशेष से संबंधित सभी तथ्यों तथा दस्तावेजों/रिकार्ड के तार्किक मूल्यांकन पर आधारित सलाह देता है । आयोग ने संतोष से यह नोट किया है कि अधिकतर मामलों में, जहां मामलों में शामिल अधिकारी इसकी परामर्शी अधिकारिता में होते हैं, संबंधित प्राधिकारियों ने आयोग की सलाह को स्वीकार किया है तथा इसके अनुरूप कार्रवाई की है । तथापि, यह चिन्ता का एक विषय है कि कुछ मामलों में, जहां शामिल अधिकारी इसकी अधिकारिता में आते थे, या तो आयोग से परामर्श लेने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया अथवा संबंधित प्राधिकारियों ने आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की । वर्ष के दौरान, ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां आयोग द्वारा दी गई सलाह को, इसकी सलाह के पुनर्विचार के लिए आयोग से सम्पर्क किए बिना, काफी कम किया गया । आयोग ऐसे मामलों में गंभीर दृष्टिकोण लेता है ।

### I आयोग की सलाह के अपालन/परामर्श न लेने के मामले

5.2 सतर्कता संबंधी मामले जिनमें आयोग की अधिकारिता में आने वाले अधिकारियों की श्रेणियां शामिल होती है उनमें आयोग की सलाह लेने में, संबंधित संगठनों की असफलता को अथवा कुछ अधिकारियों के विरूद्ध आयोग की सलाह स्वीकार करने में संगठनों की अनिच्छा को संगठनों के एक 'चयनात्मक मार्ग' के उदाहरणों के रूप में देखा जाता है जिसका उद्देश्य कुछ अधिकारियों का पक्ष लेना/उपेक्षा करना होता है जो ना केवल सतर्कता प्रशासन की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाते हैं अपितु प्रणाली की वास्तविकता/निष्पक्षता को भी कमजोर बनाते हैं । जब भी ऐसे मामले आयोग के ध्यान में आते हैं तो इसकी चिन्ता संगठनों को सूचित कर दी जाती है । निर्धारित प्रक्रिया से हटने के अथवा आयोग की सलाह स्वीकार ना करने के कुछ मामलों का यहां विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जा रहा है ताकि ऐसे उदाहरणों को सामने लाया जा सके जहां संगठनों द्वारा आयोग की सलाह स्वीकार ना करने के कारण संबंधित अधिकारियों को अनुचित लाभ मिला । आयोग ने देखा कि वर्ष, 2009 के दौरान आयोग की सलाह से हटकर कार्रवाई की गई थी । कुछ महत्वपूर्ण मामले नीचे दिए जा रहे हैं **(सारणी-8):**

**सारणी - 8**

**अपालन/परामर्श न लेने/सलाह स्वीकार न करने के मामले**

| क्र.स. | विभाग/संगठन | आयोग की सलाह | विभाग द्वारा की गई कार्रवाई | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | पेंशन में कटौती | अप्रसन्नता | अपालन |
| 2 | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | बड़ी शास्ति | लघु शास्ति | अपालन |
| 3 | रक्षा लेखा महा नियंत्रक | बड़ी शास्ति | निन्दा की शास्ति | अपालन |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | दूरसंचार विभाग | बड़ी शास्ति | निन्दा की शास्ति | अपालन |
| 5 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | पेंशन में कटौती | अप्रसन्नता | अपालन |
| 6 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | लघु शास्ति | दोष मुक्ति | अपालन |
| 7 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | लघु शास्ति | दोष मुक्ति | अपालन |
| 8 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | लघु शास्ति | दोष मुक्ति | अपालन |
| 9 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | बड़ी शास्ति | निंदा की शास्ति | अपालन |
| 10 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | बड़ी शास्ति | दोष मुक्ति | अपालन |
| 11 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | बड़ी शास्ति | दोष मुक्ति | अपालन |
| 12 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | बड़ी शास्ति | लघु शास्ति | अपालन |
| 13 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | बड़ी शास्ति | दोष मुक्ति | अपालन |
| 14 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | बड़ी शास्ति | दोष मुक्ति | अपालन |
| 15 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | पेंशन में कटौती | अप्रसन्नता | अपालन |
| 16 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां | दोष मुक्ति | अपालन |
| 17 | इरकॉन इंटरनेशनल | बड़ी शास्ति | लघु शास्ति | अपालन |
| 18 | रक्षा मंत्रालय | बड़ी शास्ति | दोष मुक्ति | अपालन |
| 19 | विदेश मंत्रालय | बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां | रिकार्ड की जाने वाली चेतावनी | अपालन |
| 20 | रेल मंत्रालय | लघु शास्ति की कार्यवाहियाँ | परामर्श दिया गया (काउंसलिंग) | अपालन |
| 21 | रेल मंत्रालय | पेंशन में कटौती | मामला बन्द किया गया | अपालन |
| 22 | रेल मंत्रालय | लघु शास्ति | दोष मुक्ति | अपालन |
| 23 | रेल मंत्रालय | पेंशन में कटौती | मामला बन्द किया गया | अपालन |
| 24 | रेल मंत्रालय | कठोर लघु शास्ति | लघु शास्ति | अपालन |
| 25 | रेल मंत्रालय | कठोर लघु शास्ति की कार्यवाहियां | रिकार्ड की जाने वाली चेतावनी | अपालन |
| 26 | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | लघु शास्ति की कार्यवाहियां | चेतावनी | अपालन |
| 27 | ऑयल इंडिया लि0 | बड़ी शास्ति | लघु शास्ति | अपालन |
| 28 | रेल विकास निगम लि0 | बडी शास्ति की कार्यवाहियां | लघु शास्ति की कार्यवाहियां | अपालन |
| 29 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सर्वोदय बाल विद्यालय) | बड़ी शास्ति | लघु शास्ति | अपालन |

उपर्युक्त मामलों पर विस्तृत टिप्पणियां निम्न हैं:

**मंत्रालय/विभाग**

**केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग**

**<u>मामला संख्या 1</u>**

आयोग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक सेवानिवृत्त कार्यपालक इंजीनियर (सी) पर पेंशन में उचित कटौती लगाने की सलाह दी थी जिन्होंने वर्ष 1996 के दौरान 11,59,109/- रू0 लागत के नवीकरण कार्य से संबंधित एक मामले में 19 कार्यों में (विशेष रूप से विभिन्न उद्देश्यों के लिए) व्यय प्रभार द्वारा आबंटित हुए 10,14,213/- रू0 के कोष का दुरूपयोग करने तथा विभिन्न स्वीकृतियों को विभक्त करके अपनी शक्तियों के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति सहायक इंजीनियरों को दी थी । शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक पुनर्विचार प्रस्ताव भेजे जाने पर आयोग ने आरोपी अधिकारी पर पेंशन में उचित कटौती लगाने की अपनी सलाह का दोहराया । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने सिद्ध हुई गलतियों के लिए "सरकार की अप्रसन्नता" का आदेश जारी किया ।

**<u>मामला संख्या 2</u>**

आयोग ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दो अधीक्षक इंजीनियरों पर उचित बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी थी । दोनों आरोपी अधिकारियों ने वर्ष 1994-95 के दौरान कार्यपालक इंजीनियर तथा निर्माण सर्वेक्षक के रूप में कार्य करते समय अन्य तुलनीय स्थानों पर समरूप कार्यों के लिए स्वीकृत निविदाओं की तुलना में अत्यधिक ऊंची दरों पर निविदाएं स्वीकार की थी । शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भेजे गए एक पुनर्विचार प्रस्ताव पर आयोग ने देखा कि सिद्ध हुए आरोप इतने गंभीर थे कि दोनों अधीक्षक इंजीनियरों पर बड़ी शास्ति लगाना न्यायोचित था और अत: आयोग ने आरोपी अधिकारियों पर उचित बड़ी शास्ति लगाने की अपनी पिछली सलाह को दोहराया । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने उन पर संचयी प्रभाव के बिना तीन वर्षों की अवधि के लिए दो वेतनवृद्धि रोकने की लघु शास्ति लगाई ।

**रक्षा लेखा महानियंत्रक**

आयोग ने एक वरिष्ठ आई.डी.ए.एस. अधिकारी पर अपने पद का दुरूपयोग करने के लिए एक उचित बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी थी । आरोपी अधिकारी ने रक्षा लेखा महानियंत्रक के साथ सरकारी व्यवहार रखने वाली एक फर्म से स्वंय अपने तथा परिवार के लिए दिल्ली-पटना क्षेत्र के चार हवाई टिकट लिए थे । तथापि, रक्षा लेखा महानियंत्रक ने आरोपों की गंभीरता को अनदेखा करते हुए केवल "निन्दा" की शास्ति लगाई ।

**दूरसंचार विभाग**

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने भारत संचार निगम लि0 के एक दूरसंचार जिला प्रबंधक के विरूद्ध एक मामला दर्ज किया था जो 1.4.1999 से 31.10.2000 की अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के सी-

डीओटी दग्ध कार्ड तथा उर्जा संयंत्रों का मरम्मत कार्य खुली निविदा के आधार पर दिए जाने के स्थान पर कोटेशन आधार पर प्रदान किए जाने में अनियमितताओं से संबंधित था । आयोग ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा दूरसंचार विभाग से सहमत होते हुए, अधिकारी के विरूद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों प्रारंभ करने की सलाह दी । विभागीय जांच में, जांच अधिकारी ने आरोपों को आंशिक रूप से सिद्ध माना । दूरसंचार विभाग ने जांच अधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार किया तथा यह देखा कि जो आरोप सिद्ध हुए थे वे अधिकारी की ओर से किए गए गंभीर कदाचार के थे और विभाग ने एक बड़ी शास्ति लगाने की सिफारिश की । आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने एक उचित बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी ।

इसके बाद विभाग ने चेतावनी जारी करने की सिफारिश करते हुए आयोग से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया । आयोग ने पुनर्विचार करने के पश्चात एक उचित बड़ी शास्ति लगाने की अपनी पिछली सलाह को दोहराया ।

संघ लोक सेवा आयोग ने आरोपी अधिकारी के विरूद्ध 'निन्दा' की शास्ति की सिफारिश की । चूंकि, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के मध्य मतभेद था; अत: दूरसंचार विभाग ने कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से परामर्श लिया जिसने विभाग को सलाह दी कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को ध्यान में रखते हुए मामले की पुन: जांच की जाए तथा मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेक का उचित प्रयोग करके मामले में एक अंतिम दृष्टिकोण लिया जाए । तथापि, दूरसंचार विभाग ने कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई सलाह पर कोई कार्रवाई न करके तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह को स्वीकार न करने के लिए कोई कारण रिकार्ड किए बिना संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार की तथा दूरसंचार जिला प्रबंधक पर 'निन्दा' की शास्ति लगाई ।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण

**मामला संख्या 1**

आयोग ने एक मुख्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त) के विरूद्ध "पेंशन में उचित कटौती" की शास्ति लगाने की सलाह दी थी । यह मामला केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानदण्डों का उल्लंघन करके दरों का औचित्य बनाने तथा संवीक्षा किए जाने से संबंधित था जिसके परिणामस्वरुप औचित्य ऊंची दर पर बना जैसा कि सतर्कता विभाग द्वारा परिणाम निकाला गया था । नींव तथा ढांचा बनावट सहित अतिरिक्त प्रावधान एक मुश्त आधार पर लिए गए थे जिसके कारण औचित्य ऊची दरों का बना । इसके अतिरिक्त, उक्त कार्य के औचित्य की संवीक्षा करते समय औचित्य बनाने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल में निर्धारित दो विधियों में से किसी का भी पालन नहीं किया गया । अनुशासनिक प्राधिकारी ने इस तथ्य के आधार पर कि विस्तृत नक्शे आदि के ना होने के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मानदण्ड लागू नहीं किए जा सकते, आरोपी अधिकारी को केवल 'सरकारी अप्रसन्नता' का आदेश जारी किया ।

**मामला संख्या 2**

फ्लैट के आंबटन के संबंध में लागत में कमी करने तथा धन वापसी में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में आयोग ने एक भूतपूर्व वित्तीय सलाहकार (एच) के विरूद्ध लघु शास्ति लगाने

की सलाह दी थी । न तो आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों की मांग करके आवेदकों/दावेदारों की पूर्ण रूप से पहचान सुनिश्चित किए जाने के लिए कोई प्रयास किया गया था और न ही संतोषजनक उत्तर पाने के लिए इस संबंध में कोई जांच की गई थी । यह भी देखा गया था कि एक ऐसे मामले में जिसमें आंबटी ने कई वर्षों के बाद आबंटी अचानक प्रकट हुआ था, सामान्य समझदारी वाले एक अधिकारी से जो सावधानी बरतने की आशा की जाती है वह इस अधिकारी द्वारा नहीं बरती गई थी । आयोग ने अनुशासनिक प्राधिकारी से असहमत होते हुए लघु शास्ति लगाने की सलाह दी । अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की दूसरे चरण की सलाह पर पुनर्विचार लिए बिना ही अधिकारी को आरोप मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया ।

**<u>मामला संख्या 3</u>**

आयोग ने एक उप निदेशक के विरूद्ध अनुलिपि आबंटन दस्तावेज/पट्टा दस्तावेज जारी किए जाने में कथित अनियमितताओं के लिए लघु शास्ति लगाने की सलाह दी । आयोग ने अनुशासनिक प्राधिकारी से असहमत होते हुए एक लघु शास्ति लगाने की सलाह दी । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक पुनर्विचार प्रस्ताव दिए जाने पर आयोग ने आरोपी अधिकारी पर लघु शास्ति लगाने की अपनी सलाह को दोहराया । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह के विरूद्ध जाकर अधिकारी को आरोप-मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया ।

**<u>मामला संख्या 4</u>**

आयोग ने एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी के विरूद्ध लघु शास्ति प्रारंभ करने की सलाह दी । यह मामला इनसे संबंधित था (i) अनुपूरक अनुबंध बनाना तथा निगरानी एवं रखरखाव कार्य के भुगतान हेतु दरें, (ii) अनुपूरक अनुबंध तैयार करने के दिन कम संख्या में खाली बचे शेष फ्लैट की दरें कम न करना, (iii) मुख्य कार्य तथा प्रमाणपत्र रिकार्ड करने की अनिवार्यता को पूरा किए बिना चालू खाता बिलों का भुगतान, (iv) भुगतान देते समय चौकीदारों की तैनाती का सत्यापन न करना, (v) अनुपूरक अनुबंध बनाए जाने की तिथि से पहले की अवधि के लिए भुगतान करना तथा (vi) अनुबन्ध की शर्तें तथा दायित्व पूरा होने से पहले भुगतान की सिफारिश करना आदि । तदनुसार, अनुशासनिक प्राधिकारी ने संचयी प्रभाव के बिना एक वर्ष के लिए एक वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति लगाई । अपील प्राधिकारी ने अधिकारी को आरोपों से मुक्त दिया ।

**<u>मामला संख्या 5</u>**

आयोग ने एक कार्यपालक इंजीनियर पर उचित बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी । यह मामला इनसे संबंधित था (i) गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ की निरीक्षण रिपोर्ट तथा माननीय न्यायालय के समक्ष शेष फ्लैट में विद्यमान तथ्यों की सूची प्रस्तुत न कर पाना तथा (ii) न्यायालय के समक्ष जिरह में रू0 28,462/- की आर.आई.एस. की वसूली तथा निगरानी एवं रखरखाव सेवा प्रभारों के लिए अधिक भुगतान किए गए रूप 2,44,200/- की वसूली के बारे में तथ्यों को सामने लाने में असफलता । जांच अधिकारी ने आरोपी अधिकारी के विरूद्ध दोनों आरोपों को सिद्ध पाया । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक पुनर्विचार प्रस्ताव भेजे जाने पर आयोग ने एक उचित बड़ी शास्ति लगाने की अपनी सलाह को दोहराया । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने केवल निन्दा की लघु शास्ति लगाने का आदेश जारी किया ।

**मामला संख्या 6**

आयोग ने अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रेक्षणों से सहमत होते हुए तथा वर्ष 1996-97 के दौरान संपत्ति के मालिक/निर्माता को अनुचित लाभ पहुँचाने के आरोप को सही मानते हुए, जिसके कारण अप्राधिकृत निर्माण के विरूद्ध समय पर कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकी, दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक कार्यपालक इंजीनियर पर उचित बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी थी । बाद में, अनुशासनिक प्राधिकारी कोई मान्य कारण दिए बिना एक अलग व्याख्या करते हुए अधिकारी को दोषमुक्त करने का सुझाव देकर आयोग से सलाह पर पुनर्विचार मांगा । तथापि, आयोग ने एक उचित बड़ी शास्ति लगाने की अपनी सलाह को दोहराया । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने अंत में अधिकारी को दोषमुक्त करने के अंतिम आदेश जारी किए ।

**मामला संख्या 7**

आयोग ने एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी पर एक उचित बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी थी जिन्होंने कार्यालय परिपत्र का उल्लंघन करते हुए दस कार्यों के लिए बजट पर्चियां जारी किए बिना निगरानी एवं रखरखाव सेवा शुल्क के भुगतान के लिए 33,35,110/- रू0 राशि के चालू खाता बिलों की सिफारिश/अनुमति दी थी तथा (ii) कार्यालय परिपत्र का उल्लंघन करते हुए किसी मान्य स्वीकृति के बिना ही निगरानी एवं रखरखाव सेवा शुल्क के बिलों के भुगतान की सिफारिश/अनुमति दी थी । अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग से सहमत होते हुए आरोपी अधिकारी पर संचयी प्रभाव के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए वेतन के समयमान में दो वेतनवृद्धियां रोकने की शस्ति लगाई । तथापि, अपील प्राधिकारी ने अधिकारी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया ।

**मामला संख्या 8**

आयोग ने एक कार्यपालक इंजीनियर पर अनियमितताएं करने के लिए बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी थी जैसे अनुपूरक अनुबंध तैयार किए जाने की तिथि से पहले ही भुगतान करना, मुख्य ठेकेदार की जिम्मेवारी तथा दायित्व पूरा होने से पहले ही निगरानी एवं रखरखाव शुल्क के भुगतान की सिफारिश करना तथा इसे आगे भेजना चूंकि अनुपूरक अनुबंध तैयार किए जाने की तिथि को दोष विद्यमान थे तथा जिस तिथि को भुगतान की सिफारिश की गई तब भी विद्यमान थे; तथा उपर्युक्त भुगतान किए जाने की सिफारिश करते समय चौकीदारों की तैनाती का सत्यापन नहीं किया गया था । अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग से सहमत होते हुए दो वर्षों के लिए वेतन के समयमान में कमी करने की शास्ति लगाई । तथापि, आरोपी अधिकारी पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति को अपील प्राधिकारी ने लघु शास्ति में परिवर्तित कर दिया ।

**मामला संख्या 9**

आयोग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के एक कार्यपालक इंजीनियर (सी) पर एक उचित बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी थी । आरोप यह थे (i) न केवल अनुपूरक अनुबंध बनाए जाने की तिथि से पहले भुगतान किया गया बल्कि दिनांक 02.05.1997 के ई.एम. परिपत्र सं0.509 का उल्लंघन करके 02.05.1997 से पहले की अवधि के लिए भी भुगतान किया गया, (ii) इस तथ्य के बावजूद कि कार्य में दोष थे, निगरानी एवं रखरखाव शुल्क के लिए भुगतान किया गया, (iii) मुख्य ठेकेदार की जिम्मेवारियां तथा दायित्व पूर्ण होने से पहले ही तैयार किए गए कार्य के लिए भी निगरानी एवं

रखरखाव शुल्क के बिलों का भुगतान किया गया तथा (iv) निगरानी एवं रखरखाव शुल्क के लिए भुगतान का प्रस्ताव देते समय चौकीदारों की तैनाती के बारे में कोई सत्यापन नहीं किया गया । अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह से सहमत होते हुए आरोपी अधिकारी पर दो वर्षों की अवधि के लिए वेतन के वर्तमान समयमान में दो चरणों द्वारा वेतन की कटौती की शास्ति लगाई । अपील प्राधिकारी ने आरोपी अधिकारी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया ।

**<u>मामला संख्या 10</u>**

आयोग ने एक सहायक इंजीनियर पर एक उचित बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी थी जिसने टर्नकी आधार पर निम्न आय समूह आवासों के निर्माण के कार्य के संबंध में एल.वी.एल. शटर की जांच किए जाने से पहले ही इन एल.वी.एल. शटर की आपूर्ति किए जाने के लिए ठेकेदार को भुगतान देने की सिफारिश की थी । अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह से सहमत होते हुए आरोपी अधिकारी पर एक वर्ष की अवधि के लिए वेतनमान में एक चरण द्वारा वेतन की कटौती की शास्ति लगाई । तथापि, अपील प्राधिकारी ने आरोपी अधिकारी को सभी आरापों से दोषमुक्त कर दिया ।

**<u>मामला संख्या 11</u>**

आयोग ने एक सेवानिवृत्त निदेशक (बागवानी) पर पेंशन में उचित कटौती लगाने की सलाह दी थी जिन पर आरोप था कि उन्होंने कुछ पक्षों को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से वास्तविक प्रतियोगिता को टालने के लिए खुली निविदा आमंत्रित करने के स्थान पर चयनित ठेकेदार से दरें आमंत्रित की जिससे प्राधिकरण को वित्तीय नुकसान हुआ । उन्होंने मुख्य इंजीनियर के ध्यान में यह भी नहीं लाया कि सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त कार्यों के लिए ठेके प्रदान किए जाने से पहले वित्त स्कंध की अनुमति ली जानी आवश्यक थी । अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह से सहमत होते हुए आरोपी अधिकारी पर दो वर्षों के लिए पेंशन में 10% कटौती की शास्ति लगाई । तथापि, आरोपी अधिकारी के अपील प्राधिकारी ने शास्ति को कम करके "अप्रसन्नता" कर दिया ।

**<u>मामला संख्या 12</u>**

आयोग ने एक ए.ए.ओ. पर एक उचित बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी थी जो न्यायालय प्रकरण की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने में असफल रहे थे और इसी प्रकार एक पैनल वकील से जिसने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पैनल से त्यागपत्र दे दिया था, फाईल को अन्य फाईलों सहित वापस लेने में तथा उचित समय के भीतर किसी अन्य पैनल वकील को मामला पुन: सौंपने में असफल रहे थे जबकि उनको पूर्ण रूप से मालूम था कि पैनल वकील दिल्ली विकास प्राधिकरण के पैनल से मार्च, 2000 में त्यागपत्र दे चुका था, इन सबके कारण दिनांक 22.04.2002 को प्रतिवादी की ओर से मामले के बचाव के लिए कोई वकील उपस्थित नहीं था तथा माननीय न्यायाधीश ने इस अनुपस्थिति के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फाईल की गई आपत्तियों को खारिज कर दिया तथा न्यायालय का अधिनिर्णय नियम जारी किया । अवार्ड की तिथि से इसके वसूल हो जाने तक 11% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ 22,22,045/- रू0 के लिए यह वाद डिगरी हुआ । अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह से सहमत होते हुए आरोपी अधिकारी पर संचयी प्रभाव के साथ दो वर्षों के लिए दो वेतनवृद्धियां रोकने की शास्ति लगाई ।

आरोपी अधिकारी के अपील प्राधिकारी ने आरोपी अधिकारी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया ।

**इरकान इंटरनेशनल**

आयोग ने इरकान के अपर महाप्रबंधक (उत्तर) के विरूद्ध, निविदाएं प्रदान करने में विभिन्न अनियमितताओं के लिए बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह दी थी । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह नहीं मानी तथा अधिकारी पर एक लघु शास्ति लगाई ।

**रक्षा मंत्रालय**

वर्ष 1998 के दौरान एक गैरीसन इंजीनियर द्वारा एक ठेकेदार से 5000 रू0 रिश्वत लेने संबंधी एक मामले में आयोग ने वर्ष 2003 में अधिकारी के विरूद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह दी । वर्ष 2004 में अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाहियां प्रारंभ की गई । विभागीय जांच अधिकारी ने आरोपों को सिद्ध नहीं माना तथा मंत्रालय, जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत था । तथापि, आयोग ने देखा कि पारिस्थितिक तथा अन्य साक्ष्य उपलब्ध थे जो अधिकारी के विरूद्ध आरोप को सिद्ध करते थे और इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फांसने के दौरान विभिन्न कमियों के कारण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में अधिकारी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, एक कठोर बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी । तथापि, रक्षा मंत्रालय ने आयोग से सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जिसे माना नहीं गया । इसके पश्चात, वर्ष 2009 में मंत्रालय ने अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया ।

**विदेश मंत्रालय**

आयोग ने भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी के विरूद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों की सलाह दी थी जिन्होंने स्वंय के लिए तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए यात्रा एजेंट से रियायती टिकटें प्राप्त करके अनियमितता की थी क्योंकि मिशन ने पूर्ण किराया टिकटों के लिए भुगतान किया था तथा इन्होंने लेखों के अनुचित संचालन संबंधी अनियमितताएं भी की थी । जून, 2003 में एक आरोप पत्र जारी किया गया तथा 2004 में एक विभागीय जांच आयुक्त नियुक्त किया गया, भारत में साक्ष्य रिकार्ड किए जाने आदि से संबंधित व्यावहारिक कारणों की वजह से जांच कार्य एक विभागीय जांच अधिकारी को सौंपा गया । बाद में, वर्ष 2007 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एक स्थगन आदेश के कारण जांच कार्यवाहियां आगे नहीं बढ़ाई जा सकी । आयोग ने मंत्रालय को सलाह दी कि स्थगन आदेश को समाप्त कराएं तथा कार्यवाहियों को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण किया जाए । तथापि, मंत्रालय ने एक रिकार्ड की जाने वाली चेतावनी जारी करके, पांच वर्षों के लिए अधिकारी की विदेश में तैनानी पर रोक लगाकर तथा आरोपी अधिकारी से 97,960/- रू0 की वसूली करके विभागीय कार्यवाहियों को बन्द कर दिया ।

**रेल मंत्रालय**

**मामला संख्या 1**

आयोग ने रेलवे के एक वरिष्ठ मंडलीय इंजीनियर के विरूद्ध लघु शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह दी थी जो स्टाफ आवासों में बेकार हो चुके दरवाजों को बदलने के लिए एक निविदा में उचित विनिर्देशन उपलबध कराने में असफल रहे थे । इस कार्य के लिए एक नई सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था जो कि पहली बार प्रयोग में लाई जा रही थी तथा इसके लिए सम्बद्ध प्राधिकारियों का उचित अनुमोदन नहीं लिया गया था । पुनर्विचार करने पर आयोग ने लघु शास्ति की कार्यवाहियों की अपनी सलाह को दोहराया । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने अधिकारी को 'समझाने' का निर्णय लिया ।

**मामला संख्या 2**

आयोग ने रेलवे के एक सेवानिवृत्त मंडलीय विद्युत इंजीनियर के विरूद्ध पेंशन में कटौती की सलाह दी जिन्होंने वन विभाग में लकड़ी प्राप्त होने का सत्यापन किए बिना ही साफ लकड़ी को निकटतम डिपो तक ले जाने के कार्य के लिए मापों की बीस प्रतिशत जांच परीक्षा नहीं की थी तथा ठेकेदारों को जाली भुगतान किए थे । पुनर्विचार करने पर, आयोग ने पेंशन में कटौती की अपनी पिछली सलाह को दोहराया । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग की सलाह नहीं मानी तथा आरोपी अधिकारी के विरूद्ध मामले को बन्द करने का निर्णय लिया ।

**मामला संख्या 3**

आयोग ने वरिष्ठ मंडलीय चिकित्सा अधिकारी पर लघु शास्ति लगाने की सलाह दी जिन्होंने किडनी रोगियों के उपचार में प्रयोग होने वाले सीएपीडी द्रव्य की खरीद, दरों का औचित्य निर्धारित करने हेतु बाजार सर्वेक्षण किए बिना ऊंची दरों पर की थी । पुनर्विचार करने पर, आयोग ने आरोपी अधिकारी पर लघु शास्ति की अपनी सलाह को दोहराया । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने अधिकारी के विरूद्ध आरोपों को बन्द कर दिया ।

**मामला संख्या 4**

आयोग ने एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक वित्त सलाहकार पर सामग्रियों की वास्तविक प्राप्ति के बिना ही बिल पास करने के लिए पेंशन में कटौती की सलाह दी । अनुशासनिक प्राधिकारी आयोग से सहमत नहीं हुए तथा मामले को बन्द कर दिया ।

**मामला संख्या 5**

वातानुकूलित तथा गैर-वातानुकूलित डिब्बों की आपातकालीन स्थिति में खुलनेवाली घटिया खिड़कियों का निरीक्षण करने तथा इन्हें पास करने के एक मामले में आयोग ने तत्कालीन एस.आई.ई. पर कठोर लघु शास्ति लगाने की सलाह दी । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी आयोग की सलाह से सहमत नहीं हुए तथा "एक वर्ष की अवधि के लिए चार पीटीओ रोकने" की शास्ति

लगाई । अपील प्राधिकारी ने भी अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई शास्ति का अनुमोदन किया ।

**मामला संख्या 6**

आयोग ने रेलवे के तत्कालीन मुख्य इंजीनियर के विरूद्ध निविदाएं प्रदान करने में की गई विभिन्न अनियमितताओं के लिए कठोर लघु शास्ति की कार्यवाहियों की सलाह दी । अनियमितताएं इस प्रकार थी: वित्तीय जांच के बिना निविदाएं आमंत्रित करना, विस्तृत अनुमान स्वीकृत किए जाने से पहले ही निविदा प्रदान किए जाने का पत्र जारी करना, अयोग्य पक्षों को निविदाएं प्रदान करना आदि । मामले पर पुनर्विचार करने के पश्चात, आयोग ने कठोर लघु शास्ति की कार्यवाहियों की अपनी सलाह को दोहराया । आरोपी अधिकारी के उत्तर पर विचार करने के पश्चात, अनुशासनिक प्राधिकारी ने रिकार्ड की जाने वाली चेतावनी जारी करने का प्रस्ताव दिया । आयोग ने दूसरे चरण में, उचित लघु शास्ति लगाने की सलाह दी तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी आयोग से सहमत नहीं हुए तथा केवल रिकार्ड पर रखी जाने वाली एक चेतावनी जारी की ।

## नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

किरायेदारों द्वारा परिसरों में अप्राधिकृत निर्माण/नवीकरण कार्य से संबंधित एक मामले में आयोग ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से सहमत होते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के एक उप मुख्य वास्तुकार के विरूद्ध लघु शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह दी । बाद में, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने निर्णय लिया कि चूंकि अधिकारी की ओर से दुराशयता का कोई इरादा नहीं था तथा यह कि किरायेदार एक सार्वजनिक उपक्रम था । अत: आरोपी अधिकारी को भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी जो कि आयोग की सलाह से अलग थी ।

## आयल इंडिया लि0

आयोग ने आयल इंडिया लि0 के चार अधिकारियों के विरूद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह दी जिन्होंने संगठन की लागत पर एक निजी पक्ष को समायोजित करने तथा उसका पक्ष लेने के उद्देश्य से अनेकों त्रुटियां की थी । जांच समाप्त होने पर, आयोग ने चारों अधिकारियों पर उचित बड़ी शास्तियां लगाने की सलाह दी । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी ने आयोग से इसकी सलाह पर पुनर्विचार की मांग किए बिना ही अधिकारियों पर 'निन्दा' की लघु शास्ति लगाई ।

## रेल विकास निगम लि0

एक अयोग्य फर्म को निविदा प्रदान करने की अनियमितताओं के लिए आयोग ने रेल विकास निगम लि0 के अपर महाप्रबंधक, एफ एंड ए तथा महाप्रबंधक (वि.) के विरूद्ध बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह दी । तथापि, अनुशासनिक प्राधिकारी आयोग से सहमत नहीं हुए तथा अपर

महाप्रबंधक, रेल विकास निगम लि0 के विरूद्ध केवल लघु शास्ति की कार्रवाई प्रारंभ की तथा महाप्रबंधक (वि.) रेल विकास निगम लि0 को परामर्श दिया ।

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सर्वोदय बाल विद्यालय)**

आयोग ने सर्वोदय बाल विद्यालय के एक प्रधानाचार्य पर बड़ी शास्ति लगाने की सलाह दी जिनपर कदाचार सिद्ध हुए थे कि शिक्षा उपनिदेशक/शिक्षा अधिकारी को पूर्व सूचना अथवा अवकाश आवेदन पत्र दिए बिना विद्यालय से अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, पी.टी.ए. कार्यकारी समिति का अनुमोदन लिए बिना पी.टी.ए. कोष का दुरूपयोग करना तथा जाली बिलों को पी.टी.ए. सभाओं में खर्चा दिखाकर उन्हें पी.टी.ए. कोष रजिस्टर/रोकड़ बही में प्रविष्टि करना । अपील प्राधिकारी अर्थात दिल्ली के उपराज्यपाल ने आयोग की दूसरे चरण की सलाह का पुनर्विचार लिए बिना आयोग की सलाह को न मानते हुए "संचयी प्रभाव के बिना दो वर्षों के लिए वेतनवृद्धियां रोकने" की लघु शास्ति लगाई ।

## II विलम्ब एवं त्रुटियां

5.3 शिकायतों का शीघ्रतापूर्वक अन्वेषण करने से अनुचित आचरण करने के जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध समय पर कार्रवाई करने में सहायता मिलती है तथा इसके अतिरिक्त इससे यह सुनिश्चित होता है कि अनावश्यक रूप से फंसाए गए ईमानदार अधिकारी जितना शीघ्र संभव हो आरोपों से छूट जाएं । समय पर की गई ऐसी कार्रवाई अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश देती है कि उनकी ओर से किया गया कोई भी कदाचार दंडरहित नहीं जाएगा तथा इसके अतिरिक्त अभिशासन की प्रणाली तथा लोक प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ाएगी । आयोग पहले ही ऐसे दिशानिर्देश जारी कर चुका है जिनमें किसी मामले के निपटान में किए गए अनुचित विलंब को सतर्कता पहलू विद्यमान होने का एक तत्व घोषित किया गया है ।

5.4 आयोग द्वारा विलंब को अत्यधिक गंभीरता से लिए जाने के बावजूद, यह गंभीर चिन्ता का विषय है कि सतर्कता मामलों के संचालन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा अभी भी विलंब ही है । विलंब ना केवल शिकायतों/मामलों के संसाधन के विभिन्न स्तरों पर देखा गया है अपितु उस स्तर पर भी देखा गया है जहां सक्षम प्रधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाने होते हैं, जो कि संगठनों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी होते हैं । यद्यपि, सतर्कता संबंधी मामलों के समय पर तथा दक्ष संचालन के महत्व के बारे में संगठनों को सुग्राही बनाने का आयोग लगातार प्रयास करता रहा है परंतु यह देखा गया है कि कई बार संगठनों के प्राधिकारी इन कारकों के प्रति पूर्ण उदासीनता दर्शाते हैं । **ऐसे सामान्य क्षेत्र जहां विलंब होते देखे गए थे शिकायतों का अन्वेषण करने, उचित विभागीय कार्यवाहियां प्रारंभ करने के लिए आरोप-पत्र जारी करने, जांच अधिकारी की नियुक्ति तथा अनुशासनिक कार्यवाहियां समाप्त हो जाने के बाद अंतिम आदेश जारी करने से संबंधित थे ।** यह भी देखा गया है कि आरोपी अधिकारियों के विरूद्ध मौखिक जांच करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा संगठनों के भीतर से ही नियुक्त किए गए जांच अधिकारी कई बार, जांच करने में अनुचित लम्बा समय लेते हैं जो सतर्कता मामलों के समापन में और अधिक विलंब करता है ।

## III शिकायतों के अन्वेषण में विलंब

5.5 आयोग, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों पर उचित ध्यान देता है जो बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैं । जनता में जागरूकता तथा अपेक्षाओं के बढ़ते स्तर के साथ ही आयोग में प्राप्त हो रही शिकायतों की संख्या प्रतिवर्ष लगातार बढ़ रही है । आयोग का मत यह है कि शिकायतें, किसी भी संगठन में प्रणालीगत त्रुटियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराती हैं तथा इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत अधिकारियों द्वारा निजी लाभ के लिए कदाचारों में लिप्त होने अथवा कुछ विशेष व्यक्तियों, पक्षों आदि का अनुचित पक्ष लिए जाने के उदाहरणों की ओर ध्यान दिलाती हैं ।

5.6 आयोग में प्राप्त सभी शिकायतों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में आयोग द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले इनकी पूर्ण रूप से संवीक्षा की जाती है । ऐसी शिकायतों को जिनमें एक बोधगम्य सतर्कता पहलू के साथ गंभीर, सत्यापनीय आरोप होते हैं उन्हें सामान्यतया: पूर्ण अन्वेषण किए जाने तथा आयोग को रिपोर्ट भेजे जाने के लिए संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेज दिया जाता है । यदि आयोग यह महसूस करता है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी के लिए मामले का उचित रूप से अन्वेषण करना संभव नहीं है (जहां मामले में बाहरी एजेंसी/व्यक्ति शामिल हैं जिनपर मुख्य सतर्कता अधिकारी की अधिकारिता/नियंत्रण नहीं है) तो शिकायतों को गंभीर सत्यापन/अन्वेषण के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया जाता है ।

5.7 वर्ष 2009 के दौरान, आयोग में प्राप्त शिकायतों में से लगभग 12% शिकायतों को आयोग ने अन्वेषण तथा रिपोर्ट के लिए भेजा । तथापि, आयोग ने देखा कि संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों ने आयोग को रिपोर्ट भेजने में विलंब किया क्योंकि आयोग द्वारा निर्धारित तीन माह की समय सीमा के भीतर अन्वेषण नहीं किया गया था । यह विलंब और अधिक महत्वपूर्ण तथा गंभीर हो जाता है क्योंकि अन्वेषण तथा रिपोर्ट के लिए आयोग द्वारा केवल उन शिकायतों को भेजा गया था जिनमें बोधगम्य सतर्कता पहलू वाले गंभीर प्रकृति के आरोप थे तथा ये संबंधित संगठनों के वरिष्ठ स्तर अधिकारियों के शामिल होने की ओर संकेत करती थी ।

5.8 आयोग ने सभी कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात तथा सतर्कता प्रशासन संबंधी मामलों में तत्परता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा एक शिकायत का अन्वेषण पूरा करने तथा आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए तीन माह की अवधि निर्धारित की है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के लिए, 6 माह की समय सीमा निर्धारित है । आयोग ने चिन्ता के साथ नोट किया है कि वर्ष 2009 के अंत में, आयोग द्वारा संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेजी गई कुल 1514 शिकायतों में अन्वेषण रिपोर्ट अभी तक उनसे प्राप्त नहीं हुई थी । लंबित मामलों का संगठनवार विवरण **अनुबन्ध-IV** में दिया गया है । मुख्य सतर्कता अधिकारियों को बार बार याद दिलाए जाने के बावजूद 39 (लगभग 2.6%) शिकायतें तीन वर्ष से अधिक समय से अभी तक अन्वेषण हेतु लंबित थी तथा 598 (लगभग 39.4%) शिकायतें एक से तीन वर्ष के बीच की अवधि से लंबित थी । शेष 877 (लगभग 57.9%) शिकायतें एक वर्ष से कम अवधि से लंबित थी । वर्ष 2008 तथा 2009 के दौरान, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किए गए विलंब का विवरण निम्न **सारणी-9** तथा **चार्ट-14** में दिया गया है :

## सारणी- 9
## अन्वेषण एवं रिपोर्ट के लिए लंबित शिकायतें

| वर्ष | एक वर्ष तक | 1-3 वर्ष तक | 3 वर्ष से अधिक |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1297 | 347 | 72 |
| 2009 | 877 | 598 | 39 |

**चार्ट-14**

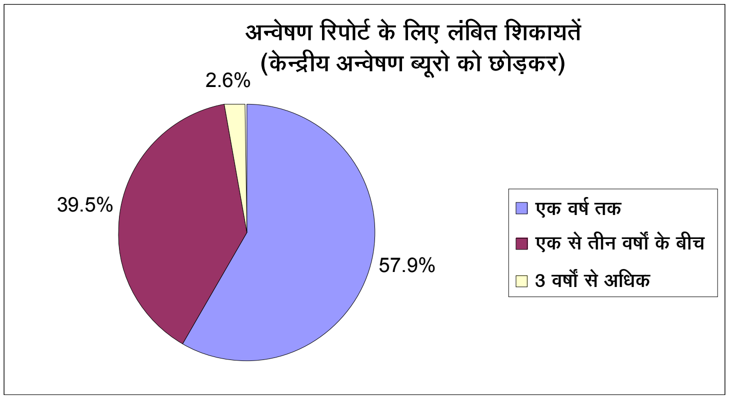


**कुछ संगठनों के नाम नीचे दिए गए हैं जिनमें बड़ी संख्या में शिकायतें अन्वेषण करने तथा आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लंबित हैं:**

| क्र.स. | संगठन/विभाग | शिकायतों पर रिपोर्ट देने में विलंब |
|---|---|---|
| 1. | रेल मंत्रालय | 117 |
| 2. | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | 97 |
| 3. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | 86 |
| 4. | दिल्ली नगर निगम | 68 |
| 5. | दिल्ली विकास प्राधिकरण | 58 |
| 6. | माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | 52 |
| 7. | रक्षा मंत्रालय | 40 |
| 8. | स्वास्थ्य विभाग | 39 |
| 9. | भारतीय जीवन बीमा निगम | 28 |
| 10. | शहरी विकास मंत्रालय | 26 |
| 11. | केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड | 25 |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | 24 |
| 13. | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन | 23 |
| 14. | भारतीय स्टेट बैंक | 22 |
| 15. | दिल्ली जल बोर्ड | 20 |
| 16. | भारतीय खाद्य निगम | 20 |

## IV मौखिक जांच करने में विलंब

5.9 यदि कोई अधिकारी प्रारंभिक अन्वेषण के दौरान गंभीर प्रकृति का कदाचार करने का जिम्मेवार पाया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी मामले की गंभीरता के बारे में स्वंय को संतुष्ट करने के पश्चात् संदिग्ध लोक सेवक के विरूद्ध उचित अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ करने का आदेश देते हैं । लोक सेवक को उसका मामला प्रस्तुत करने के लिए एक उचित अवसर देने हेतु, यदि आवश्यक हो, मौखिक जांच की जाती है । आयोग ने जांच कार्यवाहियों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मौखिक जांच पूरा करने के लिए एक स्पष्ट तथा विस्तृत अनुसूची निर्धारित की है जिसमें प्रत्येक चरण को पृथक रूप से उस समय सीमा के साथ परिभाषित किया गया है जिसके भीतर प्रत्येक चरण पूरा किया जाना है । इस अनुसूची के अनुसार, जांच अधिकारी की नियुक्ति हो जाने के बाद 6 माह की अवधि के भीतर जांच कार्यवाहियां पूरी हो जानी चाहिए । बड़ी शास्ति की कार्यवाहियां प्रारंभ करने की सलाह आयोग द्वारा दिए जाने के पश्चात, जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए आयोग ने दो माह की अवधि निर्धारित की है । दो माह की समय सीमा में, दोषी अधिकारी को आरोप पत्र जारी करने के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी का एक माह का समय भी शामिल है ।

5.10 **आयोग अपने पास उपलब्ध सीमित उपायों के कारण, संबंधित संगठनों को सलाह देता है कि वे अपना स्वंय का जांच अधिकारी नियुक्त करें जहां आरोपी अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच की जानी है । आयोग सीमित संख्या में मामलों में जांच कार्यवाहियां चलाने के लिए अपने अधिकारियों को जांच अधिकारी के रूप में नामित करता है जहां आरोपी अधिकारी वरिष्ठ स्तर के हैं तथा उनके विरूद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के हैं । इस पर भी, यह देखा गया है कि आयोग के विभागीय जांच आयुक्तों की जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी करने में संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा अत्यधिक विलम्ब किया गया । वर्ष 2009 के दौरान, 23 मामलों में, जांच अधिकारियों के रूप में विभागीय जांच आयुक्तों के नियुक्ति आदेशों में अनुबद्ध समय सीमा से बढ़कर विलंब हुआ था । इनमें से 3 मामले एक वर्ष से अधिक पुराने थे तथा 20 मामले तीन माह से अधिक पुराने थे** । विभागीय जांच आयुक्तों की जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति में विलंब के इन 23 मामलों का संगठनवार विवरण **अनुबंध-V** में दिया गया है ।

5.11 जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद भी जांच कार्यवाहियां चलाने के लिए जांच अधिकारी को सम्बद्ध दस्तावेजों अर्थात आरोप पत्र की प्रति, आरोपी अधिकारी का जवाब, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति के आदेश, सूचीबद्ध दस्तावेज, गवाहों की सूची आदि की आवश्यकता होती है । वर्ष 2009 के दौरान, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा 15 मामलों में आयोग के विभागीय जांच आयुक्तों को ये सम्बद्ध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए जिसके कारण जांच कार्यवाही में समयोचित रीति से प्रगति नहीं हो सकी ।

## V आयोग की सलाह के कार्यान्वयन में विलंब

5.12 **आयोग अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी तथ्यों पर उचित विचार करने के पश्चात अपनी सलाह देता है इसकी सलाह के कार्यान्वयन में कोई भी विलंब, संबंधित संगठनों में सतर्कता प्रशासन की दुर्बल स्थिति दर्शाती है । आयोग चिन्ता के साथ नोट करता है कि वर्ष 2009 के अंत में, आयोग की प्रथम चरण की सलाह के कार्यान्वयन हेतु 1589 मामले 6 माह से अधिक समय से लंबित थे । इसी अवधि के दौरान, आयोग की दूसरे चरण की सलाह के कार्यान्वयन हेतु 653 मामले 6 माह से अधिक समय से लंबित थे** । इन मामलों का संगठनवार विवरण **अनुबंध-VI** में दिया गया है । ऐसे कुछ संगठन जहां बड़ी संख्या में मामलों में अत्यधिक विलंब हुआ, निम्न है:-

**सारणी-10**

**आयोग की सलाह के कार्यान्वयन में 6 माह से अधिक विलंब**

| **क्र.सं.** | **संगठन/विभाग** | **प्रथम चरण की सलाह** | **दूसरे चरण की सलाह** |
|---|---|---|---|
| 1. | रेल मंत्रालय | 226 | 105 |
| 2. | केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड | 170 | 112 |
| 3. | दूरसंचार विभाग | 115 | 29 |
| 4. | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | 84 | 56 |
| 5. | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 45 | 14 |
| 6. | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 38 | 10 |
| 7. | दिल्ली विकास प्राधिकरण | 36 | 19 |
| 8. | रक्षा मंत्रालय | 36 | 15 |
| 9. | गृह मंत्रालय | 34 | 13 |
| 10. | केन्द्रीय विद्यालय संगठन | 33 | 8 |
| 11. | नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0 | 31 | 20 |
| 12. | भारतीय मानक ब्यूरो | 25 | 9 |
| 13. | दमन एवं दीव तथा दादर एवं नागर हवेली प्रशासन | 25 | 9 |
| 14. | शहरी विकास मंत्रालय | 19 | 18 |
| 15. | विजया बैंक | 19 | 0 |
| 16. | अंडमान एवं निकोबार प्रशासन | 16 | 1 |
| 17. | सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 16 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18. | रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग | 15 | 5 |
| 19. | दिल्ली परिवहन निगम | 15 | 0 |
| 20. | पुड्डुचेरी सरकार | 15 | 1 |
| 21. | खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | 15 | 7 |
| 22. | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | 15 | 5 |

## VI सलाह लेने/अनुशासनिक कार्यवाहियाँ चलाने में विलम्ब

5.13 अनुशासनिक कार्यवाहियाँ अथवा अन्यथा प्रारंभ करने के बारे में निर्णय लेने में विलंब को दूर करने तथा अनुशासनिक कार्यवाहियों के समापन में अनावश्यक विलंब से बचने की भी आवश्यकता के बारे में आयोग संगठनों से जोर देकर कहता रहा है । समयोचित कार्रवाई करने में विलम्ब से कई बार संदिग्ध लोक सेवकों को लाभ मिलता है तथा यह सतर्कता प्रशासन के प्रभाव को क्षति पहुंचाता है । जब भी आयोग के ध्यान में अत्यधिक/अनावश्यक/ज्ञानकृत विलंब का कोई भी उदाहरण आता है तो यह ना केवल अपनी चिन्ता तथा अप्रसन्नता व्यक्त करता है अपितु दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की सलाह भी देता है ।

## VII चिन्ता के अन्य विषय

5.14 आयोग ने देखा है कि अनेक संगठनों, विशेषकर, सार्वजनिक उपक्रमों में, ऐसे दोषी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात कार्रवाई करने या दंड देने का सेवा नियमों में कोई प्रावधान नहीं था जिन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान गंभीर अनियमितताएं की हों । ऐसा प्रावधान ना होने से, कुछ लोक सेवक अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले अनुचित व्यवहार में लिप्त होने का लोभ अनुभव करते हैं ।

## अध्याय-6

## मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक

6.1 आयोग का मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक केन्द्रीय सरकारी विभागों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों/उद्यमों तथा केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों/बैंकों आदि द्वारा किए जा रहे सिविल, विद्युत तथा बागवानी कार्यों का निरीक्षण करता है । यह एकक भंडार/खरीद ठेकों तथा कंप्यूटरीकरण आदि का निरीक्षण भी करता है ।

6.2 मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक गहन जांच के लिए कार्यों अथवा ठेकों का चयन या तो स्वंय करता है या इसे उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर करता है या मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक को भेजी जा रही तिमाही प्रगति रिपोर्टों में दिए गए विवरणों में से करता है । मुख्य सतर्कता अधिकारियों को प्रगति पर चल रहे एक करोड़ रू0 से अधिक निविदा मूल्य वाले सिविल कार्यों, 30 लाख रू0 से अधिक लागत वाले विद्युत/मैकेनिकल/इलैक्ट्रानिक्स कार्यों, 2 लाख रू0 से अधिक के बागवानी कार्यो तथा 2 करोड़ रू0 से अधिक मूल्य वाले भंडार/खरीद ठेकों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने होते हैं । मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक द्वारा की गई कार्यों की गहन जांच से कार्य के घटिया निष्पादन, परिहार्य एवं/या अधिक व्यय, तथा ठेकेदारों का अनुचित पक्ष लेने या उन्हें अधिक भुगतान करने आदि से संबंधित अनियमितताओं को प्रकट करने में सहायता मिलती है । मुख्य सतर्कता अधिकारी, कार्यों का विवरण भेजते समय, अन्य मामलों की भी मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक द्वारा जांच किए जाने के लिए सिफारिश कर सकते हैं, यदि वे ऐसे कार्यों की मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक द्वारा जांच किए जाने की आवश्यकता अनुभव करते हैं । मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक द्वारा किए गए निरीक्षणों से प्रणालीगत सुधारों तथा अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने में सहायता मिली है ।

6.3 गंभीर सतर्कता पहलू वाली विशिष्ट शिकायतों में आरोपों का सत्यापन करने के लिए भी गहन जांच की जाती है । सभी जांच कार्य आयोग के अनुमोदन से किए जाते हैं ।

6.4 गहन जांच रिपोर्टों में, प्रत्यक्षत: सतर्कता पहलू, अधिक भुगतान, गुणवत्ता से समझौता, समय एवं लागत में वृद्धि, लोक प्रापण प्रक्रियाओं में त्रुटियों आदि वाले प्रेक्षणों को सामने लाया जाता है । इन प्रेक्षणों पर की गई कार्रवाई के फलस्वरूप दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई तथा एजेन्सियों से वसूली के साथ-साथ सर्वांगी सुधार हुए हैं ।

6.5 गहन जांचों के अतिरिक्त, मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक प्रापण प्रक्रियाओं पर उचित दिशानिर्देश भी जारी करता है तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों एवं कार्यकारियों के लिए निवारक सतर्कता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है । इस प्रकार की गई जांचों का अध्ययन, अधिकारियों तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए विभिन्न सभाओं में प्रस्तुत किया जाता है ।

## क. तकनीकी जांच

6.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक ने 68 संगठनों के कार्यों का निरीक्षण किया तथा 129 रिपोर्टें प्रस्तुत की । इन जांचों का विवरण निम्न **सारणी-11** में दिया गया है :

**सारणी-11**

**वर्ष 2009 के दौरान मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक द्वारा किए गए निरीक्षण**

| **संगठनों का विवरण** | **विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या** | **गहन जांच रिपोर्टों की संख्या** |
|---|---|---|
| सरकारी विभाग | 12 | 30 |
| बैंक/बीमा कंपनी तथा वित्तीय संस्थान | 6 | 9 |
| सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त निकाय आदि | 50 | 90 |
| **योग** | **68** | **129** |

6.7 वर्ष के दौरान, मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा परिवहन, संचार, उर्जा, कोयला, न्यास आदि के विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों को कवर करते हुए निरीक्षण किए गए कुछ संगठन ये थे: दिल्ली विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दामोदर घाटी निगम, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, भारत पैट्रोलियम का0 लि0, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जवाहर नेहरू पत्तन न्यास, मारमुगाओ पत्तन न्यास, मुंबई पत्तन न्यास, रेल विकास निगम लि0, राष्ट्रीय जल-विद्युत उर्जा नि0, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सतलुज जल विद्युत निगम लि0, ऑयल एंड नैचुरल गैस का0, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पावर ग्रिड का0 आफ इंडिया लि0, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, दिल्ली-लोक निर्माण विभाग, भारत संचार निगम लि0, रेलवे, दिल्ली मैट्रो रेल का0 आदि ।

6.8 निरीक्षण रिपोर्टों को संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों तथा विभागों को उनकी टिप्पणियों तथा प्रेक्षणों के अनुपालन हेतु भेजा जाता है । सतर्कता पहलू वाली अनियमितताओं/परिवर्तनों को विस्तृत अन्वेषण के लिए भेजा जाता है । वर्ष 2009 के दौरान ऐसे 20 मामले अन्वेषण के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेजे गए जिनमें से 10 रिपोर्टें सिविल कार्यों से संबंधित थीं, 8 विद्युत कार्यों से संबंधित थीं तथा 2 भण्डार/खरीद ठेकों की थीं ।

6.9 वर्ष के दौरान मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक द्वारा किए गए निरीक्षणों के परिणामस्वरुप **68.61** करोड़ रू0 की वसूलियां की गई । ये वसूलियां अधिक भुगतान/प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता में कमी अथवा ठेका शर्तों आदि का पालन न किए जाने के लिए ठेकेदारों को दंडस्वरूप की गई । पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई वसूलियां **सारणी -12** में दर्शाई गई हैं ।

**सारणी- 12**

**पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई वसूलियां**

| वर्ष | राशि (करोड़ रू0 में ) |
|---|---|
| 2007 | 28.90 |
| 2008 | 47.44 |
| 2009 | 68.61 |

## ख. विभिन्न संगठनों के कार्यों की गहन जांच पर उठाए गए प्रेक्षण

6.10 मुख्य तकनीकी परीक्षक के निरीक्षणों के दौरान सार्वजनिक प्रापण के विभिन्न चरणों में देखी गई त्रुटियों एवं अनियमितताओं के निदर्शी प्रकार निम्न हैं:-

### 6.11 परामर्शदाता की नियुक्ति

6.11.1 सामग्री संचालन प्रणाली के एक कार्य में सार्वजनिक उपक्रमों से सीमित निविदाएं आमंत्रित करके परामर्शी कार्य प्रदान किया गया । तलकर्षण ठेके के एक कार्य में पत्तनन्यास ने डी.पी.आर. परामर्शदाता की नियुक्ति नामांकन आधार पर की । एक ताप विद्युत स्टेशन में सड़क निर्माण का परामर्शी कार्य न केवल नामांकन आधार पर एक सार्वजनिक उपक्रम को प्रदान किया गया था अपितु परियोजना की लागत के 10% के ऊंचे पारिश्रमिक पर दिया गया ।

6.11.2 एक स्वायत्त समिति द्वारा एक भवन के निर्माण के कार्य में परियोजना लागत के 6% के ऊंचे पारिश्रमिक पर परामर्शी कार्य एक वास्तुकार को प्रदान किया गया । वित्तीय बोली को 60% वेटेज दिए जाने की निविदा शर्त का उल्लंघन करके ऐसा किया गया । इसके अतिरिक्त, 6% पारिश्रमिक प्रचलित प्रवृत्ति की तुलना में बहुत अधिक था । जबकि इस संगठन ने विगत में अपनी अन्य परियोजनाओं के लिए ऐसे ही वास्तुशिल्पीय परामर्शी कार्य 3.5% के पारिश्रमिक पर प्रदान किए थे । बाद में वास्तुकार ने नक्शे तथा अनुमान जारी करने में चूक की । फिर भी, ठेके की शर्तों के अनुसार उससे किसी क्षतिपूर्ति की वसूली नहीं की गई । दूसरी ओर, परियोजना में देर हुई अवधि के लिए उसे सम्मत परामर्शी शुल्क से अधिक एक लाख रू0 प्रति माह अतिरिक्त शुल्क दिया गया ।

6.11.3 संगठन के एक ठेके में, जनवरी 2006 से अगस्त 2008 के मध्य प्रदान किए गए 29 परामर्शी ठेकों में से 18 परामर्शी ठेके एकल निविदा आधार पर प्रदान किए गए थे तथा 9 परामर्शी ठेके निविदा आमंत्रित किए बिना ही पूर्ण किए गए । संगठन ने प्रारंभ में व्यापक प्रचार करते हुए परामर्शी फर्मों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति/सीमित निविदाएं आमंत्रित की थी परंतु सीमित उत्तर प्राप्त होने के कारण उन्होंने मै0 एक्स को परामर्शी सेवाएं देने के लिए नामांकन आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया । तथापि, उसी परामर्शदाता मै0 एक्स को औपचारिक रूप से

निविदाएं आमंत्रित किए बिना बाद के कार्य सौंपने के लिए कोई तर्कसंगत कारण नहीं दिया जा सका । नामांकन आधार पर मै0 एक्स को प्रदान किए गए चार ठेकों में से दो ठेके बोर्ड का अनुमोदन लिए बिना प्रदान किए गए तथा आयोग का दिनांक 05.07.2007 का कार्यालय ज्ञापन जारी होने के बाद ऐसा किया गया । यह देखा गया कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया ।

यह भी देखा गया कि संगठन द्वारा मै0 एक्स को प्रदान किए गए परामर्शी ठेके में भुगतान की जा रही कीमत बहुत अधिक थी तथा प्रदान की गई दरें प्रचलित दरों का लगभग 825% प्रतीत होती थी । ऐसा प्रतीत होता है कि तर्कसंगत कीमत से 6 करोड़ रू0 से अधिक अतिरिक्त भुगतान किया गया । इसके अतिरिक्त, ठेके के कार्य क्षेत्र में द्वैधता प्रतीत होती है जो कि उचित विवेचन के बिना प्रदान किया गया था जिसके परिणामस्वरुप लगभग 1.50 करोड़ रू0 का निष्फल व्यय हुआ ।

6.11.4 एक बैंक द्वारा परामर्शी कार्य एक परामर्शदाता को नामांकन आधार पर, इस परामर्शदाता फर्म से दरें प्राप्त करके 19.20 लाख रू0 परामर्शी शुल्क पर प्रदान किया गया । नामांकन आधार पर कार्य प्रदान करने के विषय पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था ।

## 6.12 परामर्शदाताओं के कार्य की गुणवत्ता

6.12.1 राजमार्गों, उर्जा, पत्तन, खान आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों की गहन जांच के दौरान यह देखा गया कि परामर्शदाता अपने कर्तव्यों का उचित निष्पादन करने में असफल रहे थे । अनेक मामलों में, परामर्शदाताओं द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यथार्थ से बहुत दूर थी । साथ ही, उनके द्वारा पर्यवेक्षित कार्यों की गुणवत्ता, मानकों के अनुसार नहीं थी ।

6.12.2 आयोग के ध्यान में ऐसे कुछ मामले आए हैं जिनमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से भारी परिवर्तन हुए थे । रू0 330 करोड़ की मूल लागत वाली एक राजमार्ग अवसंरचना परियोजना में कार्य की मूल लागत से 250 करोड़ रू0 अधिक के परिवर्तन हुए । घटिया तथा दोषपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के कारण ऐसा हुआ । ऐसे असामान्य परिवर्तनों का मुख्य कारण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट परामर्शदाता द्वारा मिट्टी के गुणों का अपर्याप्त अध्ययन किया जाना था जिसके कारण कार्य में विलंब भी हुआ । आश्चर्यजनक रूप से, संगठन में, जिसके पास अपने इंजीनियरिंग विशेषज्ञ थे, त्रुटिपूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकार किया तथा फिर से परामर्शदाता से प्रश्न किए बिना ही परिवर्तनों को स्वीकार किया ।

6.12.3 एक तलकर्षण कार्य के लिए एक परामर्शदाता द्वारा बनाया गया अनुमान 11.22 करोड़ रू0 का था । परंतु इसी परामर्शदाता ने एल-1 की उद्धृत दरों 17.11 करोड़ रू0 पर कार्य प्रदान करने की सिफारिश की जबकि वास्तविकता यह थी कि उसके द्वारा संपादित लागत केवल 11 करोड़ रू0 थी । तथापि, निविदा मूल्यांकन समिति ने मोल-तोल किया तथा दरों को कम करवा कर 13 करोड़ रू0 करवाया । यह उदाहरण परामर्शदाता तथा बोलीदाता के बीच संभावित सांठ-गांठ का संकेत देता है ।

6.12.4 विश्वविद्यालय भवन के निर्माण के एक कार्य में आर.सी.सी. कार्य की गुणवत्ता घटिया पाई गई । एक परिष्करण-शाला परियोजना के एक अन्य कार्य में पाईल नींव कार्य घटिया गुणवत्ता का पाया गया । इसी प्रकार, आवासीय परियोजना के एक कार्य में अनावृत्त ईंट कार्य घटिया गुणवत्ता का पाया गया । इन कार्यों का पर्यवेक्षण, उपभोक्ता विभाग की सक्रिय भूमिका के बिना परामर्शदाता द्वारा किया जा रहा था ।

## 6.13 कार्य आमंत्रित तथा प्रदान करना

6.13.1 सामग्री संचालन प्रणाली के एक कार्य में परामर्शदाता द्वारा 59 करोड़ रू0 अनुमानित लागत निकाली गई तथा संबंधित संगठन द्वारा 64 करोड़ रू0 अनुमानित लागत निकाली गई । एल-1 ने 130 करोड़ रू0 की राशि उद्धृत की । मूल्य बोली खोलने के पश्चात, परामर्शदाता तथा संगठन द्वारा अनुमानित लागत संशोधित करके क्रमश: 84 करोड़ रू0 तथा 100 करोड़ रू0 कर दी गई । उद्धृत दरों से बराबरी करने के लिए यह प्रयास किया गया । अन्त में, बातचीत करके 115 करोड़ रू0 अत्यन्त ऊंची कीमत पर कार्य प्रदान किया गया ।

6.13.2 सामग्री संचालन प्रणाली के एक अन्य कार्य में, संगठन ने कार्य प्रदान करने में 20 माह का समय लिया । इस कार्य को पूरा करने की अनुबद्ध अवधि केवल 21 माह थी । ठेका प्रदान करने में इस असामान्य विलंब के कारण कीमतों में वृद्धि के लिए अधिक भुगतान दायित्व के कारण लागत बढ़ी तथा इसके अतिरिक्त कार्य भी समय पर पूरा नहीं हुआ ।

6.13.3 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक स्टेडियम के निर्माण के एक मामले में असंगत कारकों पर विचार करके एक संगठन द्वारा अत्यधिक ऊंची 'न्यायसंगत राशि' सम्पादित की गई, इस प्रकार, कार्य असंगत रूप से ऊंची दरों पर प्रदान किया गया ।

6.13.4 एक संगठन में, यह देखा गया है कि तकनीकी मूल्यांकन समिति ने सिफारिश की थी कि बोली में हुए तकनीकी परिवर्तनों पर कार्य प्रदान किए जाने के पश्चात विचार विमर्श किया जाएगा और इस प्रकार हेर-फेर किए जाने तथा अस्पष्टता के विकल्प खुले रखे गए और पूरी निविदा प्रक्रिया को अपारदर्शी बनाया गया ।

6.13.5 1.13 करोड़ रू0 के एक अन्य कार्य में, यह पूर्व-योग्यता मानदण्ड कि फर्म के पास आई.एस.ओ. प्रमाणपत्र होना चाहिए, स्वंय की अभिकल्प सुविधा होनी चाहिए तथा 52 करोड़ रू0 वार्षिक लेन-देन होना चाहिए - मानक मानदण्डों की तुलना में कठोर प्रतीत होता है ।

6.13.6 एक अन्य संगठन में, विखंडित सामग्रियों के अनुमान प्रयोजन के लिए ली गई दरें अत्यन्त कम पाई गई तथा विखंडित बहुभुजी खम्बों, तारों तथा नींव बोल्ट की दरें अनुमान में ली ही नहीं गई । इस प्रकार, संगत कीमतों से अधिक कीमत पर कार्य प्रदान किया गया ।

6.13.7 सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक में एक निविदा में भाग लेने वाली सभी फर्मों को एक समान अवसर नहीं दिया गया तथा प्रतियोगिता को सीमित किया गया । दो फर्मों को अपने साझेदार बदलने की अनुमति दी गई लेकिन एक फर्म को उनके प्रधान साझेदार को बदलने की अनुमति नहीं दी गई जो बोलीदाताओं के साथ एक जैसा व्यवहार ना किए जाने का सूचक है ।

## 6.14 ठेका शर्तों का पालन ना किए जाने के परिणामस्वरुप ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला

6.14.1 निरीश्रण के दौरान यह देखा गया कि एक ठेकेदार की ओर 233 करोड़ रू0 बकाया था जबकि ठेके के अनुसार शेष कार्य की कीमत केवल 214 करोड़ रू0 थी । अनुबंध में कोई प्रावधान ना होने के बावजूद संगठन ने ना केवल मूल राशि तथा ब्याज की वसूली आस्थगित की बल्कि अप्राधिकृत अतिरिक्त अग्रिमों का भी भुगतान किया । इस प्रकार, संगठन ने सरकारी धन के जोखिम पर ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाया ।

6.14.2 ठेके के अनुसार, एक ठेकेदार को पूरी निर्माण सामग्री का प्रबंध करना था परन्तु यह देखा गया कि इस्पात, सीमेंट, ईंटों, रोड़ियों, दरवाजों, शटर्स, एल्युमिनियम/सफाई मदों तथा रंग-रोगन आदि जैसी कीमती सामग्रियां ठेकेदारों की ओर से संगठन द्वारा खरीदी गई थी तथा बाद में लागत की वसूली चालू भुगतानों से की गई थी । इस मामले में ठेकेदार को सीधे वित्तीय सहायता पहुँचाई गई थी जो कि वित्तीय रूप से मजबूत नहीं था ।

6.14.3 ठेके के अनुसार, ठेका अवधि के 80% के भीतर संग्रहण अग्रिम की वसूली की जानी चाहिए थी । यद्यपि, अनुबद्ध ठेका अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी लेकिन पूरे संग्रहण अग्रिम की वसूली नहीं की गई थी । पैकेज-I में 1.84 करोड़ रू0 तथा पैकेज-II में 5.13 करोड़ रू0 की अग्रिम राशि अभी भी ठेकेदारों के पास बकाया थी । परियोजना को समय पर पूरा करने के आधार पर कई विभिन्न अग्रिम भी ठेकेदार को दिए गए थे (अनुबंध प्रावधानों के भीतर भी तथा अनुबंध प्रावधानों से हटकर भी) और इस प्रकार अनुचित वित्तीय सहायता दी गई ।

6.14.4 एक निर्माण सार्वजनिक उपक्रम द्वारा निविदा पूर्व गठबंधन के एक मामले में, निविदा पूर्व गठबंधन आमंत्रण सूचना के अनुसार, निविदादाताओं को सभी सामग्रियों का प्रबंध करना था तथा उद्धृत की गई दरें ठेके की सम्पूर्ण अवधि के दौरान वृद्धि के बिना स्थिर तथा अंतिम रहनी चाहिए थी । तथापि, लैटर ऑफ इन्टेन्ट जारी किए जाने के समय इसे बदला गया तथा वृद्धि का भुगतान ठेकेदार को देय किया गया । 5% सीमान्त राशि को भी छोड़ दिया गया । इस प्रकार, ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया ।

6.14.5 एक स्टेडियम कार्य में, शटरिंग सामग्री, संयत्र तथा उपकरण अग्रिम के लिए 1.91 करोड़ रू0 स्वीकृत तथा भुगतान किया गया जबकि अधिकतर पुनर्बलित कंकरीट कार्य पहले ही पूरे हो चुके थे तथा ठेकेदार आवश्यक शटरिंग सामग्री आदि का पहले ही संग्रहण कर चुका था ।

6.14.6 एक जल-विद्युत परियोजना में, खुदाई के दौरान अचानक बाढ़ आ जाने के कारण कार्य रोका गया तथा सुरंग खोदने वाली मशीन जलमग्न हो गई । सुरंग खोदने वाली मशीन ठेकेदार द्वारा खरीदी गई थी जिसके लिए टीएंडपी अग्रिम के रूप में 48.51 करोड़ रू0 का भुगतान किया गया जो लागत का 75% था । ठेकेदार इस मशीन की मरम्मत हेतु कोई भी कार्रवाई नहीं कर सका तथा इसलिए संगठन ने उप ठेकेदार जिसने इस मशीन की मरम्मत की थी को 14.21 करोड़ रू0 का सीधे भुगतान करके इस मशीन को पुन: ठीक कराया । इसके अतिरिक्त, इस मशीन के संवेदनशील इलैक्ट्रानिक पुर्जों को नमी से बचाने के लिए विभाग भी प्रति माह 40 लाख रू0 का व्यय कर रहा है । सुरंग खुदाई मशीन की मरम्मत की जिम्मेवारी यद्यपि ठेकेदार की है परंतु विभाग द्वारा भारी व्यय किया जा रहा है जिससे ठेकेदार को अनुचित वित्तीय लाभ मिल रहा है ।

6.15 **गुणवत्ता को जोखिम में डाला गया**

6.15.1 एक स्टेडियम के निर्माण के एक कार्य में कंकरीट कार्य की गुणवत्ता अत्यन्त घटिया पाई गई । कंकरीट के अधिकतर नमूने जांच के दौरान असफल हो गए । कंकरीट में सीमेंट की मात्रा भी निर्धारित से कम पाई गई । कार्यस्थल पर उपलब्ध सभी जांच रिकार्ड जाली थे ताकि निर्धारित मजबूती दिखाई जा सके । कार्य की घटिया गुणवत्ता स्वीकार की गई जबकि एक तृतीय पक्ष गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी को नियुक्त किया गया था ।

6.15.2 एक राजमार्ग परियोजना में, परियोजना की कुल 17 कि.मी. लम्बाई में से 6.7 कि.मी. समुद्र में से प्राप्त की गई भूमि पर निर्मित हो रही थी । इसे सड़क निर्माण के योग्य बनाने के लिए प्राप्त किए गए क्षेत्र में मिट्टी के स्थायित्व के लिए अवमृदा पानी की निकासी के लिए लगभग 80 करोड़ रू0 की लागत पर पूर्वनिर्मित शीघ्र अपवाहिका उपलब्ध कराई जा रही थी । पूर्वनिर्मित शीर्ष अपवाहिका वाले इस उपचार में अधिभार धारण के दो चरणों में एक वर्ष की अवधि अपेक्षित थी अर्थात पहले चरण में 6 माह के लिए 1.5 मीटर भारण के साथ तथा आगे और 6 माह की अवधि के लिए अतिरिक्त 1.5 मीटर के साथ दूसरे चरण का भारण । तथापि, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विनिर्देशनों का पालन नहीं किया जा रहा था । अत: यातायात के लिए खोलने के तुरंत पश्चात इस प्रकार बनाई गई सड़क के धंस जाने का खतरा है । इससे ना केवल इस सड़क की मरम्मत तथा अनुरक्षण पर अपव्यय होगा अपितु उपचार की समझौता अवधि के कारण पूर्वनिर्मित शीर्ष अपवाहिका का निर्माता भी अपनी गांरटी नहीं देगा ।

6.16 **मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन की जांच से उत्पन्न हुए सतर्कता अर्थवाले मामले**

6.16.1 राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित एक कार्य में चार फर्मों के एक समूह ने एक सीमित दायित्व कंपनी 'ए' के नाम से 72%, 25%, 2% तथा 1% अनुपात में वित्तीय साझेदारी के साथ पूर्व योग्यता आवेदन प्रस्तुत किया । अंत में यह समूह अपने अग्रणी साझेदार, जिसका वित्तीय हिस्सा 72% था, के अनुभव के आधार पर पूर्व-योग्य हुआ । तथापि, निविदा एक अन्य फर्म 'बी' के नाम पर प्रस्तुत की गई थी जिसमें समूह के अन्य हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं था सिवाय एक फर्म के जिसका पूर्व योग्य समूह में केवल 25% हिस्सा था । पूर्व-योग्यता मानदण्ड के अनुसार, किसी भी संयुक्त संघ अथवा समूह की योग्यता के लिए केवल 26% से अधिक हिस्सेदारी वाले हिस्सेदार के प्रत्ययों पर विचार किया जाना था । इस अयोग्य फर्म को जो एल-1 के रूप में सामने आई, कार्य प्रदान किया गया । यह फर्म कार्य निष्पादित नहीं कर सकी तथा अंत में अत्यन्त विलंब होने के पश्चात इसका ठेका समाप्त कर दिया गया ।

6.16.2 परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए, एक संगठन के बोर्ड ने 70% कट ऑफ अंकों का अनुमोदन किया तथा तीन फर्मों को तकनीकी रूप से उपयुक्त स्वीकार करने का अनुमोदन किया । लेकिन बोर्ड ने 70% कट ऑफ सीमा के अपने पिछले निर्णय की समीक्षा की तथा इसे संशोधित किया और कट ऑफ सीमा को बढ़ाकर 80% कर दिया जिसके कारण दो फर्में अयोग्य हो गई और इस प्रकार, परामर्शदाता के रूप में चयन हेतु योग्य होने के लिए अंत में केवल एक फर्म शेष रही ।

6.16.3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में, रूपए की तुलना में अमरीकी डालर की कीमत में अवमूल्यन तथा सीमाशुल्क में नीचे की ओर संशोधन के कारण मूल्यांकन समिति ने निर्णय लिया कि विक्रेताओं से उनकी व्यापारिक बोली में एक परिशिष्ट प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए

जिसमें लाइन मदों के लिए केवल बट्टा कीमत की सूचना होनी चाहिए, यदि कोई है । संशोधित बोलियों के अनुसार, फर्म 'ए' द्वारा उद्धृत कुल लागत 29,91,02,419/- रू0 थी (एल-1), फर्म 'बी' ने 33,63,47,247/- उद्धृत किए (एल-2) तथा फर्म 'सी' ने 37,97,33,801/- रू0 उद्धृत किए (एल-3) । कार्य आदेश देने के लिए फर्म 'ए' पर विचार किया जाना चाहिए था क्योंकि वे एल-1 थे । इसी बीच फर्म 'ए' ने निविदा में अपनी सापेक्षिक एल-1 स्थिति तथा बोली अन्तर का पता चलने के पश्चात स्वंय अपनी ओर से अतिरिक्त लाभ के संबंध में जिनका उनकी मूल्य बोली में उल्लेख किया गया था स्पष्टीकरण भेजा । यह बताया गया था कि उपर्युक्त बट्टा सी.ई.एन.वी.ए.टी. लाभ के संबंध में है जबकि सुपुर्दगी के दौरान फर्म, क्रेता को इसका सी.ई.एन.वी.ए.टी. लाभ बीजक उपलब्ध कराएगी जिसका उपयोग क्रेता द्वारा, बीजक में उल्लिखित शुल्क के बराबर सेवाकर उत्तरदायित्व का समायोजन करने में किया जा सकता है । फर्म 'ए' ने कुल बट्टा कालम के अंतर्गत व्यापारिक बोली में अपने परिशिष्ट में अतिरिक्त लाभ के रूप में 1,07,75,832/- रू0 की राशि उद्धृत की । मूल्य बोली खोलने के पश्चात फर्म द्वारा अपने आप दिए गए स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने अंतिम कीमत पर पहुँचने के लिए अतिरिक्त लाभ पर विचार नहीं किया क्योंकि उनके अनुसार यह बट्टा नहीं था जैसा कि उनके परामर्शदाता ने उन्हें सूचित किया था । वास्तव में फर्म 'ए' ने मूल्य बोली खुलने के पश्चात 1,07,75,832/- रू0 का बट्टा इसे सी.ई.एन.वी.ए.टी. लाभ के साथ जोड़ते हुए वापस ले लिया था । एल-1 बोलीदाता द्वारा निविदा के पश्चात किया गया संशोधन, जो कि बैंक के हित में नहीं था उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था । 1,07,75,832/- रू0 के अतिरिक्त लाभ को हटाने के पश्चात उपर्युक्त संशोधन को स्वीकार करके फर्म को कार्य आदेश प्रदान किया गया जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है ।

6.16.4 एक संगठन द्वारा निष्पादित किए जा रहे एक जल उपचार संयंत्र परियोजना में यह देखा गया कि X1 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई मूल बोली 63.70 करोड़ रू0 (एल-1) थी तथा X2 बोलीदाता की 98.00 करोड़ रू0 की थी । निविदा अनुबंध, नियोक्ता को तकनीकी प्राचलों में संशोधन करने का अधिकार देते थे ताकि बोलीदाताओं को एक स्तर पर लाया जा सके जिसके लिए प्रभावित मदों पर घटा/जमा परिवर्तन करने की अनुमति थी । उपर्युक्त प्रावधानों का प्रयोग करने पर, यह देखा गया कि घटा/जमा बोली के साथ विचार करने के बाद X1 द्वारा उद्धृत की गई राशि 119.80 लाख रू0 (एल-2) थी जबकि X2 द्वारा उद्धत की गई राशि 116.00 करोड़ रू0 (एल-1) थी । तकनीकी व्यावसायिक के पश्चात मांगी गई जमा/घटा बोली में X1 ने स्पष्ट रूप से अपनी कीमत 56.1 करोड़ रू0 बढ़ा दी तथा 34.30 करोड़ रू0 के अंतराल को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया । X2 द्वारा दिए गए मूल्य विवरण की जांच से पता चलता है कि निविदा अनुबंधों के अनुसार संगठन द्वारा जारी किए गए संशोधनों के कारण संगत मूल्य वृद्धि 3.00 करोड़ रू0 से अधिक के लिए स्पष्टीकरण नहीं देती थी तथा शेष केवल उद्धृत दरों में वृद्धि को किसी तरह संगत करने के लिए थी । जबकि 20 एम.जी.डी. जल उपचार संयंत्र के लिए स्वीकृत अनुमान में (मार्च 1999 में स्वीकृत) केवल 18.00 करोड़ रू0 का प्रावधान रखा गया था तथा संगठन ने 89.6115 करोड़ रू0 का लागत अनुमान अप्रैल, 2008 अर्थात मूल्य बोलियां खुलने से पहले अनुमोदित किया था, ठेका सितम्बर, 2008 में 107.00 करोड़ रू0 पर प्रदान किया गया । उपर्युक्त कार्य के लिए संगत लागत लगभग 67.00 करोड़ रू0 से अधिक नहीं थी ।

6.16.5 एक संगठन में बोलीदाताओं की मूल्य बोलियों को देखने से पता चला कि एल-1 बोलीदाता की मूल्य बोली में अनेक काट-छांट तथा उपरिलिखाई थीं । कुछ मदों की दरों तथा अंत में फर्म द्वारा प्रस्तावित बट्टे में मूल्य बोली में काट-छांट करके अथवा उपरिलिखाई करके हेर-फेर

किया गया था । अलग-अलग पृष्ठों पर मूल्यों में की गई काट-छांट तथा उपरिलिखाई की संख्या भी निविदा खोलने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक शीट के निचले हिस्से में दिए गए प्रमाणपत्रों से मेल नहीं खाती थी । एजेंसी द्वारा प्रस्तावित 1% सशर्त बट्टा बाद में बदलकर एन.आई.एल. कर दिया गया (आगे एन.आई. जोड़कर) । निविदा खोलने वाले कर्मचारियों ने सी-शून्य (काट-छांट शून्य), ओ.डब्ल्यू.-शून्य (उपरिलिखाई-शून्य) का प्रमाणपत्र दिया था ।

निविदा के पश्चात बोली में किए गए परिवर्तन, काट-छांट तथा उपरिलिखाई की वास्तविक संख्या में देखी गई कमियों से तथा निविदा खोलने वाले अधिकारियों द्वारा रिकार्ड किए गए प्रमाणपत्रों तथा साथ ही प्रस्तावित सशर्त बट्टा फर्म द्वारा वापस लेने के संबंध में उनके दिनांक 05.06.2008 के पत्र से और मजबूत हुए । ये परिवर्तन अधिकतर दर के पहले/दूसरे अक्षर में हेर-फेर करके किए गए थे । अकों में इन सभी परिवर्तनों का संचयी प्रभाव उद्धृत राशि में 3,62,72,229/- रू0 की वृद्धि था जिससे संदेह होता है कि एल-1 फर्म की बोली में, बोलियां खुलने के पश्चात हेर-फेर किया गया जिससे कि उद्धृत दर को बढ़ाया जा सके तथा एल-1 फर्म की कुल स्थिति में परिवर्तन किए बिना एल-1 फर्म तथा एल-2 फर्म की अगली उच्चतर उद्धृत राशि के बीच का लाभ उठाया जा सके ।

6.16.6 एच.पी.एस.वी. फिटिंग से संबंधित एक कार्य में, यह देखा गया कि आयातित तथा देशी एच.पी.एस.वी. फिटिंग के लिए एक ही तकनीकी विनिर्देशनों वाली दो पृथक लाइन मदें ली गई थी जिनकी दरों में भारी अन्तर था । आयातित फिटिंग तथा देशी फिटिंग को विभेदी उपचार देकर तकनीकी विनिर्देशनों तथा अन्य निष्पादन प्राचलों को एक बार अवरूद्ध करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध था । यही नहीं, इस मामले में तकनीकी विनिर्देशनों तथा अन्य निष्पादन प्राचलों को एक जैसा रखा गया । तथापि, दरों में अन्तर तीन गुणा से ज्यादा प्रतीत होता है । ऐसी ऊंची कीमतों पर आयातित प्रकाश-पुंज खरीदे जाने के लिए संगठन द्वारा कोई संगत कारण नहीं दिया जा सका जबकि इन्हीं विनिर्देशनों वाले प्रकाश-पुंज जो कि इसी विक्रेता द्वारा निर्मित थे, कम कीमतों पर उपलब्ध थे । इसके फलस्वरूप संगठन पर 1.52 करोड़ रू0 का अतिरिक्त भार पड़ा ।

6.16.7 एक बैंक में एक कार्य के लिए कठोर पूर्व-योग्यता मानदण्ड निर्धारित किए गए थे । केवल 30 करोड़ रू0 लागत वाले कार्य के लिए 250 करोड़ रू0 औसत वार्षिक का व्यवसाय निर्धारित किया गया था । अनुभव मानदण्ड को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा (कार्य की लागत के संबंध में) प्रस्ताव हेतु अनुरोध में निर्दिष्ट नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त, टी.पी.सी.एच. परीक्षण प्राचल पूरा करने की एक शर्त प्रस्ताव हेतु अनुरोध में रखी गई थी जिसमें परीक्षण करने के लिए भारी व्यय होता है । मूल्यांकन के लिए अंक योजना भी बोली दस्तावेजों में पहले से नहीं बताई गई थी तथा बोलीदाताओं को इसकी सूचना बाद में दी गई ।

यह देखा गया कि संशोधित प्रस्ताव हेतु अनुरोध में कार्य प्रदान करने से पहले शर्तें (वित्तीय विवक्षा वाली) बदली गई थी । इसके अतिरिक्त, ठेकेदार के साथ एक अनुपूरक अनुबंध भी निष्पादित किया गया था जिसमें भुगतान शर्तों तथा प्रणाली के लिए आवश्यक साफ्टवेयर में और अधिक परिवर्तन किया गया था ।

आगे यह भी देखा गया कि मूल्य बोलियां खोलने के पश्चात किसी अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा न्यूनतम फर्म की मूल्य बोली में पेन से कुछ राशि जोड़ी गई थी क्योंकि उपस्थिति पत्रक के

अनुसार, प्राधिकृत व्यक्ति ने बोली में परिवर्तनों को सत्यापित नहीं किया था । मूल्य खोलने वाली समिति ने भी जोड़ी गई राशियों पर धेरा नहीं बनाया था / सत्यापित नहीं किया था ।

## 6.17 मुख्य तकनीकी परीक्षक के निरीक्षणों के फलस्वरूप हुए प्रणाली सुधार

6.17.1 एक सार्वजनिक उपक्रम में ठेकेदारों की पूर्व योग्यता पिछली किसी परियोजना में हुई पूर्व-योग्यता के आधार पर तदर्थ रूप से की जा रही थी । मुख्य तकनीकी परीक्षक के प्रेक्षणों के आधार पर, सार्वजनिक उपक्रम ने उचित तथा पारदर्शी रीति से उचित पूर्व-योग्यता के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए । इसी प्रकार, उनके ठेकों में करों तथा शुल्कों से संबंधित अनेक अस्पष्ट प्रावधान देखे गए जिसके लिए उनकी ठेके की सामान्य शर्तों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं । सार्वजनकि उपक्रम ने भी ठेकेदारों को ठेका प्रावधानों से हटकर ब्याज रहित अग्रिम दिए जाने पर प्रतिबंध लगाने वाले नीतिगत अनुदेश जारी किए ।

6.17.2 दो सार्वजनिक उपक्रम पिछली स्वीकृत दरों आदि के आधार पर तदर्थ रीति से कार्यों के लिए लागत अनुमान बना रहे थे । मुख्य तकनीकी परीक्षक के प्रेक्षणों के आधार पर, इन संगठनों ने अनुमान बनाने में एक समानता तथा पारदर्शिता लाने के लिए अपनी 'दरों की मानक अनुसूची' तैयार की ।

6.17.3 विद्युत क्षेत्र में एक सार्वजनिक उपक्रम के विभिन्न कार्यों में कुछ सामग्रियां विभागीय तौर पर जारी की जा रही थी, परन्तु कार्य निष्पादन के दौरान सामग्रियों के उपभोग का मिलान नहीं किया जा रहा था । निरीक्षणों के दौरान, यह देखा गया कि विभागीय रूप से जारी की गई सामग्री, कार्य पूरा हो जाने के बाद भी ठेकेदार के पास आवश्यकता से अधिक पड़ी हुई थी । सार्वजनिक उपक्रम ने नीतिगत अनुदेश जारी किए कि विभागीय रूप से जारी की गई सामग्री का मिलान प्रत्येक तीसरे चालू बिल चरण में किया जाए ।

6.17.4 विभिन्न कार्यों के लिए निविदा दस्तावेजों में एक संगठन ने संयुक्त उद्यम फर्म के प्रत्येक सदस्य के लिए कोई भी आवश्यक योग्यता निर्धारित नहीं की । इसके परिणामस्वरुप कुछ संयुक्त उद्यम फर्मों में कुछ सदस्यों के पास सम्बद्ध प्रत्यायक नहीं थे और इसलिए ठेके के निष्पादन में इन सदस्यों का कोई सार्थक योगदान नहीं था । मुख्य तकनीकी परीक्षक के प्रेक्षणों के पश्चात संगठन ने अपनी ठेका शर्तों में संशोधन किया कि संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों के पास अनुभव योग्यता होना अपेक्षित होगा ।

6.17.5 एक सार्वजनिक उपक्रम ने अपने निविदा दस्तावेजों में निर्धारित किया था कि बोलीदाताओं को 'प्रत्याशित वृद्धि पर सीलिंग' उद्धृत करना होगा तथा उद्धृत राशि एवं वृद्धि पर सीलिंग को जोड़कर बोली की कीमत निकाली जा रही थी । बोली मूल्यांकन की इस प्रणाली में वास्तविकता का अभाव था क्योंकि बोलीदाताओं की पारस्परिक वरिष्ठता प्रत्याशित वृद्धि के अवास्तविक प्राचल पर निश्चित की जा रही थी । सार्वजनिक उपक्रम ने इस मुद्दे की समीक्षा की तथा ठेके की समान्य शर्तों से इस धारा को हटा दिया, जब अवास्तविकता को उनके ध्यान में लाया गया ।

6.17.6 रक्षा क्षेत्र में एक संगठन में उनकी प्रापण प्रक्रिया में अनेक दोष देखे गए तथा निरीक्षण के पश्चात, उनकी प्रापण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाने के लिए निम्नलिखित सुधार किए गए:-

क)	पूर्व में एक मुश्त दरों पर तदर्थ रीति से बनाए जा रहे अनुमान अब, 'दरों की मानक अनुसूची' के आधार पर बनाए जा रहे हैं ।

ख)	प्रचलित बाजार दर विश्लेषण के आधार पर दरों का औचित्य आकलित करने के स्थान पर इसे लागत तालिका द्वारा अनुमानित लागत में वृद्धि करके आकलित किया जा रहा था । अब, संगठन ने निवेशन सामग्री तथा श्रम की प्रचलित दरों के आधार पर लागत का बाजार दर औचित्य बनाने का निर्णय लिया है ।

ग)	ठेकेदारों द्वारा निष्पादन गांरटी प्रस्तुत किए बिना ही कार्य आदेश जारी किए जा रहे थे । अब संगठन ने अनुदेश जारी किए हैं कि कार्य आदेश जारी किए जाने से पहले ठेकेदारों द्वारा निष्पादन गारंटी प्रस्तुत की जाए ।

घ)	सीमित निविदाओं के मामले में, निविदा सूचना संगठन के नोटिस बोर्ड पर लगाई जा रही थी और इस कारण से सभी पैनलबद्ध ठेकेदारों को निविदा सूचना की जानकारी नहीं मिल रही थी । अब, संगठन द्वारा अनुदेश जारी किए गए कि नोटिस बोर्ड पर निविदा सूचना लगाने के साथ-साथ इसे सभी पैनलबद्ध ठेकेदारों को पंजीकृत डाक से भेजा जाए ।

## 6.18	मुख्य तकनीकी परीक्षक एकक द्वारा वर्ष 2009 के दौरान की गई महत्वपूर्ण पहल

6.18.1	संगठनों को सलाह दी गई कि वे ई-निविदा समाधान का कार्यान्वयन करते समय अनुप्रयोग सेवा प्रदाता के चयन में एक उचित, पारदर्शी तथा खुली निविदा प्रक्रिया का पालन करें । यह परिपत्र जारी करने के पश्चात, सुरक्षा प्रावधानों पर आगे दिशानिर्देश परिचालित किए गए तथा संगठनों को सलाह दी गई कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रणाली में प्रभावी सुरक्षा प्रावधान उपलब्ध हैं ।

6.18.2	सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक में महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों के स्तर पर आई.टी. सम्बद्ध प्रापणों (कोर बैंकिंग समाधान तथा अन्य गतिविधियों में शामिल) में व्यवहार करने वाले सभी बैंक कर्मचारियों के लाभ के लिए मुंबई में अप्रैल 2009 में एक विशेष दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई । इस सेमिनार में उठाए गए प्रश्नों तथा उनके उत्तरों को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया तथा सभी बैंकों के लाभ के लिए इसे परिचालित किया गया । इसे एक निरंतर प्रक्रिया मानते हुए, बैंकों को यह सलाह भी दी गई कि वे ऐसे प्रापणों में शामिल कर्मचारियों के कौशल स्तर में वृद्धि करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें ।

6.18.3	"सार्वजनिक प्रापण में सामान्य अनियमितताएं तथा त्रुटि संभाव्य क्षेत्र" पर स्कोप में प्रस्तुतिकरण दिया गया जिसमें अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों ने भाग लिया । इसी प्रकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आयोजित वार्षिक भ्रष्टाचार-रोधी सम्मेलन में भी इस विषय पर एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया । इस सम्मेलन में राज्यों के भ्रष्टाचार रोधी संगठनों के अध्यक्षों ने भाग लिया ।

6.18.4	विभिन्न संगठनों के फील्ड अधिकारियों को सार्वजनिक प्रापण में सतर्कता के बारे में सुग्राही बनाने के लिए उनके लाभ हेतु अनेक कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । यह कार्यशालाएं विभिन्न संगठनों में देश के विभिन्न भागों में आयोजित की गईं ।

6.18.5 सार्वजनिक प्रापण ठेकों का मुख्य तकनीकी परीक्षक जैसा निरीक्षण करने की दिशा में प्रशिक्षण मापदंड बनाए गए तथा प्रशिक्षण दिया गया, विशेषकर उन मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए जिन्होंने हाल ही में पदभार ग्रहण किया है ।

6.18.6 मुख्य सतर्कता अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर बातचीत करके लंबित सतर्कता मामलों की संख्या कम करने का उपाय किया गया । संगठनों को सतर्कता अन्वेषण के लिए भेजे गए लंबित पैरा पर शीघ्र कार्रवाई करने तथा मुख्य तकनीकी परीक्षक के इन संदर्भों में सतर्कता पहलू को समझने तथा पहचान करने के उद्देश्य से संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को उनके दिल्ली दौरे के दौरान अथवा विभिन्न स्थानों पर मुख्य तकनीकी परीक्षक के दौरों के दौरान बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया जिससे कि उन्हें उचित सतर्कता अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करने के मामले में मार्गदर्शन मिल सके ।

## अध्याय-7

## दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज
## (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)

7.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के लागू होने के साथ केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नाम से प्रसिद्ध दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कार्यों की निगरानी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किए जा रहे अन्वेषणों की प्रगति की समीक्षा करने तथा उनमें निदेश जारी करने के लिए करता है भले ही आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आरोपित लोक सेवक द्वारा कोई अपराध किया गया हो अथवा नहीं । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर आयोग की निगरानी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामलों के अन्वेषण तक ही सीमित है तथा अभियोजन के मामलों के लिए मुकदमें की प्रक्रिया सरकार के नियंत्रण अधीन ही बनी हुई है ।

7.2 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्री विनीत नारायण द्वारा दायर एक जनहित याचिका (हवाला मामले के नाम से प्रसिद्ध) में दिनांक 18.12.1997 के अपने निर्णय में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कामकाज में उच्चतर स्वायत्तता तथा वास्तविकता पर विचार किया था । इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ और उपाय किए जाने आवश्यक हैं ताकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का कार्य निष्पक्ष, वास्तविक तथा राजनैतिक रूप से तटस्थ दिखाई दे । इस निर्णय के अनुपालन में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में "अभियोजन निदेशालय" की स्थापना की गई जिसे महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं जैसे केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा हाथ में लिए गए मामलों में कानूनी सलाह देना, अभियोजन मामलों की निगरानी करना, कानून में संशोधन के बारे में सलाह देना, विभिन्न सम्मेलनों तथा सभाओं आदि के लिए कानूनी मुद्दों पर सहायता देना ।

7.3 हाल ही में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का राष्ट्र की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी के रूप में आविर्भाव हुआ है तथा यह मुख्यत: भ्रष्टाचार-रोधी शाखा, आर्थिक अपराध शाखा तथा विशेष अपराध शाखा के माध्यम से अन्वेषण संचालित करती है । भष्टाचार निरोधी शाखा सभी केन्द्रीय सरकारी विभागों, केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों तथा केन्द्रीय वित्तीय संस्थानों के लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी के मामलों में कार्रवाई करती है जबकि आर्थिक अपराध शाखा बैंक धोखाधड़ियों, वित्तीय धोखाधड़ियों, आयात निर्यात एवं विदेशी विनिमय उल्लंघन, स्वापकों, पुरातन, सांस्कृतिक संपत्ति तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी पर कार्रवाई करती है । विशेष अपराध शाखा, माफिया/अपराधी वर्ग द्वारा किए गए आतंकवाद तथा अपराधों के मामलों पर कार्रवाई करती है ।

### I केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के साथ मासिक समीक्षा सभाएं

7.4 केन्द्रीय सतर्कता आयोग, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना पर अपनी निगरानी रखने के कार्य में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक के साथ मासिक अंतराल पर नियमित समीक्षा सभाएं आयोजित करता है जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अन्वेषण किए जा रहे मामलों की प्रगति तथा गुणवत्ता की समीक्षा की जाती है । यह उन मामलों की निगरानी भी करता है जिनमें संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों के पास अभियोजन के लिए स्वीकृति लंबित है । आयोग ऐसे मामलों की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञ समिति की सभाएं भी आयोजित करता है जिनमें केन्द्रीय अन्वेषण

ब्यूरो की सिफारिशों से सहमत होते हुए आयोग ने अभियोजन की स्वीकृति की सलाह दी थी परंतु संबंधित संगठन ने मामले की समीक्षा के लिए अनुरोध किया हो । वर्ष 2009 के दौरान, आयोग ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के साथ 12 समीक्षा सभाएं आयोजित की जिनमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, बैंक/सार्वजनिक उद्यमों के कार्यकारियों तथा राजनीतिज्ञों के विरूद्ध मामलों की समीक्षा की गई तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त शिकायतों के बारे में सचिव/अपर सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा संयुक्त निदेशक(नीति) के मध्य दो सभाएं आयोजित की गईं ।

## II केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन

7.5 केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 8(1)(च) के अंतर्गत इसे प्राप्त अधिकारिता के अनुसार आयोग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति हेतु विभिन्न संगठनों के पास लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा करता है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आयोग के ध्यान में लाया है कि वर्ष 2009 के अंत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति के लिए 65 अनुरोधों वाले कुल 48 मामले तीन माह से अधिक अवधि से लंबित थे ।

31.12.2009 की स्थिति के अनुसार, अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु विभिन्न संगठनों के पास लंबित मामलों की संख्या निम्न **सारणी - 13** में दी गई है:

**सारणी - 13**

**31.12.2009 की स्थिति के अनुसार तीन माह से अधिक अवधि वाले अभियोजन की स्वीकृति हेतु लंबित मामलों की संख्या**

| मंत्रालय | मामलों की संख्या |
|---|---|
| संचार मंत्रालय | 3 |
| रक्षा मंत्रालय | 1 |
| वित्त मंत्रालय (बैंकिंग) | 6 |
| वित्त मंत्रालय (उत्पाद एवं सीमा शुल्क) | 4 |
| वित्त मंत्रालय (आयकर) | 4 |
| भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक | 1 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | 1 |
| सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 1 |
| कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | 14 |

| | |
|---|---|
| रेल मंत्रालय | 7 |
| अंतरिक्ष मंत्रालय | 1 |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | 5 |
| उत्तर प्रदेश सरकार | 1 |
| संघशासित प्रदेश | 1 |
| कुल | **50*** |

*तथापि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के केवल 48 मामले अभियोजन स्वीकृति के लिए तीन माह से अधिक अवधि से लंबित हैं चूंकि 2 मामले एक से अधिक मंत्रालय/राज्य सरकार आदि से संबंधित हैं ।

7.6 आयोग यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करता रहा है कि अभियोजन की स्वीकृति से संबंधित मामलों पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की जा रही है । तथापि, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में अभियोजन की स्वीकृति दिए जाने में किया गया विलंब, अनावश्यक तथा अत्यधिक था । आयोग आशा करता है कि अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने में विलंब की रोकथाम के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देश जारी होने से तथा ऐसे मामले जिनमें अभियोजन स्वीकृति की सलाह दी गई थी उनमें पुनर्विचार प्रस्तावों की समीक्षा हेतु आयोग द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किए जाने से विलंब संबंधी मुद्दे का अधिकांशत: समाधान हो जाएगा तथा अभियोजन की स्वीकृति पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की जाएगी तथा इसे अनुबद्ध समय के भीतर जारी कर दिया जाएगा ।

## III निकासी के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से संदर्भ

7.7 वर्ष 2009 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सतर्कता निकासी के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से 2712 संदर्भ प्राप्त हुए थे जिन पर कार्रवाई की गई तथा आयोग को जवाब भेजे गए ।

## IV केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकलाप

### (क) मामलों का पंजीकरण:

7.8.1 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 2009 के दौरान 1119 मामले दर्ज किए जो मुख्यतया: अनुचित पक्षपात करके आपराधिक कदाचार करने, रिश्वत लेने, आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन संपतियां एकत्रित करने आदि से संबंधित थे तथा इनमें फांसने के मामले तथा लोक सेवकों द्वारा अनुपातहीन परिसंपतियां रखने के मामले शामिल थे । वर्ष के अंत में, कुल 988 मामले अन्वेषण हेतु लंबित थे । वर्ष के दौरान 806 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए गए । वर्ष 2009 में दोष सिद्धि दर 64.4% थी ।

## (ख) अन्वेषण के पश्चात मामलों में कार्रवाई

7.8.2 वर्ष 2009 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 1127 मामलों का अन्वेषण कार्य पूरा किया । जहां भी आवश्यक था अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात 806 मामलों में आरोप पत्र दाखिल किए गए । वर्ष 2009 के अंत में, 988 मामले अन्वेषण अधीन लंबित थे । आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर जोर देता रहा है कि मामलों का अन्वेषण एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाए, यदि संभव हो, तथा किसी भी स्थिति में 2 वर्ष से अधिक समय ना लिया जाए ।

7.8.3 अन्वेषण से मामलों के निपटान के विस्तृत विश्लेषण का प्रतिशत निम्न **सारणी-14** में दर्शाया गया है:

**सारणी-14**

**अन्वेषण निष्पादन का विश्लेषण**

| **निष्पादन की प्रकृति** | **आंकड़े (प्रतिशत में)** |
|---|---|
| अभियोजन | 47% |
| अभियोजन तथा विभागीय कार्रवाई | 24% |
| केवल विभागीय कार्रवाई | 9% |
| पी.ई. को आर.सी. में परिवर्तित किया गया | 2% |
| मामला बन्द किया गया | 12% |
| ऐसी कार्रवाई/अन्य प्रकार निष्पादित | 6% |

## (ग) मुकदमे तथा दोष सिद्धि के मामले

7.8.4 वर्ष 2009 के दौरान, विभिन्न न्यायालयों द्वारा मुकदमे अधीन 719 मामलों का निबटान किया गया जबकि वर्ष 2008 में 424 मामलों का तथा वर्ष 2007 में 498 मामलों का निबटान किया गया था । इन 719 मामलों में से 435 मामलों में दोष सिद्ध हुए, 212 मामलों में दोषमुक्ति हुई, 28 मामले डिस्चार्ज हुए, 44 मामलों का अन्य कारणों से निपटान हुआ । वर्ष 2009 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामलों में दोष सिद्धि की कुल दर 64.4% थी जबकि वर्ष 2008 में यह दर 61.6% थी तथा वर्ष 2007 में 63.6% थी । 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार 9636 मामले मुकदमें के अन्तर्गत लंबित थे जबकि 31.12.2008 को 6385 मामले लंबित थे । तथापि, आयोग यह महसूस करता है कि मामलों के शीघ्रतापूर्वक निपटान के लिए सभी राज्यों में और अधिक नामित तथा विशिष्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो न्यायालयों की आवश्यकता है ।

## V केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी

7.9 केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी एक प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र है तथा इसने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्देश्य व्यवसायिक ज्ञान तथा कौशल में वृद्धि करना है ताकि संगठन में कर्मचारियों तथा समूहों में

सही अभिवृति उत्पन्न हो सके । अकादमी ना केवल भ्रष्टाचार निरोध, आर्थिक अपराधों तथा विशेष अपराधों के क्षेत्र में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने में श्रेष्ठता प्राप्त करने का निरंतर प्रयास कर रही है बल्कि समस्त राष्ट्र में पुलिस बलों तथा सतर्कता स्थापनाओं को प्रेरणा तथा मार्गदर्शन देने का प्रयास भी कर रही है । इन चुनौतियों का सामना करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने स्वंय के अधिकारियों तथा स्टाफ और राज्य पुलिस संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक बैंकों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण देने के लिए अपनी प्रशिक्षण योजनाओं को विकसित तथा उन्नत किया है ।

7.10 संपूर्ण विश्व में उत्पन्न हो रहे साइबर अपराध, आर्थिक अपराध आदि जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अपराध तथा अन्वेषण के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देने के लिए अपनी प्रणाली को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है । इसके अतिरिक्त, एक लागत प्रभावी रीति में प्रशिक्षण आवश्यकताओं को अनुकूलतम बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी ने कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं । ये क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भ्रष्टाचार-रोधी शाखाओं में स्थित हैं तथा आधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों से सज्जित हैं ।

7.11 वर्ष 2009 में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने मुख्य केन्द्र में 135 पाठ्यक्रम आयोजित किए तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में 59 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 5034 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

## VI स्टाफ स्थिति

7.12 यह देखा गया कि वर्ष के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में बड़ी संख्या में पद रिक्त थे । यह महसूस किया गया है कि बड़ी संख्या में रिक्तियां विशेषकर अन्वेषण अधिकारियों अर्थात, उप पुलिस अधीक्षक तथा निरीक्षक के संवर्ग में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा अन्वेषण किए जा रहे मामलों की प्रगति में गंभीर रूप से बाधा डालती है यह समस्या और बढ़ती है जब न्यायालयों की निगाह में रहते हुए संवेदनशील प्रकृति के अधिक से अधिक मामले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपे जा रहे हैं । रिक्तियों को भरने के लिए किए जाने वाले उपायों में सीधी भर्ती की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक अधिकारियों को आकर्षक प्रोत्साहन देना शामिल होगें । वर्ष 2009 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में स्टाफ रिक्ति स्थिति निम्न **सारणी-15** में दी गई है:

**सारणी-15**

**दिनांक 31.12.2009 के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में कुल स्टाफ रिक्ति स्थिति**

| | **स्वीकृत संख्या** | **वास्तविक संख्या** | **रिक्तियां** |
|---|---|---|---|
| कार्यकारी अधिकारी | 4078 | 3639 | 439 |
| विधि अधिकारी | 230 | 146 | 84 |
| तकनीकी अधिकारी | 155 | 64 | 91 |
| लिपिक वर्गीय स्तर | 1421 | 1329 | 92 |
| ग्रुप 'डी' स्तर | 77 | 64 | 13 |
| **कुल** | **5961** | **5242** | **719** |

# अनुबन्ध

**अनुबंध-I**
(पैरा 1.12)

## 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार समूहवार स्टाफ स्थिति तथा सम्बद्ध सूचनाएं

| | समूह 'क' | समूह 'ख' | समूह 'ग' | समूह 'घ' | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| स्वीकृत संख्या | 51 | 88 | 71 | 73 | 283 |
| कार्यरत संख्या | 44 | 84 | 46 | 71 | 245 |

## अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

सरकार की नीति तथा अनुदेशों के अनुसार, आयोग अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पदों के सम्बंध में इनके कार्यान्वयन का प्रत्येक प्रयास करता आ रहा है । 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न समूहों में प्रतिनियुक्ति से भरे गए पदों को छोड़कर अन्यथा भरे गए/भरे हुए पदों के सम्बंध में रहा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिशत - नीचे दर्शाया जा रहा है :-

| | समूह 'क' | समूह 'ख' | समूह 'ग' | समूह 'घ' |
|---|---|---|---|---|
| अनुसूचित जाति | 10%** | 13.50% | 7.05% | 42% |
| अनुसूचित जनजाति | 10%** | 2.50% | 1.40% | 5.50% |
| अन्य पिछड़े वर्ग | - | 8.50% | 11.26% | 11% |

**आयोग के संवर्ग के भीतर

### हिंदी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा उसमें अंतर्विष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा राजभाषा नीति पर समुचित बल दिया जा रहा है ।

आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं ।

आयोग में प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़ा/सप्ताह का आयोजन सितम्बर माह में किया जाता है । रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान, हिंदी दिवस के अवसर पर आयोग में केद्रीय सतर्कता आयुक्त का संदेश जारी किया गया तथा एक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें विजेता प्रतियोगियों को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त महोदय ने पुरस्कार वितरित किए ।

अनुबंध-II
(पैरा 3.13)

**वर्ष 2009 के दौरान दण्ड दिए गए ऐसे मामलों का संगठनवार विवरण जिनके संबंध में आयोग की सलाह ली गई थी ।**

| क्रम सं0 | विभाग/संगठन का नाम | अभियोजन | बड़ी शास्ति | लघु शास्ति | प्रशासनिक कार्रवाई |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2. | इलाहाबाद बैंक | 0 | 1 | 20 | 0 |
| 3. | आंध्रा बैंक | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 4. | बैंक ऑफ बड़ौदा | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 5. | बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 12 | 28 | 4 |
| 6. | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 7. | भारत कोंकिग कोल लि0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0 | 0 | 3 | 9 | 5 |
| 9. | भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10. | भारत संचार निगम लि0 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| 11. | सीमा सड़क विकास बोर्ड | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12. | भारतीय मानक ब्यूरो | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | केनरा बैंक | 0 | 73 | 39 | 12 |
| 14. | कपार्ट | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 15. | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16. | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | 11 | 14 | 1 | 4 |
| 17. | केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड | 50 | 15 | 16 | 15 |
| 18. | केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | सेन्ट्रल कोलफील्डस लि0 | 0 | 31 | 25 | 10 |
| 20. | केन्द्रीय आयुर्वेद एवम् सिद्ध अनुसन्धान परिषद | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 21. | केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 23. | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24. | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25. | केन्द्रीय भंडारण निगम लि0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26. | चंडीगढ़ प्रशासन | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 27. | कोल इंडिया लि0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28. | कंटेनर का0 ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 29. | कॉरपोरेशन बैंक | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 30. | भारतीय कपास निगम | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 32. | कृषि एवं सहकारिता विभाग | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | परमाणु उर्जा विभाग | 0 | 1 | 3 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34. | आयुष विभाग | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35. | कोयला विभाग | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 36. | वाणिज्य विभाग | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 37. | कंपनी मामले विभाग | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38. | उपभोक्ता मामले विभाग | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 39. | रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 40 | आर्थिक मामले विभाग | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41. | उर्वरक विभाग | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 42. | स्वास्थ्य विभाग | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 43. | भारी उद्योग विभाग | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44. | औद्योगिक नीति तथा प्रौन्नोति विभाग | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | खान विभाग | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 46. | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 18 | 4 | 0 | 0 |
| 47. | डाक विभाग | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 48. | राजस्व विभाग | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49. | माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 50. | इस्पात विभाग | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 51. | चीनी एवं खाद्य तेल विभाग | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52. | दूरसंचार विभाग | 2 | 37 | 25 | 20 |
| 53. | दिल्ली विकास प्राधिकरण | 0 | 78 | 15 | 5 |
| 54. | दिल्ली जल बोर्ड | 0 | 13 | 2 | 0 |
| 55. | दिल्ली ट्रांसको लि0/आई.पी.जी.सी.एल. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56. | दिल्ली परिवहन निगम | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 57. | देना बैंक | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 58. | ईस्टर्न कोल्फील्डस लि0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 59. | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 60. | कर्मचारी राज्य बीमा निगम | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 61. | भारतीय खाद्य निगम | 3 | 21 | 6 | 1 |
| 62. | गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 63. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 64. | पुडूचेरी सरकार | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 65. | हिन्दुस्तान लेटेक्स लि0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 66. | हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67. | एचएमटी लि0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 68. | हुडको | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 69. | इग्नू | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 70. | इंडियन बैंक | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 71. | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद | 0 | 9 | 6 | 1 |
| 72. | इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 | 0 | 46 | 18 | 19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 74. | भारत पर्यटन विकास निगम | 0 | 4 | 7 | 1 |
| 75. | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76. | भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77. | केन्द्रीय विद्यालय संगठन | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 78. | कोलकाता पत्तन न्यास | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 79. | भारतीय जीवन बीमा निगम | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 80. | रक्षा मंत्रालय | 3 | 1 | 9 | 4 |
| 81. | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | विदेश मंत्रालय | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 83. | गृह मंत्रालय | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 84. | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 10 | 6 | 11 | 0 |
| 85. | सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86. | श्रम मंत्रालय | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 87. | एम.एस.एम.ई. मंत्रालय | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 89. | रेल मंत्रालय | 12 | 105 | 292 | 100 |
| 90. | पोत परिवहन मंत्रालय | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92. | वस्त्र मंत्रालय | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 93. | शहरी विकास मंत्रालय | 5 | 11 | 7 | 10 |
| 94. | शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95. | जल संसाधन मंत्रालय | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 96. | मद्रास उर्वरक लि0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97. | महानदी कोलफील्डस लि0 | 0 | 5 | 25 | 0 |
| 98. | महानगर टेलीफोन निगम लि0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 99. | खनिज तथा धातु व्यापार निगम लि0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 100. | मॉरमुगाओ पत्तन न्यास | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101. | दिल्ली नगर निगम | 55 | 38 | 9 | 5 |
| 102. | राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 103. | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 104. | नेशनल इंश्योरेंस क0 लि0 | 0 | 49 | 33 | 0 |
| 105. | राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 106. | एन.ई.ई.पी.सी.ओ. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107. | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 108. | न्यू इंडिया एश्योरेंश कं0 लि0 | 0 | 23 | 5 | 2 |
| 109. | न्यू मैंगलौर पत्तन न्यास | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 110. | नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 111. | न्यूक्लियर पॉवर का0 ऑफ इंडिया लि0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112. | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक | 0 | 0 | 3 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113. | उप आयुक्त कार्यालय (लघु उद्योग) | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 114. | तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि0 | 0 | 2 | 15 | 42 |
| 115. | ऑरियन्टल इंश्योरेंस कं0 लि0 | 0 | 25 | 37 | 5 |
| 116. | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 118. | पंजाब नेशनल बैंक | 2 | 9 | 4 | 1 |
| 119. | रेल इंडिया टेकनीकल एंड इकोनोमिक सर्विसेज लि0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 120. | राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 121. | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 123. | भारतीय खेल प्राधिकरण | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 1 | 10 | 35 | 6 |
| 125. | स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 0 | 19 | 4 | 1 |
| 126. | भारतीय स्टेट बैंक | 0 | 27 | 22 | 2 |
| 127. | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 128. | भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 129. | सिंडीकेट बैंक | 0 | 4 | 12 | 15 |
| 130. | राज्य व्यापार निगम | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 131. | भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 132. | यूको बैंक | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 133. | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 28 | 3 | 0 |
| 134. | यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 135. | यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस क0 लि0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 136. | विजया बैंक | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 137. | वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | **कुल** | **225** | **876** | **947** | **381** |

**अनुबंध III क (i)**
(पैरा 4.5)

## मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009 में किया गया कार्य केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा पर्दाफाश शिकायतों सहित, भेजी गई शिकायतों का विवरण

| क्र.सं. | विभाग/क्षेत्र | कुल प्राप्त | निपटान | लंबित | 6 माह से अधिक अवधि से लंबित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परमाणु ऊर्जा | 26 | 14 | 12 | 3 |
| 2 | बैंक | 638 | 548 | 90 | 19 |
| 3 | नागर विमानन | 34 | 27 | 7 | 1 |
| 4 | कोयला | 85 | 40 | 45 | 12 |
| 5 | वाणिज्य | 17 | 10 | 7 | 2 |
| 6 | उत्पाद एवं सीमा शुल्क | 85 | 42 | 43 | 32 |
| 7 | रक्षा | 12 | 8 | 4 | 1 |
| 8 | उर्वरक | 19 | 10 | 9 | 2 |
| 9 | वित्त | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | खाद्य एवं उपभोक्ता मामले | 44 | 32 | 12 | 10 |
| 11 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | 131 | 14 | 117 | 4 |
| 12 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | भारी उद्योग | 27 | 11 | 16 | 13 |
| 14 | गृह मंत्रालय | 12 | 6 | 6 | 3 |
| 15 | मानव संसाधन विकास | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | बीमा | 59 | 53 | 6 | 3 |
| 17 | श्रम | 93 | 60 | 33 | 21 |
| 18 | खान | 24 | 19 | 5 | 0 |
| 19 | अपांरपरिक ऊर्जा स्रोत | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | पैट्रोलियम | 128 | 100 | 28 | 8 |
| 21 | विद्युत | 65 | 29 | 36 | 20 |
| 22 | रेलवे | 279 | 204 | 75 | 26 |
| 23 | ग्रामीण विकास | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 63 | 8 | 55 | 25 |
| 25 | इस्पात | 72 | 43 | 29 | 11 |
| 26 | भूतल परिवहन | 29 | 28 | 1 | 1 |
| 27 | दूरसंचार | 96 | 63 | 33 | 20 |
| 28 | पर्यटन | 14 | 11 | 3 | 0 |
| 29 | शहरी मामले | 158 | 48 | 110 | 60 |
| 30 | विविध | 215 | 26 | 189 | 145 |
| | **कुल** | **2430** | **1457** | **973** | **444** |

टिप्पणी : यह आँकड़े, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित हैं ।

**अनुबंध -III क(ii)**
(पैरा 4.5)

## मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009 में किया गया कार्य अन्य कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों का विवरण

| क्र.सं. | विभाग/क्षेत्र | कुल प्राप्त | निपटान | लंबित | 6 माह से अधिक अवधि से लंबित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परमाणु ऊर्जा | 70 | 53 | 17 | 9 |
| 2 | बैंक | 5525 | 4733 | 792 | 155 |
| 3 | नागर विमानन | 121 | 107 | 14 | 10 |
| 4 | कोयला | 1157 | 848 | 309 | 119 |
| 5 | वाणिज्य | 11 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | उत्पाद एवं सीमा शुल्क | 1360 | 697 | 663 | 392 |
| 7 | रक्षा | 290 | 235 | 55 | 14 |
| 8 | उर्वरक | 108 | 62 | 46 | 13 |
| 9 | वित्त | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | खाद्य एवं उपभोक्ता मामले | 136 | 109 | 27 | 17 |
| 11 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | 2831 | 622 | 2209 | 65 |
| 12 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 170 | 16 | 154 | 93 |
| 13 | भारी उद्योग | 174 | 115 | 59 | 33 |
| 14 | गृह मंत्रालय | 232 | 139 | 93 | 52 |
| 15 | मानव संसाधन विकास | 16 | 12 | 4 | 0 |
| 16 | बीमा | 483 | 394 | 89 | 20 |
| 17 | श्रम | 239 | 155 | 84 | 47 |
| 18 | खान | 97 | 76 | 21 | 5 |
| 19 | अपांरपरिक ऊर्जा स्रोत | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | पैट्रोलियम | 1441 | 1215 | 226 | 92 |
| 21 | विद्युत | 177 | 107 | 70 | 32 |
| 22 | रेलवे | 8078 | 6194 | 1884 | 619 |
| 23 | ग्रामीण विकास | 33 | 15 | 18 | 8 |
| 24 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 103 | 53 | 50 | 32 |
| 25 | इस्पात | 1048 | 869 | 179 | 23 |
| 26 | भूतल परिवहन | 560 | 387 | 173 | 73 |
| 27 | दूरसंचार | 1031 | 623 | 408 | 135 |
| 28 | पर्यटन | 46 | 30 | 16 | 3 |
| 29 | शहरी मामले | 629 | 245 | 384 | 262 |
| 30 | विविध | 3369 | 2850 | 519 | 127 |
| | **कुल** | **29544** | **20972** | **8572** | **2451** |

टिप्पणी : यह आँकड़े, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित हैं ।

**अनुबंध III-क (iii)**
(पैरा 4.5)

## मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009 में किया गया कार्य
## सभी वर्ग के कर्मचारियों के संबंध में शिकायतों का विवरण

| क्र.सं. | विभाग/क्षेत्र | कुल प्राप्त | निपटान | लंबित | 6 माह से अधिक अवधि से लंबित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परमाणु ऊर्जा | 96 | 67 | 29 | 12 |
| 2 | बैंक | 6163 | 5281 | 882 | 174 |
| 3 | नागर विमानन | 155 | 134 | 21 | 11 |
| 4 | कोयला | 1242 | 888 | 354 | 131 |
| 5 | वाणिज्य | 28 | 17 | 11 | 3 |
| 6 | उत्पाद एवं सीमा शुल्क | 1445 | 739 | 706 | 424 |
| 7 | रक्षा | 302 | 243 | 59 | 15 |
| 8 | उर्वरक | 127 | 72 | 55 | 15 |
| 9 | वित्त | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | खाद्य एवं उपभोक्ता मामले | 180 | 141 | 39 | 27 |
| 11 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | 2962 | 636 | 2326 | 69 |
| 12 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 170 | 16 | 154 | 93 |
| 13 | भारी उद्योग | 201 | 126 | 75 | 46 |
| 14 | गृह मंत्रालय | 244 | 145 | 99 | 55 |
| 15 | मानव संसाधन विकास | 18 | 13 | 5 | 1 |
| 16 | बीमा | 542 | 447 | 95 | 23 |
| 17 | श्रम | 332 | 215 | 117 | 68 |
| 18 | खान | 121 | 95 | 26 | 5 |
| 19 | अपांरपरिक ऊर्जा स्रोत | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | पैट्रोलियम | 1569 | 1315 | 254 | 100 |
| 21 | विद्युत | 242 | 136 | 106 | 52 |
| 22 | रेलवे | 8357 | 6398 | 1959 | 645 |
| 23 | ग्रामीण विकास | 35 | 16 | 19 | 9 |
| 24 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 166 | 61 | 105 | 57 |
| 25 | इस्पात | 1120 | 912 | 208 | 34 |
| 26 | भूतल परिवहन | 589 | 415 | 174 | 74 |
| 27 | दूरसंचार | 1127 | 686 | 441 | 155 |
| 28 | पर्यटन | 60 | 41 | 19 | 3 |
| 29 | शहरी मामले | 787 | 293 | 494 | 322 |
| 30 | विविध | 3584 | 2876 | 708 | 272 |
| | **कुल** | **31974** | **22429** | **9545** | **2895** |

टिप्पणी : यह आँकड़े, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित हैं ।

अनुबंध III-ख
(पैरा 4.5)

## मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009 में किया गया कार्य

## अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जाँचों का विवरण
## (केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता अधीन)

| क्र.सं. | विभाग/क्षेत्र | कुल प्राप्त | निपटान | लंबित | 6 माह से अधिक अवधि से लंबित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परमाणु ऊर्जा | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 2 | बैंक | 309 | 143 | 166 | 79 |
| 3 | नागर विमानन | 32 | 9 | 23 | 4 |
| 4 | कोयला | 63 | 18 | 45 | 35 |
| 5 | वाणिज्य | 13 | 1 | 12 | 11 |
| 6 | उत्पाद एवं सीमा शुल्क | 349 | 88 | 261 | 217 |
| 7 | रक्षा | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | उर्वरक | 14 | 4 | 10 | 10 |
| 9 | खाद्य एवं उपभोक्ता मामले | 49 | 19 | 30 | 26 |
| 10 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | 327 | 226 | 101 | 71 |
| 11 | भारी उद्योग | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | गृह मंत्रालय | 12 | 1 | 11 | 11 |
| 13 | बीमा | 132 | 63 | 69 | 37 |
| 14 | श्रम | 32 | 2 | 30 | 20 |
| 15 | पैट्रोलियम | 179 | 56 | 123 | 95 |
| 16 | विद्युत | 14 | 4 | 10 | 6 |
| 17 | रेलवे | 209 | 75 | 134 | 84 |
| 18 | ग्रामीण विकास | 9 | 1 | 8 | 7 |
| 19 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 83 | 4 | 79 | 78 |
| 20 | इस्पात | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | भूतल परिवहन | 36 | 13 | 23 | 20 |
| 22 | दूरसंचार | 93 | 22 | 71 | 69 |
| 23 | पर्यटन | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | शहरी मामले | 69 | 16 | 53 | 43 |
| | **कुल** | **2049** | **772** | **1277** | **933** |

टिप्पणी : यह आँकड़े, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित हैं ।

**अनुबंध III-ग**

(पैरा 4.5)

## मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009 में किया गया कार्य अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जांचों का विवरण

| क्र.सं. | विभाग/क्षेत्र | कुल प्राप्त | निपटान | लंबित | 6 माह से अधिक अवधि से लंबित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परमाणु ऊर्जा | 130 | 50 | 80 | 45 |
| 2 | बैंक | 4915 | 3060 | 1855 | 524 |
| 3 | नागर विमानन | 123 | 62 | 61 | 34 |
| 4 | कोयला | 182 | 68 | 114 | 73 |
| 5 | वाणिज्य | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | उत्पाद एवं सीमा शुल्क | 908 | 312 | 596 | 482 |
| 7 | रक्षा | 122 | 68 | 54 | 18 |
| 8 | उर्वरक | 74 | 28 | 46 | 24 |
| 9 | वित्त | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | खाद्य एवं उपभोक्ता मामले | 56 | 14 | 42 | 13 |
| 11 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | 172 | 118 | 54 | 40 |
| 12 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 124 | 24 | 100 | 100 |
| 13 | भारी उद्योग | 38 | 25 | 13 | 5 |
| 14 | गृह मंत्रालय | 272 | 168 | 104 | 38 |
| 15 | मानव संसाधन विकास | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 16 | औद्योगिक विकास | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | सूचना एवं प्रसारण | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | बीमा | 375 | 196 | 179 | 80 |
| 19 | श्रम | 223 | 56 | 167 | 85 |
| 20 | खान | 24 | 6 | 18 | 3 |
| 21 | अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | पैट्रोलियम | 177 | 73 | 104 | 79 |
| 23 | विद्युत | 56 | 31 | 25 | 3 |
| 24 | रेलवे | 1902 | 1121 | 781 | 400 |
| 25 | ग्रामीण विकास | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 49 | 15 | 34 | 29 |
| 27 | इस्पात | 47 | 28 | 19 | 12 |
| 28 | भूतल परिवहन | 90 | 55 | 35 | 22 |
| 29 | दूरसंचार | 1168 | 547 | 621 | 492 |
| 30 | पर्यटन | 71 | 51 | 20 | 10 |
| 31 | शहरी मामले | 29 | 7 | 22 | 21 |
| 32 | विविध | 110 | 16 | 94 | 78 |
| | **कुल** | **11455** | **6201** | **5254** | **2724** |

टिप्पणी : यह आँकड़े, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित हैं ।

**अनुबंध III-घ**
(पैरा 4.5)

**मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009 में किया गया कार्य**
**सभी श्रेणियों के लिए अभियोजन स्वीकृतियों का विवरण**

| क्रं0 सं0 | विभाग/क्षेत्र | स्वीकृति के लिए कुल मामले | निपटान | | लंबित | 6 माह से अधिक अवधि से लंबित |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत | अस्वीकृत | | |
| 1 | परमाणु ऊर्जा | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | बैंक | 179 | 117 | 45 | 17 | 0 |
| 3 | नागर विमानन | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | कोयला | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | उत्पाद एवं सीमा शुल्क | 19 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | रक्षा | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | पर्यावरण एवं वन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | उर्वरक | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | खाद्य एवं उपभोक्ता मामले | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | भारी उद्योग | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | गृह मंत्रालय | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | बीमा | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | श्रम | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | पैट्रोलियम | 115 | 9 | 9 | 97 | 0 |
| 17 | रेलवे | 72 | 53 | 3 | 16 | 0 |
| 18 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | इस्पात | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | भूतल परिवहन | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | दूरसंचार | 27 | 15 | 1 | 11 | 0 |
| 22 | शहरी मामले | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | विविध | 68 | 51 | 0 | 17 | 0 |
| | **कुल** | 609 | 371 | 68 | 170 | 0 |

टिप्पणी : यह आँकड़े, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट पर आधारित हैं।

अनुबंध-III-ङ
(पैरा 4.5)

## मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009 में किया गया कार्य
## बड़ी शास्ति की कार्यवाहियों के मामलों में दिए गए दंड का विवरण (सभी श्रेणियाँ)

| क्रम संख्या | विभाग/क्षेत्र | पेंशन में कटौती | बर्खास्तगी/ सेवा से हटाना/ अनिवार्य सेवानिवृत्त | निचले समयमान/ रैंक में वापसी | अन्य बड़ी शास्तियॉ | निन्दा/चेतावनी के अलावा लघु शास्तियाँ | निन्दा चेतावनी | कोई कार्रवाई नहीं | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परमाणु ऊर्जा | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 27 |
| 2 | बैंक | 7 | 667 | 1208 | 393 | 144 | 138 | 108 | 2665 |
| 3 | नागर विमानन | 0 | 9 | 23 | 4 | 11 | 7 | 5 | 59 |
| 4 | कोयला | 0 | 14 | 62 | 9 | 5 | 35 | 12 | 137 |
| 5 | वाणिज्य | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | उत्पाद एवं सीमा शुल्क | 3 | 25 | 28 | 22 | 7 | 26 | 60 | 171 |
| 7 | रक्षा | 5 | 7 | 15 | 20 | 16 | 3 | 18 | 84 |
| 8 | उर्वरक | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 24 |
| 9 | वित्त | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | खाद्य एवं उपभोक्ता मामले | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| 11 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | 48 | 8 | 101 | 26 | 11 | 45 | 32 | 271 |
| 12 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 24 |
| 13 | भारी उद्योग | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 24 |
| 14 | गृह मंत्रालय | 6 | 83 | 22 | 11 | 6 | 1 | 13 | 142 |
| 15 | मानव संसाधन विकास | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | बीमा | 11 | 29 | 214 | 25 | 25 | 25 | 36 | 365 |
| 17 | श्रम | 0 | 11 | 6 | 7 | 35 | 12 | 32 | 103 |
| 18 | पैट्रोलियम | 0 | 16 | 9 | 12 | 26 | 26 | 13 | 102 |
| 19 | विद्युत | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 28 |
| 20 | रेलवे | 24 | 183 | 284 | 652 | 121 | 28 | 71 | 1363 |
| 21 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 |
| 22 | इस्पात | 0 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 23 | भूतल परिवहन | 4 | 2 | 15 | 4 | 14 | 1 | 0 | 40 |
| 24 | दूरसंचार | 2 | 51 | 12 | 33 | 3 | 1 | 16 | 118 |
| 25 | पर्यटन | 0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 26 | शहरी मामले | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20 |
| 27 | विविध | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 26 |
|  | **कुल** | **121** | **1132** | **2053** | **1256** | **467** | **388** | **464** | **5881** |

टिप्पणी : यह आँकड़े, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित हैं।

**अनुबंध-III-च**
(पैरा 4.5)

## मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009 में किया गया कार्य
## लघु शास्ति की कार्यवाहियों के मामलों में दिए गए दंड का विवरण (सभी श्रेणियाँ)

| क्र. सं. | विभाग/श्रेत्र | निचले चरण में में वापसी | वेतनवृद्धि रोकना/ स्थगन | वेतन से वसूली | पदोन्नति रोकना | निंदा/ चेतावनी | कोई कार्रवाई नहीं | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परमाणु ऊर्जा | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 26 |
| 2 | बैंक | 594 | 96 | 41 | 29 | 681 | 76 | 1517 |
| 3 | नागर विमानन | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | कोयला | 12 | 19 | 5 | 1 | 81 | 14 | 132 |
| 5 | वाणिज्य | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | उत्पाद एवं सीमा शुल्क | 11 | 7 | 0 | 0 | 33 | 16 | 67 |
| 7 | रक्षा | 6 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | 50 |
| 8 | उर्वरक | 3 | 12 | 1 | 0 | 13 | 1 | 30 |
| 9 | खाद्य एवं उपभोक्ता मामले | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 |
| 10 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार | 16 | 17 | 3 | 0 | 23 | 4 | 63 |
| 11 | भारी उद्योग | 3 | 6 | 2 | 3 | 45 | 3 | 62 |
| 12 | गृह मंत्रालय | 0 | 19 | 21 | 1 | 78 | 78 | 197 |
| 13 | बीमा | 18 | 46 | 0 | 0 | 77 | 1 | 142 |
| 14 | श्रम | 6 | 13 | 0 | 0 | 33 | 5 | 57 |
| 15 | खान | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 16 | पैट्रोलियम | 4 | 9 | 0 | 0 | 121 | 30 | 164 |
| 17 | विद्युत | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 | 51 |
| 18 | रेलवे | 217 | 3540 | 10 | 133 | 2535 | 394 | 6829 |
| 19 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 20 | इस्पात | 0 | 34 | 0 | 0 | 32 | 1 | 67 |
| 21 | भूतल परिवहन | 4 | 7 | 0 | 0 | 34 | 0 | 45 |
| 22 | दूरसंचार | 2 | 29 | 2 | 0 | 34 | 11 | 78 |
| 23 | पर्यटन | 0 | 3 | 4 | 1 | 24 | 0 | 32 |
| 24 | शहरी मामले | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 25 | विविध | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | **कुल** | **908** | **3876** | **91** | **168** | **3964** | **653** | **9660** |

टिप्पणी : यह आँकड़े, मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्टों पर आधारित हैं।

**अनुबंध-III (छ)**

(पैरा 4.5)

## ऐसे संगठनों का विवरण जिनसे वर्ष 2009 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त हुई है

| क्र.सं | संगठन | क्र.सं | संगठन | क्र.सं | संगठन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एयर इंडिया | 58 | होटल का0 ऑफ इंडिया | 115 | स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर |
| 2 | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | 59 | आई.आई.एम. अहमदाबाद | 116 | भारतीय राज्य व्यापार निगम लि0 |
| 3 | इलाहाबाद बैंक | 60 | इंडियन बैंक | 117 | भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 |
| 4 | आंध्रा बैंक | 61 | इंडियन ऑयल का0 लि0 | 118 | सिंडिकेट बैंक |
| 5 | एंड्रयू यूल एंड कं0 लि0 | 62 | इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म का0 लि0 | 119 | टेलीकम्यूनीकेशन कंसलटेंट इंडिया लि0 |
| 6 | बैंक ऑफ बड़ौदा | 63 | इंडियन रेअर अर्थ लि0 | 120 | तुतीकोरिन पत्तन न्यास |
| 7 | बैंक ऑफ इंडिया | 64 | भारतीय नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी लि0 | 121 | यूको बैंक |
| 8 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 65 | भारतीय औद्योगिक विकास बैंक | 122 | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया |
| 9 | भारत कोकिंग कोल लि0 | 66 | भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि0 | 123 | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0 |
| 10 | भारत डायनामिक्स लि0 | 67 | इरकॉन इंटरनेशनल लि0 | 124 | हैदराबाद विश्वविद्यालय |
| 11 | भारत अर्थ मूवर्स लि0 | 68 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय | 125 | विजया बैंक |
| 12 | भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि0 | 69 | कोच्ची शिपयार्ड लि0 | 126 | विशाखापटनम पत्तन न्यास |
| 13 | भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0 | 70 | कोलकाता पत्तन न्यास | | |
| 14 | भारत पैट्रोलियम कार्पो0 लि0 | 71 | एम.एम.टी.सी. लि0 | | |
| 15 | भारत संचार निगम लि0 | 72 | मद्रास फर्टिलाइजर लि0 | | |
| 16 | भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रा0 लि0 | 73 | महानगर टेलीफोन निगम लि0 | | |
| 17 | भारतीय मानक ब्यूरो | 74 | माझागांव डॉक लि0 | | |
| 18 | केनरा बैंक | 75 | गृह मंत्रालय | | |
| 19 | सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 76 | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | | |
| 20 | सेंट्रल कोलफील्ड्स लि0 | 77 | रेल मंत्रालय | | |
| 21 | केन्द्रीय खान योजना एवं अभिकल्प संस्थान | 78 | इस्पात मंत्रालय | | |
| 22 | केंद्रीय लोक निर्माण विभाग | 79 | मिश्र धातु निगम लि0 | | |
| 23 | सेन्ट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट | 80 | मोरमुगाओ पत्तन न्यास | | |
| 24 | चैन्नई पैट्रोलियम कार्पो0 लि0 | 81 | मुंबई पत्तन न्यास | | |
| 25 | चैन्नई पत्तन न्यास | 82 | नेशनल एल्यूमिनियम कं0 लि0 | | |
| 26 | कोल इंडिया लि0 | 83 | राष्ट्रीय उर्वरक लि0 | | |
| 27 | कार्पोरेशन बैंक | 84 | राष्ट्रीय आवास बैंक | | |
| 28 | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद | 85 | राष्ट्रीय जल-विद्युत उर्जा लिगम लि0 | | |
| 29 | दामोदर घाटी निगम | 86 | नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0 | | |
| 30 | रक्षा लेखा विभाग | 87 | राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि0 | | |
| 31 | दिल्ली विकास प्राधिकरण | 88 | एन.टी.पी. सी. लि0 | | |
| 32 | दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि0 | 89 | न्यू इंडिया एश्योरेंस कं0 लि0 | | |
| 33 | दिल्ली ट्रांस्को लि0 | 90 | नवेली लिग्नाईट का0 लि0 | | |
| 34 | दिल्ली परिवहन निगम | 91 | उत्तर पूर्वी विद्युत उर्जा निगम | | |
| 35 | देना बैंक | 92 | नार्दर्न कोलफील्ड्स लि0 | | |
| 36 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 93 | तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि0 | | |
| 37 | दूरसंचार सेवाएं विभाग | 94 | ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स | | |
| 38 | असम राइफल्स महानिदेशालय | 95 | ओरिएंटल इंश्योरेंस कं0 लि0 | | |
| 39 | डीओईएसीसी समिति | 96 | पवन हंस हेलीकाप्टर्स लि0 | | |
| 40 | ड्रेडजिंग कार्पो0 ऑफ इंडिया लि0 | 97 | पॉवर फाइनेंस का0 लि0 | | |
| 41 | ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 | 98 | पॉवर ग्रिड का0 ऑफ इंडिया लि0 | | |
| 42 | इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि0 | 99 | प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि0 | | |
| 43 | एन्नौर पोर्ट लि0 | 100 | पंजाब एंड सिंध बैंक | | |
| 44 | फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि0 | 101 | पंजाब नेशनल बैंक | | |
| 45 | भारतीय उर्वरक निगम लि0 | 102 | राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 | | |
| 46 | गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0 | 103 | भारतीय रिजर्व बैंक | | |
| 47 | गोवा शिपयार्ड लि0 | 104 | सतलुज जल विद्युत निगम लि0 | | |
| 48 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | 105 | सिक्यूरिटी प्रींटिंग एंड मिंटिंग का0 ऑफ इंडिया लि0 | | |
| 49 | हैवी इंजीनियरिंग कार्पो0 लि0 | 106 | भारतीय नौवहन निगम लि0 | | |
| 50 | हिन्दुस्तान एयरोनोटिकस लि0 | 107 | भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक | | |
| 51 | हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि0 | 108 | स्पांज आयरन इंडिया लि0 | | |
| 52 | हिन्दुस्तान केबल लि0 | 109 | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | | |
| 53 | हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर का0 लि0 | 110 | स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | | |
| 54 | हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि0 | 111 | भारतीय स्टेट बैंक | | |
| 55 | हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लि0 | 112 | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर | | |
| 56 | हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 | 113 | स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | | |
| 57 | एच.एम.टी. लि0 | 114 | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | | |

अनुबंध-IV

(पैरा 5.8)

## ऐसे संगठनों की सूची जिन्होंने आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतों पर रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है ।

| क्रम संख्या | संगठन का नाम | मुख्य सतर्कता अधिकारियों के पास अन्वेषण के लिए लंबित शिकायतें | | |
|---|---|---|---|---|
| | | एक वर्ष से लंबित | एक से तीन वर्ष से लंबित | तीन वर्ष से अधिक से लंबित |
| 1. | अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद | 0 | 5 | 3 |
| 2. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान | 3 | 1 | 0 |
| 3. | एयर इंडिया | 1 | 2 | 0 |
| 4. | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 0 | 1 | 0 |
| 5. | इलाहाबाद बैंक | 3 | 0 | 0 |
| 6. | अंडमान एवं निकोबार प्रशासन | 1 | 2 | 0 |
| 7. | आंध्रा बैंक | 1 | 0 | 0 |
| 8. | बैंक ऑफ बड़ौदा | 4 | 0 | 1 |
| 9. | बैंक ऑफ इंडिया | 8 | 0 | 0 |
| 10. | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 1 | 0 | 0 |
| 11. | भारत कोकिंग कोल लि0 | 6 | 0 | 0 |
| 12. | भारत डाइनेमिक्स लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | भारत अर्थ मूवर्स लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0 | 6 | 1 | 0 |
| 15. | भारत पैट्रोलियम का0 लि0 | 2 | 0 | 0 |
| 16. | भारत संचार निगम लि0 | 15 | 4 | 0 |
| 17. | सीमा सड़क विकास बोर्ड | 1 | 1 | 0 |
| 18. | ब्रह्मपुत्र बोर्ड | 1 | 0 | 0 |
| 19. | ब्रिज एंड रूफ कं0 लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | भारतीय मानक ब्यूरो | 1 | 4 | 0 |
| 21. | मंत्रिमंडल सचिवालय | 1 | 0 | 0 |
| 22. | केनरा बैंक | 4 | 2 | 0 |
| 23. | सीमेन्ट का0 ऑफ इंडिया लि0 | 2 | 0 | 0 |
| 24. | सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 8 | 1 | 2 |
| 25. | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | 16 | 69 | 12 |
| 26. | केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड | 11 | 14 | 0 |
| 27. | केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड | 2 | 2 | 0 |
| 28. | केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड | 0 | 1 | 0 |
| 29. | केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो | 2 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30. | सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 | 3 | 0 | 0 |
| 31. | केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | 0 | 2 | 0 |
| 32. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | 13 | 11 | 0 |
| 33. | चण्डीगढ़ प्रशासन | 4 | 1 | 0 |
| 34. | कोल इंडिया लि0 | 4 | 4 | 1 |
| 35. | भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक | 1 | 1 | 0 |
| 36. | भारतीय कंटेनर निगम लि0 | 3 | 0 | 0 |
| 37. | कॉरपोरेशन बैंक | 1 | 0 | 0 |
| 38. | भारतीय कपास निगम लि0 | 2 | 0 | 0 |
| 39. | लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् | 4 | 6 | 0 |
| 40. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद | 4 | 0 | 0 |
| 41. | केन्द्रीय भण्डारण निगम लि0 | 3 | 3 | 1 |
| 42. | कृषि एवं सहकारिता विभाग | 0 | 3 | 0 |
| 43. | पशुपालन एवं डेरी विभाग | 0 | 2 | 0 |
| 44. | परमाणु उर्जा | 2 | 1 | 0 |
| 45. | आयुष एवं होमियोपैथी विभाग | 3 | 1 | 0 |
| 46. | जैव प्रौद्योगिकी विभाग | 1 | 0 | 0 |
| 47. | रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग | 1 | 2 | 0 |
| 48. | कोयला विभाग | 4 | 0 | 0 |
| 49. | वाणिज्य विभाग (आपूर्ति मंडल) | 1 | 1 | 0 |
| 50. | कंपनी मामले विभाग | 0 | 1 | 0 |
| 51. | उपभोक्ता मामले विभाग | 1 | 2 | 0 |
| 52. | रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग | 6 | 7 | 0 |
| 53. | आर्थिक मामले विभाग | 4 | 3 | 0 |
| 54. | उर्वरक विभाग | 2 | 0 | 0 |
| 55. | वित्त सेवाएं विभाग | 8 | 6 | 0 |
| 56. | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | 3 | 1 | 0 |
| 57. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग | 0 | 1 | 0 |
| 58. | स्वास्थ्य विभाग | 20 | 17 | 2 |
| 59. | भारी उद्योग विभाग | 5 | 0 | 0 |
| 60. | औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नोति विभाग | 4 | 1 | 0 |
| 61. | विधि मामले एवं विधायी विभाग | 1 | 0 | 0 |
| 62. | खान विभाग | 2 | 1 | 0 |
| 63. | महासागर विकास विभाग | 0 | 4 | 1 |
| 64. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 2 | 0 | 0 |
| 65. | डाक विभाग | 12 | 2 | 0 |
| 66. | राजस्व विभाग | 1 | 7 | 0 |
| 67. | माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग तथा प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग | 14 | 37 | 1 |
| 68. | पोत परिवहन विभाग | 3 | 4 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 69. | अंतरिक्ष विभाग | 0 | 1 | 0 |
| 70. | इस्पात विभाग | 1 | 1 | 0 |
| 71. | दूरसंचार विभाग | 10 | 6 | 0 |
| 72. | महिला एवं बाल विकास विभाग | 1 | 3 | 0 |
| 73. | युवा मामले एवं खेल विभाग | 2 | 6 | 0 |
| 74. | दादर एवं नागर हवेली | 1 | 0 | 0 |
| 75. | दमन एवं दीव | 1 | 1 | 0 |
| 76. | दामोदर घाटी निगम | 1 | 0 | 0 |
| 77. | दिल्ली विकास प्राधिकरण | 32 | 26 | 0 |
| 78. | रक्षा लेखा विभाग | 0 | 1 | 0 |
| 79. | दिल्ली पुलिस | 9 | 8 | 0 |
| 80. | देना बैंक | 2 | 1 | 0 |
| 81. | दिल्ली जल बोर्ड | 13 | 7 | 0 |
| 82. | दिल्ली मैट्रो रेल का0 | 1 | 0 | 0 |
| 83. | डी.एस.आई.आई.डी.सी. | 4 | 3 | 0 |
| 84. | दिल्ली परिवहन निगम | 0 | 1 | 0 |
| 85. | दिल्ली ट्रांस्को लि0/आई.पी.जी.सी.एल. | 2 | 1 | 0 |
| 86. | एजूकेशन कंसलटेंट्स इंडिया लि0 | 0 | 1 | 0 |
| 87. | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन | 8 | 15 | 0 |
| 88. | कर्मचारी राज्य बीमा निगम | 3 | 11 | 0 |
| 89. | भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद | 1 | 0 | 0 |
| 90. | भारतीय खाद्य निगम | 15 | 5 | 0 |
| 91. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | 52 | 32 | 2 |
| 92. | पांडीचेरी सरकार | 1 | 0 | 0 |
| 93. | हिन्दुस्तान कॉपर लि0 | 2 | 0 | 0 |
| 94. | हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 | 13 | 2 | 0 |
| 95. | हिन्दुस्तान साल्ट लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 96. | हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्र0 लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 97. | हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल का0 लि0 | 0 | 1 | 0 |
| 98. | एच.एम.टी. लि0 | 0 | 1 | 0 |
| 99. | हुडको | 2 | 0 | 0 |
| 100. | आई.आई.टी. खड़गपुर | 0 | 1 | 0 |
| 101. | आई.आई.टी. नई दिल्ली | 0 | 2 | 0 |
| 102. | आई.आई.टी. रूड़की | 0 | 1 | 0 |
| 103. | भारतीय खान ब्यूरो | 1 | 0 | 0 |
| 104. | भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद | 10 | 6 | 0 |
| 105. | भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद | 1 | 3 | 0 |
| 106. | इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 107. | इंडियन ऑयल का0 लि0 | 18 | 1 | 0 |
| 108. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 17 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 109. | इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म का0 लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 110. | इंडियन रेअर अर्थस लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 111. | इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीस लि0 | 0 | 1 | 0 |
| 112. | भारत पर्यटन विकास निगम | 2 | 0 | 0 |
| 113. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | 1 | 3 | 1 |
| 114. | इंस्ट्रूमेंटेशन लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 115. | आसूचना ब्यूरो | 0 | 2 | 0 |
| 116. | जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय | 0 | 1 | 0 |
| 117. | जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास | 1 | 0 | 0 |
| 118. | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय | 0 | 3 | 0 |
| 119. | कांदला पत्तन न्यास | 0 | 2 | 0 |
| 120. | खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | 2 | 1 | 0 |
| 121. | कोलकाता पत्तन न्यास | 0 | 1 | 0 |
| 122. | भारतीय जीवन बीमा निगम | 18 | 9 | 1 |
| 123. | नागर विमानन मंत्रालय | 2 | 0 | 0 |
| 124. | वाणिज्य मंत्रालय | 4 | 1 | 0 |
| 125. | संस्कृति मंत्रालय | 3 | 7 | 2 |
| 126. | रक्षा मंत्रालय | 10 | 28 | 2 |
| 127. | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय | 0 | 2 | 0 |
| 128. | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | 2 | 7 | 1 |
| 129. | विदेश मंत्रालय | 7 | 4 | 0 |
| 130. | गृह मंत्रालय | 6 | 4 | 1 |
| 131. | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 5 | 7 | 2 |
| 132. | सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 0 | 4 | 0 |
| 133. | श्रम मंत्रालय | 1 | 9 | 0 |
| 134. | अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय | 0 | 2 | 0 |
| 135. | समुद्रपारीय भारतीय मामले मंत्रालय | 1 | 1 | 0 |
| 136. | संसदीय मामले मंत्रालय | 0 | 1 | 0 |
| 137. | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | 2 | 0 | 0 |
| 138. | पैट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय | 6 | 2 | 0 |
| 139. | विद्युत मंत्रालय | 6 | 3 | 0 |
| 140. | रेलवे मंत्रालय | 87 | 30 | 0 |
| 141. | ग्रामीण विकास मंत्रालय | 1 | 2 | 0 |
| 142. | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | 2 | 6 | 0 |
| 143. | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 1 | 3 | 0 |
| 144. | वस्त्र मंत्रालय | 4 | 2 | 0 |
| 145. | पर्यटन मंत्रालय | 1 | 0 | 0 |
| 146. | जनजाति मामले मंत्रालय | 0 | 0 | 1 |
| 147. | शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय | 14 | 12 | 0 |
| 148. | जल संसाधन मंत्रालय | 7 | 2 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 149. | महानगर टेलीफोन निगम लि0 | 4 | 0 | 0 |
| 150. | दिल्ली नगर निगम | 55 | 13 | 0 |
| 151. | भारतीय चिकित्सा परिषद | 0 | 1 | 0 |
| 152. | एम.एम.टी.सी. लि0 | 5 | 0 | 0 |
| 153. | भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लि0 | 0 | 1 | 0 |
| 154. | राष्ट्रीय अल्युमिनियम कं0 लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 155. | राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक | 1 | 1 | 0 |
| 156. | राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड | 1 | 0 | 0 |
| 157. | नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया | 0 | 1 | 0 |
| 158. | भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ | 0 | 1 | 0 |
| 159. | नेशनल फर्टिलाइजर लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 160. | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण | 4 | 2 | 0 |
| 161. | राष्ट्रीय जल-विद्युत उर्जा निगम लि0 | 6 | 1 | 0 |
| 162. | राष्ट्रीय शिक्षण योजना एवं प्रशासन संस्थान | 0 | 1 | 0 |
| 163. | नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0 | 2 | 0 | 0 |
| 164. | नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेकनोलोजी, जमशेदपुर | 0 | 1 | 0 |
| 165. | राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद | 1 | 0 | 0 |
| 166. | नवोदय विद्यालय समिति | 1 | 3 | 0 |
| 167. | राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि0 | 3 | 0 | 0 |
| 168. | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 5 | 0 | 0 |
| 169. | न्यू इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0 | 5 | 1 | 0 |
| 170. | राष्ट्रीय खनिज विकास निगम | 0 | 1 | 0 |
| 171. | नार्दन कोलफील्ड्स लि0 | 3 | 0 | 0 |
| 172. | राष्ट्रीय ताप-उर्जा निगम | 3 | 1 | 0 |
| 173. | नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 174. | ऑयल इंडिया लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 175. | तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम | 8 | 0 | 0 |
| 176. | ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स | 5 | 0 | 0 |
| 177. | पावर ग्रिड का0 ऑफ इंडिया लि0 | 4 | 0 | 0 |
| 178. | प्रसार भारती | 0 | 1 | 0 |
| 179. | प्रोजेक्ट एंड इक्यूपमेंट का0 ऑफ इंडिया लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 180. | पंजाब एंड सिंध बैंक | 1 | 0 | 0 |
| 181. | पंजाब नेशनल बैंक | 11 | 0 | 0 |
| 182. | राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लि0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | भारतीय रिजर्व बैंक | 1 | 1 | 0 |
| 184. | भारतीय नौवहन निगम लि0 | 2 | 0 | 0 |
| 185. | साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया | 1 | 0 | 0 |
| 186. | साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 | 6 | 1 | 0 |
| 187. | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 2 | 1 | 0 |
| 188. | भारतीय स्टेट बैंक | 19 | 3 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 189. | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर | 3 | 0 | 0 |
| 190. | स्टेट बैंक ऑफ मैसूर | 0 | 1 | 1 |
| 191. | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 4 | 0 | 0 |
| 192. | स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र | 0 | 1 | 0 |
| 193. | भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 | 4 | 0 | 0 |
| 194. | सिंडिकेट बैंक | 6 | 1 | 1 |
| 195. | टी.एच.डी.सी.(आई) लि0 | 1 | 0 | 0 |
| 196. | राज्य व्यापार निगम लि0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | तुतीकोरिन पत्तन न्यास | 1 | 0 | 0 |
| 198. | यूको बैंक | 3 | 0 | 0 |
| 199. | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 9 | 1 | 0 |
| 200. | यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया | 2 | 1 | 0 |
| 201. | यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0 | 6 | 0 | 0 |
| 202. | विश्वविद्याल अनुदान आयोग | 1 | 0 | 0 |
| 203. | दिल्ली विश्वविद्यालय | 1 | 5 | 0 |
| 204. | वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 | 1 | 0 | 0 |
| | **कुल** | **877** | **598** | **39** |

**अनुबंध -V**

(पैरा 5.10)

**ऐसे संगठनों की सूची जिन्होंने आयोग द्वारा नामित विभागीय जांच आयुक्तों की नियुक्ति अभी तक नहीं की है ।**

| **क्रम संख्या** | **संगठन का नाम** | **लंबित नामांकनों की संख्या** | |
|---|---|---|---|
| | | **तीन माह से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम** | **एक वर्ष से अधिक** |
| 1. | दिल्ली परिवहन निगम | 0 | 1 |
| 2. | कोल इंडिया लि0 | 4 | 0 |
| 3. | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | 1 | 0 |
| 4. | भारत वेगन्स एंड इंजिनियरिंग कं0 लि0 | 0 | 1 |
| 5. | इस्पात विभाग | 7 | 0 |
| 6. | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | 1 | 0 |
| 7. | दिल्ली परिवहन निगम | 1 | |
| 8. | केन्द्रीय विद्यालय संगठन, चण्डीगढ़ | 1 | 0 |
| 9. | दिल्ली परिवहन निगम | 0 | 1 |
| 10. | केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड | 1 | 0 |
| 11. | कृषि मंत्रालय | 4 | 0 |
| | **कुल** | **20** | **1** |

**ऐसे संगठनों की सूची जिन्होंने आयोग द्वारा नामित विभागीय जांच आयुक्तों की नियुक्ति दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण अभी तक नहीं की है ।**

| **क्रम संख्या** | **संगठन का नाम** | **लंबित नामांकनों की संख्या** | |
|---|---|---|---|
| | | **तीन माह से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम** | **एक वर्ष से अधिक** |
| 1. | भारतीय मानक ब्यूरो | 2 | 0 |
| 2. | सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 1 | 0 |
| 3. | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 1 | 0 |
| 4. | वाणिज्य विभाग (आपूर्ति मंडल) | 1 | 0 |
| 5. | दिल्ली विकास प्राधिकरण | 0 | 2 |
| 6. | केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड | 0 | 1 |
| 7. | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | 0 | 2 |
| 8. | स्वास्थ्य विभाग | 0 | 4 |
| 9. | खादी एवं ग्रामोद्योग निगम | 1 | 0 |
| | **कुल** | **6** | **9** |

**अनुबंध-VI**
(पैरा 5.12)

**ऐसे मामलों की संगठनवार सूची जिनमें आयोग को अपनी सलाह के कार्यान्वयन के बारे में सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।**

| **क्रम संख्या** | **संगठन का नाम** | **केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह को कार्यान्वित करने के लिए 6 महीने से अधिक अवधि से लम्बित मामलों की संख्या** | |
|---|---|---|---|
| | | **प्रथम चरण की सलाह** | **द्वितीय चरण की सलाह** |
| 1. | रेल मंत्रालय | 226 | 105 |
| 2. | केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड | 170 | 112 |
| 3. | दूरसंचार विभाग | 115 | 29 |
| 4. | केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड | 84 | 56 |
| 5. | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग | 45 | 14 |
| 6. | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 38 | 10 |
| 7. | दिल्ली विकास प्राधिकरण | 36 | 19 |
| 8. | रक्षा मंत्रालय | 36 | 15 |
| 9. | गृह मंत्रालय | 34 | 13 |
| 10. | केन्द्रीय विद्यालय संगठन | 33 | 8 |
| 11. | नेशनल इंश्योरेंस कं0 लि0 | 31 | 20 |
| 12. | भारतीय मानक ब्यूरो | 25 | 9 |
| 13. | दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली | 25 | 9 |
| 14. | शहरी विकास मंत्रालय | 19 | 18 |
| 15. | विजया बैंक | 19 | 0 |
| 16. | अंडमान एवं निकोबार प्रशासन | 16 | 1 |
| 17. | सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 16 | 0 |
| 18. | रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग | 15 | 5 |
| 19. | दिल्ली परिवहन निगम | 15 | 0 |
| 20. | पांडीचेरी सरकार | 15 | 1 |
| 21. | खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग | 15 | 7 |
| 22. | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | 15 | 5 |
| 23. | इंडियन ऑयल का0 लि0 | 14 | 2 |
| 24. | केनरा बैंक | 13 | 0 |
| 25. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार | 13 | 11 |
| 26. | इलाहाबाद बैंक | 12 | 0 |
| 27. | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | 12 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28. | युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया | 12 | 3 |
| 29. | राजस्व विभाग | 11 | 3 |
| 30. | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर | 11 | 1 |
| 31. | बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 10 | 0 |
| 32. | पोत परिवहन विभाग | 10 | 2 |
| 33. | हुडको | 10 | 0 |
| 34. | दिल्ली नगर निगम | 10 | 1 |
| 35. | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण | 10 | 0 |
| 36. | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग | 9 | 7 |
| 37. | कोयला विभाग | 9 | 0 |
| 38. | लक्षदीप प्रशासन | 9 | 0 |
| 39. | सी.एंड ए.जी कार्यालय | 9 | 0 |
| 40. | बैंक ऑफ इंडिया | 8 | 0 |
| 41. | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल | 8 | 6 |
| 42. | आई.बी.पी. बामर लॉरी ग्रुप ऑफ कं0 | 8 | 4 |
| 43. | कोलकाता पत्तन न्यास | 8 | 2 |
| 44. | सीमा सड़क विकास बोर्ड | 7 | 3 |
| 45. | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन | 7 | 3 |
| 46. | जल संसाधन मंत्रालय | 7 | 1 |
| 47. | आंध्रा बैंक | 6 | 0 |
| 48. | भारतीय कंटेनर निगम लि0 | 6 | 2 |
| 49. | उर्वरक विभाग | 6 | 0 |
| 50. | युवा मामले एवं खेल विभाग | 6 | 2 |
| 51. | भारतीय खाद्य निगम | 6 | 0 |
| 52. | इंडियन ओवरसीज बैंक | 6 | 0 |
| 53. | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | 6 | 0 |
| 54. | वस्त्र मंत्रालय | 6 | 10 |
| 55. | भारतीय स्टेट बैंक | 6 | 4 |
| 56. | यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कं0 लि0 | 6 | 11 |
| 57. | आर्थिक मामले विभाग | 5 | 1 |
| 58. | इस्पात विभाग | 5 | 9 |
| 59. | दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम | 5 | 1 |
| 60. | डीटीएल / आईपीजीसीएल | 5 | 2 |
| 61. | श्रम मंत्रालय | 5 | 1 |
| 62. | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | 5 | 0 |
| 63. | राष्ट्रीय जल-विद्युत उर्जा निगम लि0 | 5 | 0 |
| 64. | सी.जी.डी.ए. कार्यालय | 5 | 2 |
| 65 | स्टेट बैंक ऑफ पटियाला | 5 | 8 |
| 66. | भारत कोकिंग कोल लि0 | 4 | 3 |
| 67. | कोल इंडिया लि0 | 4 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 68. | कृषि एवं सहकारिता विभाग | 4 | 1 |
| 69. | कंपनी मामले विभाग | 4 | 1 |
| 70. | खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | 4 | 0 |
| 71. | औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नोति विभाग | 4 | 1 |
| 72. | इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गनाइजेशन | 4 | 4 |
| 73. | संस्कृति मंत्रालय | 4 | 0 |
| 74. | राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि0 | 4 | 0 |
| 75. | नई दिल्ली नगर पालिका परिषद | 4 | 0 |
| 76. | नार्दन कोलफील्ड्स लि0 | 4 | 0 |
| 77. | स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकौर | 4 | 1 |
| 78. | यूको बैंक | 4 | 2 |
| 79. | भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0 | 3 | 0 |
| 80. | चण्डीगढ़ प्रशासन | 3 | 3 |
| 81. | वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद | 3 | 3 |
| 82. | आयुष विभाग | 3 | 1 |
| 83. | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | 3 | 0 |
| 84. | देना बैंक | 3 | 3 |
| 85. | भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद | 3 | 3 |
| 86. | इंडियन रेअर अर्थस लि0 | 3 | 0 |
| 87. | विदेश मंत्रालय | 3 | 1 |
| 88. | लघु उद्योग मंत्रालय एवं एग्रो रूरल इंडस्ट्रीज | 3 | 0 |
| 89. | भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ | 3 | 0 |
| 90. | नवोदय विद्यालय समिति | 3 | 1 |
| 91. | स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान | 3 | 1 |
| 92. | एयर इंडिया | 2 | 0 |
| 93. | अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान | 2 | 1 |
| 94. | भारत संचार निगम लि0 | 2 | 1 |
| 95. | सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि0 | 2 | 0 |
| 96. | चैन्नई पत्तन न्यास | 2 | 0 |
| 97. | दामोदर घाटी निगम | 2 | 0 |
| 98. | हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि0 | 2 | 2 |
| 99. | हिन्दुस्तान पेपर का0 | 2 | 1 |
| 100. | एच.एम.टी. लि0 | 2 | 3 |
| 101. | भारत पर्यटन विकास निगम | 2 | 0 |
| 102. | भारतीय जीवन बीमा निगम | 2 | 0 |
| 103. | तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 2 | 0 |
| 104. | मद्रास फर्टिलाइजर लि0 | 2 | 0 |
| 105. | महानदी कोलफील्ड्स लि0 | 2 | 0 |
| 106. | धातु अवशेष व्यापार निगम | 2 | 0 |
| 107. | राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लि0 | 2 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 108. | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय | 2 | 0 |
| 109. | पंजाब नेशनल बैंक | 2 | 0 |
| 110. | राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 | 2 | 1 |
| 111. | भारत के महापंजीयक | 2 | 1 |
| 112. | राइट्स | 2 | 0 |
| 113. | सशस्त्र सीमा बल | 2 | 1 |
| 114. | सिंडिकेट बैंक | 2 | 1 |
| 115. | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 2 | 0 |
| 116. | विशाखापटनम पत्तन न्यास | 2 | 1 |
| 117. | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण | 1 | 0 |
| 118. | ए.एल.आई.एम.सी.ओ. | 1 | 0 |
| 119. | भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण | 1 | 0 |
| 120. | बैंक ऑफ बड़ौदा | 1 | 0 |
| 121. | बेतवा नदी बोर्ड | 1 | 0 |
| 122. | भारत भारी उद्योग निगम लि0 | 1 | 0 |
| 123. | भारत पैट्रोलियम का0 लि0 | 1 | 0 |
| 124. | भारत वेगन्स एंड इंजिनियरिंग कं0 लि0 | 1 | 0 |
| 125. | मंत्रिमंडल सचिवालय | 1 | 1 |
| 126. | केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड | 1 | 0 |
| 127. | केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान परिषद | 1 | 2 |
| 128. | केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल | 1 | 1 |
| 129. | केन्द्रीय खान योजना एवं अभिकल्प संस्थान | 1 | 0 |
| 130. | कॉफी बोर्ड | 1 | 0 |
| 131. | रसायन एवं पैट्रोरसायन विभाग | 1 | 0 |
| 132. | वाणिज्य विभाग (आपूर्ति मंडल) | 1 | 0 |
| 133. | उपभोक्ता मामले विभाग | 1 | 0 |
| 134. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग | 1 | 1 |
| 135. | विधि मामले विभाग | 1 | 0 |
| 136. | डाक विभाग | 1 | 5 |
| 137. | अंतरिक्ष विभाग | 1 | 1 |
| 138. | कर्मचारी राज्य बीमा निगम | 1 | 0 |
| 139. | भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण | 1 | 0 |
| 140. | हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि0 | 1 | 0 |
| 141. | हिन्दुस्तान केबल लि0 | 1 | 0 |
| 142. | हिन्दुस्तान कॉपर लि0 | 1 | 0 |
| 143. | हिन्दुस्तान लेटेक्स लि0 | 1 | 1 |
| 144. | हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कार्पो0 लि0 | 1 | 0 |
| 145. | अस्पताल सेवा परामर्शी निगम | 1 | 0 |
| 146. | इंडियन बैंक | 1 | 0 |
| 147. | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर | 1 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 148. | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | 1 | 0 |
| 149. | भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक | 1 | 0 |
| 150. | भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण | 1 | 0 |
| 151. | इरकॉन | 1 | 0 |
| 152. | आई.आर.सी.टी.सी. | 1 | 0 |
| 153. | डोनर मंत्रालय | 1 | 0 |
| 154. | सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 1 | 1 |
| 155. | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय | 1 | 0 |
| 156. | महानगर टेलीफोन निगम लि0 | 1 | 0 |
| 157. | माझगांव डॉक लि0 | 1 | 0 |
| 158. | मेटालुर्जिकल इंजिनियरिंग कंसलटेंट इंडिया | 1 | 0 |
| 159. | नेशनल अल्युमिनियम कं0 लि0 | 1 | 4 |
| 160. | राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम | 1 | 0 |
| 161. | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम | 1 | 0 |
| 162. | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त तथा विकास निगम | 1 | 0 |
| 163. | नेपा लि0 | 1 | 0 |
| 164. | न्यू इंडिया एश्योरेंस कं0 लि0 | 1 | 2 |
| 165. | न्यू मैंगलौर पत्तन न्यास | 1 | 0 |
| 166. | भारतीय नाभकीय उर्जा निगम लि0 | 1 | 0 |
| 167. | तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम | 1 | 0 |
| 168. | पावर ग्रिड का0 ऑफ इंडिया लि0 | 1 | 0 |
| 169. | प्रसार भारती | 1 | 0 |
| 170. | प्रोजेक्ट एंड इक्यूपमेंट का0 ऑफ इंडिया लि0 | 1 | 0 |
| 171. | सतलुज जल विद्युत निगम लि0 | 1 | 0 |
| 172. | स्कूटर्स इंडिया लि0 | 1 | 0 |
| 173. | कर्मचारी चयन आयोग | 1 | 0 |
| 174. | स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 1 | 0 |
| 175. | भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि0 | 1 | 3 |
| 176. | भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ | 1 | 3 |
| 177. | त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि0 | 1 | 0 |
| 178. | दिल्ली विश्वविद्यालय | 1 | 0 |
| 179. | वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि0 | 1 | 0 |
| 180. | भारत इम्मयूनोलोजिकल एंड बायलोजिकल का0 लि0 | 0 | 3 |
| 181. | बी.पी.आर.एंड डी. | 0 | 1 |
| 182. | कपार्ट | 0 | 0 |
| 183. | केन्द्रीय भण्डारण निगम | 0 | 0 |
| 184. | परमाणु उर्जा विभाग | 0 | 1 |
| 185. | दिल्ली जल बोर्ड | 0 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 186. | दिल्ली मैट्रो रेल निगम | 0 | 0 |
| 187. | दिल्ली पुलिस | 0 | 0 |
| 188. | हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर का0 लि0 | 0 | 4 |
| 189. | भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद | 0 | 0 |
| 190. | इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि0 | 0 | 1 |
| 191. | वाणिज्य मंत्रालय | 0 | 3 |
| 192. | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 0 | 1 |
| 193. | अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय | 0 | 0 |
| 194. | समुद्रपारीय भारतीय मामले मंत्रालय | 0 | 0 |
| 195. | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय | 0 | 1 |
| 196. | विद्युत मंत्रालय | 0 | 2 |
| 197. | ग्रामीण विकास मंत्रालय | 0 | 1 |
| 198. | मारमुगाओं पत्तन न्यास | 0 | 1 |
| 199. | नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेन्सी | 0 | 2 |
| 200. | राष्ट्रीय बीज निगम लि0 | 0 | 0 |
| 201. | राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि0 | 0 | 1 |
| 202. | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड | 0 | 1 |
| 203. | भारतीय खेल प्राधिकरण | 0 | 0 |
| 204. | टाटा मेमोरियल सेन्टर | 0 | 1 |
| 205. | भारतीय चाय व्यापार निगम लि0 | 0 | 1 |
| 206. | यूनाईटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया | 0 | 0 |
| | **कुल** | **1589** | **653** |

# प्रतिज्ञा

हम, भारत के लोक सेवक, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे । हम यह प्रतिज्ञा भी करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे । हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे । हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धान्तों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे । हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य करेंगे ।

प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आरंभ

में ली जाने वाली प्रतिज्ञा